हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, 27 अगस्त, 2019 को माननीय अध्यक्ष, डा0 राजीव बिंदल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, हिमाचल प्रदेश विधान सभा शिमला-171004 में 11.00 बज़े पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

27.08.2019/1100/बी0एस0/ए0के0

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मुकेश अग्निहोत्री जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं?

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की जिस तरह से बोली लगाई जा रही है और जिस तरह इसे बेचने के प्रयास किए जा रहे हैं ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप किस नियम के तहत बोलना चाह रहे हैं, आपका विषय नहीं आया।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 67 के तहत आपको नोटिस दिया था और यह प्रदेश हित का इश्यू है।

अध्यक्ष : मैंने नियम 67 के तहत आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। ...(व्यवधान)... Not to be recorded. ...(Interruption)...

(सत्ता पक्ष व विपक्ष के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे)

अध्यक्ष : मुझे व्यवस्था देने दीजिए। मैं व्यवस्था दे रहा हूं, कृपया बैठ जाइए।

मुझे नियम 67 के अंतर्गत श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री राम लाल ठाकुर जी और श्री जगत सिंह नेगी जी द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैं माननीय सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि प्राइवेट मेम्बर्ज डे वाले दिन यानि परसों यह विषय सदन में चर्चा के लिए लगाया गया है और उसमें पर्यटन की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। हमारे पास उस दिन चर्चा के लिए पूरा समय रहेगा। हम उस समय इसमें विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। इसलिए हमने आपको नियम 67 पर चर्चा की अनुमति नहीं दी है। अन्यथा मैं आपको इसमें चर्चा के लिए अनुमति प्रदान कर देता।

27.08.2019/1105/DT/HK/-1

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो आपकी व्यवस्था होगी उसका सारा सदन सम्मान करेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह गलती से अपलोड हो गई और इसमें चूक हो गई है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह चूक नहीं है बल्कि यह एक साजिश है। ...(व्यवधान)... फिर आप कह रहे हैं विपक्ष गुमराह कर रहा है।

अध्यक्षः माननीय मुकेश जी कृपया बैठ जाइए। आपको चर्चा अलाउ नहीं की जा सकती। ...(व्यवधान)... आप बैठिए। ...(व्यवधान)... Not to be recorded.
माननननीय संसदीय कार्य मंत्री क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इस विषय को नहीं रख सकते। आप विषय कैसे रख सकते हैं? नियम-67 के नोटिस को रिजैक्ट कर दिया है इसलिए इस प्रकार की चर्चा नहीं हो सकती। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है। इसमें हिमाचल प्रदेश के टैक्स पेयरज़ का पैसा लगा है और प्रश्नकाल के ऊपर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। इसलिए आप प्रश्नकाल को चलने दीजिए और उसके बाद आप इस विषय को उठाइए। ...(व्यवधान)... आपका नोटिस रिजैक्ट हो चुका है। ...(व्यवधान)... आप नहीं बोल सकते। ...(व्यवधान)...

(सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

27-08-2019/1110/वाई.के.-एन.जी./1

(कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर लगातार नारेबाजी करते रहे।)

प्रश्न काल आरम्भ

प्रश्न संख्या : 1361

श्री बलबीर सिंह (चिन्तपुरनी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो लोग चकौताधारक की पर्ची लेकर हमारे पास आते हैं क्या उनको भी मालिकाना हक मिल जाएंगे?

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी को जानकारी देना चाहता हूं कि जिला ऊना के चकौताधारक के जिन लोगों का जिक्र इन्होंने किया है, उन 56 लोगों में से 2 लोगों का प्रोसेस शुरू किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि वे लोगों से इसका प्रोसिज़र फोलो करवाएं और एस0डी0एम0 के पास एक एप्लीकेशन फाइल करवाएं, उसके साथ जमाबन्दी लगाएं और अप्लाई करके उसकी प्रक्रिया को पूरा करें। **मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि** हम **इस प्रकार के लोगों की परेशानी का समाधान करने की हर सम्भव कोशिश करेंगे।**

मुख्य मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष: प्लीज़ बैठिए। (विपक्ष के माननीय सदस्यों की ओर इशारा करते हुए।) ...(व्यवधान)...

श्री मुकेश अग्निहोत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री इसका जवाब कैसे दे सकते हैं, जबकि चर्चा हमने आरम्भ ही नहीं की?

मुख्य मंत्री: नियम-67 के अन्तर्गत आपके द्वारा दिए गए विषय पर चर्चा स्वीकार नहीं हुई है तो आप कैसे चर्चा आरम्भ कर सकते हैं? आप हमसे पूछ रहे हैं तो आपको जवाब दे देते हैं। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय, कल मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि "सवाल ही पैदा नहीं होता"। अध्यक्ष महोदय, कल मैंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि किसी त्रुटि के कारण ये कहीं से टूरिज़म डिपार्टमैंट की वेब साइट पर डला है। ...(व्यवधान)... मैं मानता हूं कि

वेब साइट पर गया था। उसके बावजूद इसमें न रेवन्यू डिपार्टमैंट, न टूरिज़म डिपार्टमैंट और न ही मंत्री मण्डल की स्वीकृति है तो इसे बेचने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, कल मैंने साफ शब्दों में कहा है । जो किया ही नहीं उसके बारे में कैसा बवाल? ...(व्यवधान)...

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय मुख्य मंत्री जी, आपने पूरा हिमाचल प्रदेश सेल पर रख दिया है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा।

मुख्य मंत्रीः आप हमको बताएं (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) कि Wild Flower Hall किसने बेचा; किसने उसको लीज़ पर दिया? इसे इक्विटी पर दे दिया गया और उसका एक रुपया भी हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला है, जिसके दोषी आप लोग हैं। सैंकड़ो करोड़ रुपये की प्रोपर्टी आप लोगों ने बेच दी है। ...(व्यवधान)... आज तक उसका एक पैसा भी नहीं मिला है और यह सब आपकी देन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 में कुल्लु जिला में एंगलर बंगलो कटराईं किसने दिया?हम तो जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, कल भी कहा, आज भी कह रहे हैं और आगे भी इस बात को कहेंगे कि इन्हें बेचने का "सवाल ही पैदा नहीं होता"। ...(व्यवधान)...

अध्यक्षः आप बैठिए मैं आपको समय देता हूं। ...(व्यवधान)...

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान से लगातार नारेबाज़ी करते रहे।

27/8/2019/1115/RG/YK/1

(विपक्ष (कांग्रेस पार्टी) के विधायक अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे एवं नारेबाजी कर रहे थे।)

---व्यवधान----

मुख्य मंत्री : मैंने कहा कि सरकारी वेब साईट पर गलती हुई है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : गलती कैसे हो गई---(व्यवधान)---

अध्यक्ष : अगला प्रश्न सं. 1442, श्री राम लाल ठाकुर जी उपस्थित थे, परन्तु प्रश्न नहीं पूछा।

----(**व्यवधान**)----

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी, कृपया एक मिनट आप बैठिए। आप सब लोग कृपया बैठें। मुकेश जी, यदि आप दो मिनट में अपनी बात कहें, उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे, लेकिन मैं इसको नियम-67 के तहत सदन में उठाने के लिए अलॉऊ नहीं कर रहा हूं। आपकी बात आ जाए, इसलिए दो मिनट में आप अपनी बात रखें। उसके पश्चात माननीय मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, यदि हमें अपनी बात रखनी है तो हम पूरी बात यहां रखेंगे।

अध्यक्ष : नहीं पूरी बात नहीं, मैं इसको नियम-67 के अन्तर्गत अलॉऊ नहीं कर रहा हूं।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, जब यह नियम-67 के अन्तर्गत नहीं है, लेकिन हम बात तो पूरी रखेंगे।

अध्यक्ष : प्रश्नकाल के बाद मैं इसको किसी और मद में लगा दूंगा।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, यहां माननीय मुख्य मंत्री जी ने आज प्रैस में बयान दिया है, ये कह रहे हैं कि विपक्ष गुमराह कर रहा है। तो होटल आप बेचें और गुमराह हम कर रहे हैं। यह आपकी सरकारी वेब साईट है, यह राईजिंग हिमाचल किसकी वैबसाईट है? वह किसका वेब पोर्टल है? --(व्यवधान)---

अध्यक्ष : कृपया बीच में न बोलें, मैं दो मिनट के लिए ही अलॉऊ कर रहा हूं।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : आप बताइए कि वह किसका वेब पोर्टल है? आपने 16 होटलों की फोटो भी लगाई हैं और उनकी कीमत भी तय कर दी कि उनकी क्या कीमत है? बिना

किसी ग्लोबल टैण्डर और बिना ऑक्शन के यह कीमत किसने तय कर दी? पहली बात तो ऐसा किया ही नहीं जा सकता और न करने देंगे। कांग्रेस पार्टी आपको होटल नहीं बेचने देगी, ऐसे 16 होटल हैं। ---(व्यवधान)---पर्यटन विभाग की जितनी भी सम्पत्तियां हैं, उन सबके आगे रेट लगा दिए हुए हैं। यह आपकी ही वेब साईट पर है, हमने नहीं कहा। आप कह रहे हैं कि चूक हो गई। यह चूक नहीं है, यह साजिश है, पिछले 6-8 महीने से इसका पत्र-व्यवहार भी हमारे पास आ गया है। हम आपको वे पत्र दिखा देते हैं जो लोगों ने लिखे हैं कि फलाना होटल में हम इन्ट्रस्टेड हैं। यह कब से शुरू कर दिया? डिस-इनवेस्टमेंट का कोई प्रोसीजर होता है। आपने चोरी-छिपे और गुप-चुप तरीके हिमाचल को बेचने का मास्टर-प्लान बना दिया। आपने यह सब चोरी-छिपे किया। आप हिमाचल प्रदेश के कस्टोडियन हैं। आप कह रहे हैं कि आपको नहीं पता है, आप कह रहे हैं कि आपकी कैबिनेट को नहीं पता। हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि जब आपको नहीं पता, कैबिनेट को नहीं पता और आप ये कह रहे हैं कि यह गलती से साईट पर डाला गया है तो वे कौन लोग हैं जिन्होंने यह डाला? किसके खिलाफ अब तक आपने कार्रवाई की है? वे कौन लोग हैं जिन्होंने हिमाचल को बेचने का पूरा मास्टर-प्लान आपकी सरकारी वेब साईट पर डाला हुआ है? इसके अतिरिक्त उसके रेट भी लगा दिए। आखिर किसी पर तो कार्रवाई होगी? अध्यक्ष महोदय, यह इतना बड़ा मसला है।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : इसके अलावा जो यहां चाय के बागान हैं।

अध्यक्ष : मुकेश जी, कृपा करके आप बैठ जाएं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माना कि इनको एक मुद्दा मिल गया, ठीक है कि आप अपनी जगह सही हैं। सही इसलिए हैं कि कुछ नहीं मिल रहा है, तो कहने के लिए कुछ मिल गया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, कई बार मानवीय त्रुटि होती है और यह बात भी मानकर चलना पड़ेगा कि जो

27/08/2019/1120/MS/YK/1

(..व्यवधान..)

पर्यटन के प्रदेश-भर में युनिट लॉसिज में चल रहे हैं, हमने आपके दौर का भी उसका पिछला रिकॉर्ड निकाला और उसमें आप सब लोगों ने भी मंशा ज़ाहिर की है कि इस मामले पर सोचना चाहिए क्योंकि ये लगातार घाटे में चल रहे हैं। यह असैसमैंट अभी की गई है, यह बात नहीं है। यह समय-समय पर होती रही है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट का प्लान है, उसमें पर्यटन विभाग की साइट पर यह बात जाना सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है, इस बात को मैं मानता हूं। इस तरह के विषय पर न ही चर्चा हुई, न ही फाइल पर कुछ हुआ, न ही केबिनैट से कोई मंजूरी हुई, न रेवेन्यु विभाग से मंजूरी हुई और न ही पर्यटन विभाग की इसमें मंजूरी है। लेकिन उसके बावजूद भी यह पर्यटन विभाग से जाकर हमारी जो प्राइवेट एजैंसी नॉलेज पार्टनर है, उनकी साइट पर चला गया। जब यह विषय हमारे ध्यान में आया तो हमने भी इसका एकदम से संज्ञान लिया कि यह क्या हुआ और कैसे हुआ क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। हमारे पास फाइल में रिकॉर्डिड है और हमने कहा है कि इस बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वह हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। जब हमने कह दिया कि बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता है तो आपको यकीन करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इस बात को वे लोग कह रहे हैं जिन्होंने वर्ष 1995 में वाइल्ड फ्लावर हॉल जैसी प्रॉपर्टी को इक्विटी में तब्दील कर दिया। (..व्यवधान..) और आज तक वाइल्ड फ्लावर हॉल से एक रुपया भी सरकार को नहीं मिला है। इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? आप लोग तो बेचकर आ गए हैं लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता है (..व्यवधान..) मैं कह रहा हूं कि हम कुछ नहीं बेचेंगे जबकि आप लोग तो बेचकर आ गए हैं और हमें इस बात को सीखा रहे हैं? हमें वाइल्ड फ्लावर हॉल से आज तक एक रुपया भी नहीं मिला है जबकि वह प्रॉपर्टी हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग की सबसे प्राइम और बढ़िया है और वह आपने बेच दी। (..व्यवधान..) आप लोग तो वर्ष 1995 में ऐसा काम करके आए हैं इसलिए हमें यह सब मत कहिए। हम यह बात जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में तीन दिन के अंदर इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट हमने मांगी है। (..व्यवधान..)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, मुकेश अग्निहोत्री जी, अब हो गया है। अब आप लोग बैठिए।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बहिगर्मन कर गए)

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ अर्से से विपक्ष को इस माननीय सदन में सार्थक चर्चा हेतु कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है इसलिए ये सनसनी घोलने की कोशिश कर रहे हैं। इनके द्वारा ऐसा दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है जैसे कि हिमाचल के हितों की रक्षा करने का ठेका सि़र्फ इनके ही पास है और बाकी लोग तो हिमाचल प्रदेश के हित में है ही नहीं।

27.08.2019/1125/जेके/एजी/1

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को ले कर विपक्ष के नेता की ओर से इस प्रकार से टिप्पणी करना और अधिकारियों के बारे में भी टिप्पणी करना कि बाहर के प्रदेशों के कुछ अधिकारी हिमाचल को बेचने में लगे हुए हैं, माननीय अध्यक्ष जी, अधिकारी बोल नहीं सकते, इनकी एक व्यवस्था है, ये नियम में बंधें हुए हैं लेकिन इस प्रकार से टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। क्योंकि अधिकारी एक व्यवस्था के अनुसार कार्य करते हैं। ऑल इंडिया कैडर है। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इनके ज़माने में भी बाहर के अधिकारी हिमाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं देते थे और आज भी वे अधिकारी उस रूप में सेवाएं दे रहे हैं जिस रूप में हिमाचल का अधिकारी देता है। दूसरे, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय को यहां पर छेड़ दिया है इसलिए मैं यहां कुछ पढ़ कर स्पष्ट करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ समाचार-पत्रों में दिनांक 25 अगस्त, 2019 को चाय बागानों में पर्यटन को बढ़ावा देने व हिमाचल प्रदेश पर्यटन इकाइयों को लीज़ पर देने बारे समाचार प्रकाशित हुए हैं। इस सन्दर्भ में माननीय सदन को भी वस्तुस्थिति से मैं अवगत करवाना चाहूंगा। जहां तक चाय बागानों को पर्यटन की दृष्टि से प्रयोग में लाने का प्रश्न है, इस सन्दर्भ में मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा कि पूर्व सरकार ने H.P. Ceiling on Land Holdings Act, 1972 धारा (6)-ए व (7)-ए के अन्तर्गत चाय बागान की भूमि का उपयोग बदलने व स्थानांतरण करने का विषय मंत्रि-मण्डल के समक्ष लाया था। दिनांक 27 सितम्बर, 2017 को

ठीक विधान सभा चुनाव से पहले यह निर्णय लिया गया कि with a view to encourage revival of tea garden through tourism, in principle, agreement was expressed for expeditious decision in accordance with Sections 6(a) and 7(a). इस निर्णय का अभिप्राय यह था कि उस समय की उनकी सरकार उन चाय बागानों की भूमि, जिन्हें सीलिंग एक्ट से छूट प्राप्त हुई थी, में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई थी। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने उस वक्त यह भी स्पष्ट किया और तय कर लिया था कि सीलिंग एक्ट की धारा (6)-ए व (7)-ए में चाय बागानों की भूमि का उपयोग बदलने व स्थानांतरण करने का निर्णय तीव्रता से लिया जाएगा। जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है वर्तमान में चाय बागानों, जिन्हें सीलिंग एक्ट में छूट मिली है, के लिए राजस्व नियमों में शिथिलता प्रदान करने का कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है।

सवाल ही पैदा नहीं होता है, मैंने स्पष्ट कह दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास बहुत सारे लोग आए, जिन्होंने कैबिनेट के 27 सितम्बर, 2017 के निर्णय का जिक्र किया। यह पूर्व सरकार ने किया था। उन्होंने कहा कि आपके ऊपर तो मामला नहीं आएगा क्योंकि यह तो पूर्व सरकार ने किया था, आप तो इसे आसानी से ले आओ। चाय के बागान में हम रीयल एस्टेट में कुछ करना चाहते हैं, हम टूरिज्म में कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ अन्य चीजें करना चाहते हैं, हम मैरिज प्लेस बनाना चाहते हैं और अन्य कई कमर्शियल एक्टिविटीज़ चलाना चाहते हैं। हमने उन्हें कहा कि यह नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको इसमें रियायत मिली है। लैंड सीलिंग एक्ट के मुताबिक चाय बागानों को जो एक विशेष रियायत मिली है उसके अनुसार यह सम्भव नहीं है। उन्होंने 27 सितम्बर, 2017 के निर्णय का बार-बार ज़िक्र किया कि पूर्व सरकार ने यह कर दिया था लेकिन अब तो आपको इसे आगे बढ़ाना है। यह निर्णय ही पिछली सरकार का है। हमने कहा कि पिछली सरकार ने गलत निर्णय लिया है इसलिए हम उसको लागू नहीं करेंगे। यह हमने उन्हें स्पष्ट कर दिया था। जहां तक हिमाचल प्रदेश विकास निगम की इकाइयों को लीज़ पर देने का प्रश्न है, मैं इसमें यह कहना चाहता हूं और इस बारे में माननीय सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि इस विषय में अभी तक विचार-विमर्श केवल उन इकाइयों के लिए चल रहा था जो लम्बे अर्से से घाटे में चल रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस की गवर्नमैंट के दौरान

फाइल में ये सारी चीजें रिकॉर्डिड हैं। हमारे बहुत सारे टूरिज्म के यूनिट्स घाटे में चल रहे हैं। उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। उसी दृष्टि से इन सारी चीजों के बारे में बात हुई और ये यूनिट्स लम्बे अर्से से घाटे में चल रही हैं और इस पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने इसमें काई भी अन्तिम निर्णय नहीं लिया कि इस पर क्या करना है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता का बयान बार-बार आ रहा था कि गुपचुप सौदा कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस का खंडन करता हूं और यह बिल्कुल गुमराह करने की बात है। इस समय पर्यटन निगम की एसी कई इकाइयां घाटे में चल रही हैं जिनमें से 21 होटल्ज़ और 9 कैफे शामिल हैं। पिछली सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2014 में

27.08.2019/1130/SS-DC/1

एंग्लर्ज़ बैंगलो कटराईं, कुल्लू को निजी क्षेत्र में पट्टे पर दे दिया गया था। हमने तो एक भी नहीं दिया। ये देकर आये और यहां पर शोर डाल रहे हैं तथा हमको समझा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

अध्यक्षः कितने में दिया?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी डिटेल बता दूंगा। मैं अभी सारी डिटेल नहीं लाया हूं। मैंने सोचा कि ज्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब डिटेल देने की ज़रूरत पड़ रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार पूर्णतः पारदर्शी तरीके से प्रदेशवासियों के हितों के लिए कार्य कर रही है और सरकार की कहीं भी ऐसी मंशा नहीं है कि कोई भी ऐसा निर्णय लिया जाए जिससे किसी वर्ग विशेष को लाभ हो। हमारी इस इंवैस्टर मीट का मुख्य उद्देश्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में इंवैस्टमैंट लाना है और लोगों को रोज़गार अधिक-से-अधिक उपलब्ध हो सके, इसके लिए हमारी कोशिश है। मुझे इस बात का भी गर्व है कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नया व एक तरह से प्रथम प्रयास किया है। इस प्रयास में मुझे पूरे सदन का सहयोग चाहिए। 7 व 8 नवम्बर को धर्मशाला में होने वाली इंवैस्टर एंक्लेव में सम्भवतः प्रधान मंत्री जी स्वयं

उद्घाटन करने के लिए आयेंगे। मैं चाहूंगा कि उसमें इस तरीके से अनावश्यक रूप से माहौल को खराब न किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, इंवैस्टर मीट का विषय हिमाचल का ही नहीं है। पंजाब कर रहा है जहां पर इनकी सरकार है। उत्तराखंड ने कर लिया। उन्होंने 20 हजार करोड़ रुपये की इंवैस्टमैंट ग्राऊंड पर ला दी। उत्तर प्रदेश ने कर दिया। 60 हजार करोड़ रुपये की इंवैस्टमैंट उन्होंने ग्राऊंड पर खड़ी कर दी, जिसकी अभी गृह मंत्री जी शुरूआत करके आ गए। जम्मू-कश्मीर में इंवैस्टर मीट होने वाली है। सब प्रदेश कर रहे हैं। जो बाकी कर रहे हैं, हमें उसे करने से भी रोका जा रहा है। आखिरकार इस सारी चीज़ को कब तक रोका जा सकता है? हमने कहा कि हमारे लिये हिमाचल का हित सर्वोपरि है। अध्यक्ष महोदय, हमने इस बात को स्पष्ट किया है। अंत में मैं यह ज़रूर कहना चाहता हूं, इसमें बाकी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है कि विभाग की एक राइजिंग हिमाचल वैबसाइट पर जो त्रुटिवश फोटो डाल दिया गया था, इसकी जैसे ही हमें जानकारी मिली, तुरन्त उसको हटा दिया गया था। **इस बात को देखा जा रहा है कि यह त्रुटि क्यों हुई और सुनिश्चित किया जायेगा कि भविष्य में ऐसी त्रुटि उत्पन्न न हो। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कह दिया कि चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में हमको इसकी डिटेल्ड इंफोरमेशन तीन के अंदर उपलब्ध करवाई जाएगी। उसके बाद देखेंगे कि कहां से कैसे त्रुटि हुई, उसके बाद फिर क्या आगामी कार्रवाई करेंगे उस पर विचार करेंगे।**

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हिमाचल जैसे प्रदेश की सबसे प्राइम प्रॉपर्टी, जिसको नम्बर-1 पर बोल सकते थे, वह वाइल्ड फ्लावर हॉल था। 1995 में उसको ज्वाइंट वैंचर में बेच दिया गया। उसको ज्वाइंट वैंचर में देने के बाद उसकी जमीन इक्विटी में तबदील कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, 1995 से अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार को उस वाइल्ड फ्लावर हॉल से एक रुपये की भी आय अभी तक नहीं हो पाई। जो हमारे प्रदेश की सबसे वैस्ट प्रॉपर्टी थी, वह बेच दी गई। उसके बाद हमको पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम कह रहे हैं कि जो गलती हुई है उसकी हम जांच कर रहे हैं। उसकी जानकारी आपको दे देंगे, जहां से गलती हुई है। हमारी तो बात सिर्फ इतनी है, हमने उसको वैबसाइट से हटा दिया। हमने स्पष्ट कर दिया कि बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता और ये (विपक्ष) बेच करके आ गए। बेचने के बावजूद हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसे में अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सरकार के

खिलाफ एक सनसनीखेज मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। तर्क के आधार पर आप बात करिये। इस तरह से हर जगह राजनीति के मकसद से काम करना, मैं समझता हूं कि वह उचित नहीं है।

अध्यक्षः श्री जिया लाल जी का प्रश्न चल रहा था। जिया लाल जी, क्या आपने उसमें कुछ पूछना है?

27.08.2019/1135/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 1443

श्री जिया लालःमाननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पांगी में धरवास नामक स्थान पर जो 75 बीघा 15 बिस्वा जमीन है, क्या यहां पर विदेशी व उन्नत किस्म की सब्जियों को शून्य लागत, जो माननीय मुख्य मंत्री जी का उद्देश्य है, प्राकृतिक खेती की तर्ज पर नहीं उगाया जा सकता तथा कृषि विज्ञान केन्द्र शुरू नहीं किया जा सकता? दूसरे, स्थानीय किस्म की सब्जियों के बीज भी शून्य लागत की विधि से यहां पर तैयार किए जा सकते हैं। इसलिए मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर आउटसोर्सिज़ पर कर्मचारी रखें ताकि इसका लाभ पांगी घाटी के लोगों को मिले।

कृषि मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया, प्रयास करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। एक तो हि0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर से इस फार्म पर एक आधुनिक कृषि व पशुपालन अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। दूसरा प्रस्ताव उनसे यह प्राप्त हुआ है कि यहीं पर वे एक मॉडर्न पॉस्चर डवैल्प करना चाहते हैं, जिसके लिए प्रस्ताव आ चुका है। उन्होंने इसमें 17 पोस्टों की मांग की है कि अगर ये पोस्टें स्वीकृत होती हैं तो वे दो तरह के विभाग चलाना चाहते हैं। यह प्रस्ताव हमारे पास आ चुका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक नई विधि, नेचुरल फार्मिंग की बात की है, **यह सही है कि पांगी में नेचुरल फार्मिंग की अपार**

सम्भावनाएं हैं। इस पर हम विचार करेंगें और अधिकारियों को कहेंगे कि सर्वे करें कि अगर यह पॉसिबल हो सकता है तो इस दिशा में भी ध्यान दिया जाएगा।

प्रश्न संख्या 1444

अध्यक्षः श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (बड़सर), अनुपस्थित।

प्रश्न संख्याः 1445

श्री बिक्रम सिंह जरयाल (भटियात)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2010 और 2011 में हिमुडा ने जो अग्रिम राशि प्लॉट्स, और फ्लैट्स के लिए ली थी, जिसमें आवेदकों की संख्या 72,448 हैं, इनमें से कितने आवेदक जिला शिमला के हैं ? दूसरे, क्या मंत्री महोदया जी यह भी बताएंगी कि जिला शिमला से जिन्होंने आवेदन दिए हैं, उन सभी को प्लॉट और फ्लैट उपलब्ध करवाए जाएंगे? तीसरे, यदि नहीं, तो क्या मंत्री महोदया आश्वासन देंगी कि शिमला के आवेदकों को भी जमा की गई राशि को ब्याज सहित वापिस किया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, विक्रम जरयाल जी चम्बा से सम्बन्ध रखते हैं और शिमला में शायद इन्होंने फ्लैट लिया है लेकिन चम्बा, शिमला या पूरे प्रदेश का ही मामला क्यों न हो, जहां भी अलग-अलग जगह पर आवेदकों ने आवेदन किए हैं, निश्चित रूप से 5 हजार रुपये की जो राशि जमा करवाई है, हिमुडा ने जब इसका विज्ञापन निकाला था, वैसे उसमें ब्याज सहित राशि वापिस करने की बात नहीं थी लेकिन उसके बावजूद भी हिमुडा ने जितने पैसे लिए होंगे, वे पूरे के पूरे वापिस होंगे। 10.10.2018 से पहले इसमें 500 रुपये की कटौती होती थी लेकिन उसके बाद हमारी सरकार ने, विभाग ने मीटिंग की और निर्णय लिया कि पूरे के पूरे, पांच हजार रुपये लौटाए जाएंगे और जहां पर विभाग की जमीन नहीं है, सर्वे के आधार पर विज्ञापन दे कर यह पैसे लिए गए थे, वहां पर 5 परसेंट साधारण ब्याज के साथ पैसे हिमुडा लगातार वापिस लौटा रहा है।

और जो वापिस लेना चाहता है वह कभी भी इसको वापिस ले सकता है। आप सब जानते हैं कि वर्तमान में रीयल इस्टेट में मंदी चल रही है मगर उसके बावजूद भी हिमुडा के पास आज की डेट में शिमला, सोलन, चम्बा और बद्दी में 600 फ्लैट्स और 400 प्लॉट्स उपलब्ध हैं। इसके लिए कोई भी हिमुडा की वेबसाइट के ऊपर जाकर इसको ले सकता है। कुछ लोगों ने चम्बा में अप्लाई किया है मगर जब से नगरोटा के लिए विभाग की प्लानिंग हो रही है तो वहां के लिए पूछते हैं कि हिमुडा की वह कॉलनी कब बनेगी क्योंकि लोग अब नगरोटा के लिए ज्यादा इन्ट्रैस्टिड हैं। मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहूंगी कि सोलन के बसाल में हमारे पास अभी भी बहुत सारे प्लॉट्स और फ्लैट्स हैं, चम्बा और मंदाला (बद्दी) में भी खाली हैं, जो तैयार हैं और उसमें से कोई भी आवेदक ले सकता है। मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दे रही हूं, पिछली सरकार ने जाठियादेवी (शिमला) के लिए सिंगापुर की किसी कम्पनी के साथ एम0ओ0यू0 किया हुआ था जिसके लिए हमें लगातार इंतजार करना पड़ा। अभी 25 अगस्त को वह एम0ओ0यू0 रद्द कर दिया है और टी0सी0पी0 की इम्पलिमैंटेशन कमेटी ने इसको क्लीयर कर दिया है। इसके साइट प्लान बना रहे हैं और हिमुडा यहां अपने स्तर पर जो कॉलनी विकसित करेगा उसमें शिमला के लोग अपना फ्लैट या प्लॉट ले सकेंगे। इसमें मैं यह भी बताना चाहती हूं कि जिस भी व्यक्ति ने इसके लिए पहले विभाग को 5000/- रुपये की राशि दी है उसको इसमें प्रैफरेंस मिलेगी। लेकिन अगर वह उस राशि को वापिस लेना चाहे तो विभाग से उस राशि को किसी भी समय ले सकता है। इसी तरीके से धर्मशाला में नगरोटा एक बहुत ही बढ़िया स्पॉट है जो कि मॉल के पास पेट्रोल पम्प के बिल्कुल साथ लगता है। वहां के लिए भी बहुत सारे लोग इन्ट्रैस्टिड हैं लेकिन उसके अंतर्गत विभाग के ध्यान में कुछ मामले ऐसे आए हैं जिसमें एक ही परिवार के 6-6, 7-7 लोगों ने अप्लाई कर रखा है।

इसलिए विभाग ने यह निर्णय किया है कि ऐसे मामलों में दो से अधिक आवेदकों को फर्स्ट कम,फर्स्ट सर्व के आधार पर प्रैफरेंस नहीं दी जायेगी। इसी प्रकार से देहरा के लिए

प्लानिंग चल रही है और विभाग अपने स्तर पर अलग-अलग जगह पर कंस्ट्रक्शन के लिए काम कर रहा है।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि यह मामला पिछली सरकार के समय का है। लेकिन हिमुडा की दिनांक 10.10.2018 को एक बैठक हुई थी। उसमें यह निर्णय लिया गया था कि जहां पर हिमुडा जमीन नहीं ले सकती या नहीं मिल रही और वहां के लिए लोगों ने आवेदन किया है तो क्या उनको दी हुई राशि ब्याज सहित वापिस मिलेगी?

शहरी विकास मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कह दिया है कि जहां पर जमीन उपलब्ध नहीं है वहां कोई भी आवेदक अगर पैसा वापिस लेना चाहता है तो वह 5 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ वापिस ले सकता है।

प्रश्न संख्या : 1446

श्री मुलख राज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से प्रश्न 'क' के अंतर्गत यह जानना चाहता हूं कि बैजनाथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में नई बसें चलाने हेतु सरकार की क्या योजना है? 'ख' बैजनाथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी कितनी सड़कें हैं जो रोड पासिंग कमेटी द्वारा पास है; इनमें से कितनी सड़कों पर वर्तमान में कितनी बसें चल रही हैं और कितनी सड़कों पर अभी तक बसें नहीं चलाई जा रही हैं? 'ग' ऐसे कितने रूट हैं जिन पर कुछ दिन बस चलाने के बाद बस सेवा बंद कर दी गई है और क्यों? और 'घ' परिवहन निगम बैजनाथ की कर्मशाला के निर्माण हेतु सेहल नामक स्थान में भूमि स्थानांतरण की अद्यतन स्थिति क्या है; ब्यौरा दें?

27.8.2019/1145/टी.सी.वी./एच.के.-1

वन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, बैजनाथ विधान सभा चुनाव क्षेत्र में अभी कुल 106 बसें चल रही है, जिनमें से 77 बसें हिमाचल पथ परिवहन निगम की हैं और 27 बसें

जे.एन.एन.यू.आर.एम. की हैं। वहां पर 154 ड्राइवर और 159 कंडक्टर कार्यरत हैं। भविष्य में हम कुछ और नई बसें खरीदने वाले हैं। सरकार ने ड्राइवरों और कंडक्टरों की नई भर्ती के पश्चात् नई बसें चलाने की योजना बनाई है।

इसके अलावा जोगिन्द्रनगर में नया बस डिपो बना है और बैजनाथ की 29 बसों का परिचालन वर्तमान में वहां से किया जा रहा है। बैजनाथ में 8 नये बस रूट भी प्रारम्भ किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 7.01.2007 को जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तत्कालीन मुख्य मंत्री ने बैजनाथ में बस अड्डे और वर्कशॉप का फॉउंडेशन स्टोन रखा था। लेकिन उसके पश्चात वर्ष 2018 के मध्य तक वहां पर कोई भी काम नहीं हुआ। अब इसका प्रोसैस माननीय मुख्य मंत्री जी के कहने पर बहुत तेज़ गति से प्रारम्भ हुआ है। दिनांक 27.07.2018 को एफ.आर.ए. के अंतर्गत प्रमाण पत्र हेतु उपमण्डलाधिकारी, बैजनाथ द्वारा यह मामला जिलाधीश, कांगड़ा को भेजा गया था। अब दिनांक 7.12.2018 को एफ.आर.ए. का प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो गया है। उसके बाद FRA, Compensatory Afforestation of Non-availability or Non-forest Land की मंजूरी भी मिल चुकी है और दिनांक 01.08.2019 को एफ.सी.ए. का केस भारत सरकार को भेजा गया है। **इससे पहले वहां पर गत्ता फैक्टरी चलती थी, जैसे ही उस ज़मीन की भारत सरकार से मंजूरी मिलेगी, वहां इस कर्मशाला का काम भी प्रारम्भ कर दिया जाएगा।**

प्रश्न संख्याः 1447

श्री हर्षवर्धन चौहानः अनुपस्थित

प्रश्न संख्याः 1448

श्री इन्द्र सिंह (बल्ह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे हमेशा ही ऐसा आश्वासन मिलता है। जहां तक नगर परिषद नेर चौक की बात है, नगर परिषद कहता है कि इन नालियों को

लोक निर्माण विभाग बनाएगा और लोक निर्माण विभाग कहता है कि इनको नगर परिषद बनाएगा। इसके कारण हमें बरसात के दिनों में भारी परेशानी होती है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसका सही जवाब दें ताकि इस समस्या का हल हो सकें। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इसका काम कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगी कि जनवरी, 2015 में यह यू.एल.बी.(Urban Local Bodies) बनी हैं और विभाग ने तीन साल में नगर परिषद नेर चौक को 16 करोड़ रुपये जारी किये हैं। जिसमें से 3 करोड़ रुपये इन्होंने स्वच्छता अभियान के अंर्तगत टॉयलेट्स और घरों के साथ 2 किलोमीटर ड्रेन्स बनाने पर खर्च किए हैं। अभी भी इनके पास 10 करोड़ रुपया खर्च करने को शेष है।

27-08-2019/1150/NS/YK/1

इसके बाद नालियों के लिए अलग से स्टेट हैड से मु0 30,00,000/- रुपये दिए गए हैं, जिसमें से मु0 22,00,000/- रुपये खर्च कर दिए गए हैं और 8,00,000/- रुपये की राशि बची है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन नालियों के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है तो मैं बताना चाहूंगी कि इस वर्ष स्टेट हैड से इस कार्य के लिए मु0 33,00,000/- रुपये और दिए जाएंगे, जिससे सड़कें और नालियां बननी हैं। जहां तक माननीय सदस्य लोक निर्माण विभाग के बारे में कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को लोक निर्माण विभाग और शहरी विकास विभाग के बीच में कंफ्यूजन है। मैं इनको बताना चाहूंगी कि नेर चौक टाउन नेशनल हाईवे बाई पास बनने के बाद लोक निर्माण विभाग को हैंडओवर कर दिया गया है। यू.एल.बी. का जो काम है तो जो जमीन विभाग के पास है वहां पर पूरी नालियां बनाई जा रही हैं। विभाग के पास लगभग 10 करोड़ रुपये की राशि है और इसके अतिरिक्त 33 लाख रुपये और दे रहे हैं। लेकिन माननीय सदस्य 15 किलोमीटर नालियों की बात कर रहे हैं और ये सड़क के दोनों तरफ सात-सात किलोमीटर है तो 14-15 किलोमीटर एरिया बनता है, यह काम लोक निर्माण विभाग का है क्योंकि ये रोड स्टेट पी.डब्ल्यू.डी. में आ गया है। इसलिए इसे लोक निर्माण विभाग मैंटेन करेगा। So, there is no confusion. माननीय सदस्य वहां पर अपने लैवल पर लोक निर्माण विभाग से संपर्क

करें। जो एरिया लोक निर्माण विभाग का है उसको वे मैंटेन करेंगे और हमारे पास जो नालियां हैं, उनको हम पूरी तरह से मैंटेन करेंगे और इसके लिए धनराशि दी भी गई है और भी दे देंगे।

प्रश्न संख्याः 1449

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार और श्री जवाहर ठाकुर जी, क्या आपको सप्लीमैंटरी पूछनी है?

श्री विनोद कुमारः नहीं, हमें जवाब मिल गया है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री सुख राम जी, आप पूछिए।

श्री सुख रामः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व सैनिक कोटा और दिव्यांग कोटे का जो बैकलॉग है उसमें 244 और 73 पोस्टें एडवरटाईज़ की गई हैं तो क्या ये सारी पोस्टें भर दी जाएंगी?

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में जब से यह सरकार बनी है और उससे पहले जो नियुक्तियां या प्रमोशन्ज़ हुई हैं, मैं उन सबका ब्योरा देना चाहूंगा। दिनांक 1.1.2013 से ले करके दिनांक 31.07.2019 तक का सारा ब्योरा मेरे पास है। दिनांक 1.1.2013 से 31.12.2017 तक पांच वर्षों में कुल 7131 नियुक्तियां हुई थी। जबकि नई सरकार ने 27 दिसम्बर, 2017 को शपथ ग्रहण की थी। दिनांक 1.1.2018 से 31.07.2019 तक केवल डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में 4748 नियुक्तियां हुई हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में कितनी नियुक्तियां हुई हैं? पूर्व सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में 3290 प्रमोशन्ज़ की गई थी और उसके बाद नियुक्तियां की गई। हमारे कार्यकाल में केवल डेढ़ वर्ष में ही 1137 प्रमोशन्ज़ कर दी गई हैं। यह दिनांक 31.07.2019 तक का ब्योरा है। दिनांक 23.08.2019 को 355 प्रवक्ताओं की नियुक्तियां की गई हैं। इसी प्रकार से डेढ़ वर्ष में उच्चतर शिक्षा विभाग में 2221 नियुक्तियां की गई हैं। जबकि पूर्व सरकार के पूरे कार्यकाल में अंशकालीन कर्मचारी से ले करके प्रिंसीपल तक केवल 3026 नियुक्तियां की गई थी।

27.08.2019/1155/RKS/YK-1

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसमें मैं यह बताना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों के पदों के बैकलॉग को भरने के लिए श्रेणीवार सभी सैल्स को रिक्विज़िशन भेज रखी है। जैसे ही रिक्विज़िशन आ जाएगी हम इन पदों को तुरंत भर देंगे।

कर्नल इन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर दिया है उसके अनुसार भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्तियों की संख्याः 244 बताई गई हैं जोकि बहुत ज्यादा है। टी.जी.टी., मैडिकल और टी.जी.टी. नॉन मैडिकल के पदों को भरने के लिए भूतपूर्व सैनिक नहीं मिलते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यदि ये पद भूवपूर्व सैनिक कोटे से नहीं भरे जाते तो क्या इन पदों को wards of ex-serviceman से भरा जाएगा?

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न उचित है क्योंकि टी.जी.टीज. उन्हें लगाया जाता है जिन्होंने बी.एड. की हो। इसमें भूतपूर्व सैनिक मिलने कठिन होते हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जहां पर भूतपूर्व सैनिक नहीं मिलते हैं वहां पर ये रिक्तियां wards of ex-serviceman से भरी जाती हैं। आजकल सभी डिप्टी डायरैक्टर्ज़ ऑफिसिज़ में ward of Ex-serviceman के नाम मांगे जा रहे हैं। इस वर्ग से कुछ स्थानों पर शास्त्री, एल.टी. इत्यादि के पद भर भी दिए गए हैं। आगे भी जैसे-जैसे हमारे पास सूची आएगी, हम इन पदों को भर देंगे।

श्री विनोद कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में अभी बहुत-से प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल अपग्रेड किया गया है लेकिन उन स्कूलों में कला अध्यापकों के पद सृजित नहीं किए गए हैं। जिन्होंने इस विषय पर ट्रेनिंग की है वे लोग पिछले कल माननीय मुख्य मंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री से मिलने आए थे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो स्कूल अपग्रेड किए गए हैं क्या उन स्कलों में कला अध्यापकों के पद सृजित किए जाएंगे?

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व सरकारों के समय से कला अध्यापकों का पद डाइंग कैडर में है। जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है तो अगला पद स्वतः ही

समाप्त हो जाता है। इस विषय में बहुत सारे लोग मिलने भी आ रहे हैं लेकिन अभी तक कला अध्यापकों के पद सृजित करने बारे में कोई विचार नहीं है। पार्लियामैंट द्वारा जो Right of Education का एक्ट बनाया गया है उसमें यह प्रावधान है कि जिन मिडिल स्कूलों में 100 तक बच्चे होंगे वहां पर शास्त्री और ड्राइंग मास्टर के पदों को भरना आवश्यक नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे पद सृजित होंगे हम उन स्कूलों में भी इन पदों को भरेंगे। हमारी प्राथमिकता है कि पहले हाई और सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में एल.टी. या ड्रांईंग मास्टर के पदों को भरा जाए लेकिन जैसे-जैसे अध्यापक उपलब्ध होंगे हम उन मिडिल स्कूलों में इन पदों को भरेंगे जहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा होगी।

श्री विनोद कुमारः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या सौ से अधिक होगी वहां पर ड्राइंग मास्टरों के पदों को सृजित किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन स्कूलों में 90 बच्चे होंगे और वे बच्चे ड्राईंग पढ़ना चाहेंगे तो उन बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस कंडिशन को समाप्त किया जाए ताकि उन स्कूलों में भी ड्राइंग मास्टर्ज़ के पद सृजित किए जा सकें।

27.08.2019/1200/बी0एस0/ए0जी0-1

शिक्षा मंत्री : माननीय सदस्य कंफ्यूज कर रहे हैं, मैंने सीधे तौर पर कहा है कि इसमें ड्रांइग मास्टर और शास्त्री है। माननीय सदस्य का संबंध ड्रांइग मास्टर से है। मैंने इन्हें कहा कि यह कानून हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने नहीं बनाया है यह कानून लोक सभा में बना हुआ है। उसमें यह प्रावधान है। परंतु उसके बावजूद भी धन की उपलब्धता होगी तो पद सृजित होंगे और हम माध्यमिक स्कूलों में भी 100 से कम संख्या वाले विद्यार्थियों के लिए भी पद भरेंगे। उस एक्ट में कहीं भी रोक नहीं है। लेकिन उसमें यह लिखा गया है कि जहां पर 100 से कम बच्चे हों वहां पर शास्त्री और कला अध्यापक देने की आवश्यकता नहीं है। यदि उच्च माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों की रिक्तियां भर

देंगे उसके बाद माध्यमिक स्कूलों में भी यदि संख्या अधिक होगी, उसमें चाहे 100 से भी कम बच्चे होंगे, पदों की उपलब्धता के अनुसार हम वहां पर इन्हें भर देंगे।

प्रश्न काल समाप्त

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्यः

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री माननीय सदन को इस सप्ताह की कार्य सूची से अवगत करवाएंगे।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जो इस प्रकार से हैः-

मंगलवार, 27 अगस्त, 2019 शासकीय एवं विधायी कार्य

बुधवार, 28 अगस्त, 2019 शासकीय एवं विधायी कार्य

वीरवार, 29 अगस्त, 2019 शासकीय एवं विधायी कार्य गैर सरकारी कार्य दिवस

शुक्रवार, 30 अगस्त, 2019 शासकीय एवं विधायी कार्य

शनिवार, 31 अगस्त, 2019 शासकीय एवं विधायी कार्य

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18; और

ii. हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, हमीरपुर के नियम, 2004 के नियम 16 के उप-नियम 12 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, हमीरपुर का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-2019 ।

अध्यक्ष : अब माननीय कृषि मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 45(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि, विश्वविद्यालय, पालमपुर का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 (विलम्ब के कारणों सहित);
ii. बीज़ अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बीज़ एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण अभिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18; और
iii. हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 45(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि, विश्वविद्यालय, पालमपुर के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 (विलम्ब के कारणों सहित) ।

अध्यक्ष : अब माननीय उद्योग मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, वरिष्ठ मुख्य प्रारूपकार, वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-II(बी)2-7/2015 दिनांक 28.01.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.02.2019 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, प्रसार अधिकारी (उद्योग), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-II(बी)2-4/2013

दिनांक 07.06.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 09.07.2019 को प्रकाशित;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, रेशम निरीक्षक, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-II (बी)2-2/2013 दिनांक 19.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 25.11.2017 को प्रकाशित; और

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, मलबरी अधीक्षक/अनुसंधान सहायक/तकनीकी पर्यवेक्षक/वरिष्ठ रेशम निरीक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-II(बी)2-8/2015 दिनांक 07.06.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.07.2019 को प्रकाशित ।

अध्यक्ष : अब माननीय वन मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2015-16 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत हिमाचल पथ परिवहन निगम के 44वें वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 ।

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। श्री राकेश पठानिया, सभापति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री राकेश पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2019-20), समिति का 17वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के प्रथम् मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन निगम सीमित से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब कर्नल इन्द्र सिंह, , सभापति, जन-प्रशासन समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

कर्नल इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जन-प्रशासन समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

i. समिति का सप्तम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 24वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है;

ii. समिति का अष्टम् प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि कार्मिक विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

iii. समिति के 21वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 14वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15)में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष : अब श्री हीरा लाल, सभापति, सामान्य विकास समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री हीरा लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2019-20), समिति के 13वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2008-09) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 29वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12)में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि परिवहन विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण नियोजन समिति (वर्ष 2019-20), समिति का 13वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि पशुपालन विभाग की गतिविधियों से सम्बन्धित संवीक्षा पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

27.08.2019/1205/DT/AG/-1

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

अध्यक्ष : अब माननीय शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन)विधेयक,2019(2019 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

शिक्षा मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन)विधेयक,2019(2019 का विधेयक संख्यांक 8)" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन)विधेयक,2019(2019 का विधेयक संख्यांक 8)" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन)विधेयक,2019(2019 का विधेयक संख्यांक 8)" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार,

अनुमति दी गई।

अब माननीय शिक्षा मंत्री "हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन)विधेयक,2019(2019 का विधेयक संख्यांक 8)" को पुरःस्थापित करेंगे।

शिक्षा मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से " हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन)विधेयक,2019(2019 का विधेयक संख्यांक 8)" को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : "हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन)विधेयक,2019(2019 का विधेयक संख्यांक 8)" पुरःस्थापित हुआ।

अब माननीय शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 9)" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

शिक्षा मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 9)" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 9) " को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 9)" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार,

अनुमति दी गई।

अब माननीय शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 9) को पुरःस्थापित करेंगे।

शिक्षा मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से "हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2019 (2019का विधेयक संख्यांक 9)" को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 9) पुरःस्थापित हुआ।

नियम -130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

अध्यक्षः अब नियम -130 के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र ठाकुर जी द्वारा 21.08.2019 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी । ठाकुर साहब आपका विषय पूरा आ गया था?

श्री नरेन्द्र ठाकुरः जी, सर पूरा आ गया था।

अध्यक्षः अब श्री जगत सिंह नेगी जी इसमें अपनी बात कहेंगे।

श्री जगत सिंह नेगीः(किन्नौर)माननीय अध्यक्ष महोदय,माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र ठाकुर जी ने जो नियम -130 के तहत प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हू। अध्यक्ष महोदय, यह जो हिमकेयर और इसके साथ सहारा योजना के बारे में विचार रखे गए हैं उसमे मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो हिमकेयर स्कीम है इसका नाम बदला गया है । यह स्कीम पिछली सरकार के समय में भी थी और नाम बदल कर इसको अब हिमकेयर किया गया है। सहारा योजना एक और अलग से स्कीम निकाली गई है और इसके साथ में आयुष्मान भारत स्कीम भी है। इस तरह ये तीन-चार स्कीमें आ गई। इससे जो आम जनता में बड़ा भारी कंफ्यूज़न क्रिएट हो गया है कि कौन से केयर में हम जाए, कौन सा सहारा ले। चौथी स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी का राहत-कोष भी है। क्या इन सभी स्कीमों को एक स्कीम में डाल कर लोगो को कंफ्यूज़न से दूर करेंगे। दूसरी बात जो सहारा योजना में आपने पैसा रखा है, केवल मात्र दो हजार रूपये रखे हैं और कहते है कि दो हजार रूपये में कैंसर का इलाज़ भी हो जाएगा, हार्ट का इलाज़ भी हो जाएगा। अब कैंसर के इलाज़ के लिए अगर अच्छे हॉस्पिटल में हम इलाज़ करवाते है तो इसके किमो के लिए डेढ़ लाख खर्चा है। दो हजार रूपये में कौन सा इलाज़ आप सहारा योजना में करवाएगे।

27-08-2019/1210/डी.सी.-एन.जी./1

यदि आप एंजियोग्राफी की बात करें तो वह भी 10-12 हज़ार रुपये से कम में नहीं होती। इसके इलावा एंजियोप्लास्टिक डिपेन्ड करता है कि कितने ब्लॉकेज़ हैं और एक-एक ब्लॉकेज़ को ठीक करने में 75-75 हज़ार रुपये से अधिक खर्च होता है। मैं कहना चाहता हूं कि ये सहारा योजना केवल नाम का सहारा है क्योंकि इससे किसी को कोई सहारा नहीं मिल रहा है, यह केवल एक आई वाश है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने राहत कोष 20 करोड़ रुपये और सहारा योजना में 14 करोड़ रुपये रखे हुए हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, राहत

कोष से भी चिकित्सा के लिए खुल कर दे रहे हैं। अपने विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 1.5 सालों में लगभग चार करोड़ रुपये से अधिक दे दिए हैं। इसे देख कर ऐसा लगता है कि प्रदेश के सभी बीमार लोग माननीय मुख्य मंत्री जी के विधान सभा क्षेत्र में हैं। शेष विधान सभा क्षेत्रों में, किसी को 10 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 20 लाख रुपये ही दिए हैं। इन सब को देख कर मुझे लग रहा है कि यह राहत नहीं बल्कि चुनाव की तैयारी है और एक-एक वोटर को रिझाने का काम हो रहा है। हिम केयर योजना में आपने 193 अस्पताल लिस्टड किए हैं जिनमें इसका लाभ उठाया जा सकता है। हमारे जनजातीय क्षेत्र में जो अस्पताल/सी.एच.सी. आपने बताएं हैं, वहां पर कोई भी विशेषज्ञ नहीं हैं। रिज़नल अस्पताल किन्नौर में बड़ी मुश्किल से अभी कुछ समय पहले एक विशेषज्ञ आया है, जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं। लाहौल हैड क्वाटर में एक भी विशेषज्ञ नहीं है, आपके जितने भी सी.एच.सी. पांगी या भरमौर में हैं, उनमें कोई भी विशेषज्ञ नहीं है। वहां पर तो एम.ओ. भी बड़ी मुश्किल से मिलता है और कई स्थानों पर तो ताले लगे हुए हैं। आपने जो 193 अस्पताल चिन्हित किए हैं ये हमारे किसी काम के नहीं है। इन सभी योजनाओं को कंसोलिडेट करके एक अच्छी योजना बनाई जाए, जिसमें एक रीयलिस्टिक अमाउंट हो और आज के समय में जितना खर्चा होना है उसे दिया जाए, ऐसा करने से बेहतर फायदा होगा। आपके द्वारा दो हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं, उसमें आप कोई जांच नहीं कर सकते। यदि फुल बॉडी की जांच करवानी हो तो एक अच्छे अस्पताल में पांच हज़ार रुपये से कम में नहीं होती। ब्लड, आर.एफ.टी., एल.एफ.टी. और अन्य सभी प्रकार के टैस्ट का ही खर्चा दो हज़ार रुपये से अधिक है। माननीय मंत्री जी इस विषय पर आप अपना विशेष ध्यान लगाएं। दूसरी बात जो कैंसर से सम्बन्धित है, यह हिमाचल में बहुत अधिक फैल रहा है। आपका कैंसर अस्पताल बहुत ही दयनीय स्थिती में हैं। वहां पर आज भी पुराने ज़माने के यंत्र उपयोग किए जा रहे हैं जो आज के समय में सभी फेल हैं। आप Nuclear Medicine देते हैं, उसका सिस्टम भी पूरी तरह फेल हो चुका है। मैने प्रश्न भी किया था कि कैंसर का अस्पताल जो कि निर्माणाधीन है, यह कितने बैडिड होगा, इसमें किस तरह की सुविधाएं होंगी, आपने उसका जवाब नहीं दिया। आज के समय में जो भी

इसमें ट्रीटमैंट था, वह बहुत पुराना हो गया है। आज बड़े अफसोस की बात है कि आई.जी.एम.सी. में जो कीमो होती है, वे कहते हैं कि कीमो के लिए दवाई खरीदो और जा कर अपने वहां लगाओ। कैंसर के ट्रीटमैंट में कीमो एक टैक्निकल तरीके से लगाई जाती है। उसके लिए आपको मरीज को एडमिट करना पड़ता है, उसके खून की जांच करवानी पड़ती है और फिर जा कर कीमो थैरेपी शुरू की जाती है लेकिन यहां पर सीधे कीमो की बोतल खरीदो और कोरिडोर में खड़े हो कर एक नीडल के साथ, जिस तरह से ग्लूकोज़ चढ़ाते हैं, उसी किस्म से उसमें भी लगाते हैं। आप बताएं कि कैंसर के कितने मरीजों को आप आज तक बचा पाएं? (***) इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तभी ये तीन-तीन, चार-चार जो आपने स्कीमें चलाई हुई हैं, इसका ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है। इस पर आप विशेष ध्यान दें, यही मैं कहना चाहता हूं। साथ में जनजातीय क्षेत्रों में आप जो मशीनों की बात करते हैं, एक पैट स्कैन की मशीन लाने में आप दो-दो साल लगा रहे हैं। सिम्पल सी मशीन है, वह कितने की आती है?

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया ।

आप कह रहे हैं कि उसको लगाने के लिए वहां से इंजीनियर्ज़ आएंगे। इलैक्ट्रिफिकेशन के लिए अलग से टीम आएगी लेकिन तब तक तो पता नहीं कितने मरीज ऊपर पहुंच जाएंगे? तो ये छोटे-छोटे काम हैं, जो एक-एक दिन में हो जाते हैं और आज की डेट में तो बाजार में शैल्फ के ऊपर मिलता है। हमने किन्नौर के अंदर एक

27/8/2019/1215/RG/DC/1

थ्री डी अल्ट्रासॉउन्ड की मशीन जो पी.जी.आई. में भी नहीं लगी थी, हिमाचल में तो थी ही नहीं, हमने उसको रिकॉर्ड समय में इन्स्टॉल किया और वह 65,00,000/-रुपये की मशीन जर्मनी से डायरैक्ट आई। हमने लोकल एरिया डवलपमेंट फण्ड से उसकी फण्डिंग की और वहां डॉक्टर भी रहा। अब आज के समय में वह थ्री डी वाली मशीन धूल चाट रही है क्योंकि आपने वहां से रेडियोलॉजिस्ट को भगा दिया। आप उस मशीन का उपयोग करिए।

हमें 300-300 किलोमीटर दूर खाली एक अल्ट्रासॉउन्ड के लिए आना पड़ता है, रामपुर में भी नहीं है। तो वहां इस प्रकार की दयनीय स्थिति है। आप इस पर ध्यान दीजिए। हम जानते हैं कि आज आपके पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्ज नहीं हैं परन्तु एक तरीका किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने उड़ान-I, उड़ान-II की बड़ी-बड़ी बातें की हैं। मेरे जनजातीय क्षेत्रों में कोई भी उड़ान नहीं है। मुख्य मंत्री जी सारी-की-सारी उड़ान गैर-जनजातीय क्षेत्रों में लगा रहे हैं।---(व्यवधान)---मैं हिम केयर पर ही आ रहा हूं, I am formulating, आपके केयर में ही आ रहा हूं। आप पहले सुनिए। उड़ान में आप क्या कर सकते हैं कि स्पेशलिस्ट्ज डॉक्टर्ज की एक टीम बनाइए, अगर आप हमें लगातार वहां डॉक्टर नहीं दे सकते हैं तो डॉक्टर्ज को हैलिकॉप्टर में बैठाइए, जैसे आपने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एम्स के डॉक्टर लाकर कोई एक घण्टे का भाषण दिया, जैसे कि पहली बार किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ हो। वह तो जिस डॉक्टर ने अगर पहली बार ट्रांसप्लांट किया, तो उसने भी इतना लंबा भाषण नहीं दिया होगा, जो आपने यहां दिया। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि 4-5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्ज को बुलाकर हैलिकॉप्टर में वहां भेजें। हम यह नहीं कहते कि आप वहां हफ्ते में डॉक्टर लाइए। हर दस दिन में जनजातीय क्षेत्रों का टूर कीजिए, उनको विश्राम गृहों में रहने की व्यवस्था कीजिए। आप पहले रोगी की स्क्रीनिंग करके रखिए और फिर ट्रीटमेंट देकर उन डॉक्टर्ज को वापस ले आइए। जब तक आपके पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्ज नहीं आते तब तक आप ऐसा कर सकते हैं। इसलिए यह जो हिम केयर है, इसमें हमें केयर कीजिए, आप हमें इसमें 'सहारा' में सहारा दीजिए। मुख्य मंत्री जी का जो बीस करोड़ रुपये का राहत कोष है, क्यों सिर्फ सिराज के क्षेत्र में चार-चार करोड़ रुपये दिया जा रहा है? मैं थोड़ा-बहुत जनजातीय क्षेत्रों की ओर भी इनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ताकि हमें भी उसका कुछ फायदा हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक अलग से विचार कीजिए और इन योजनाओं में पैसा निकालकर कुछ कीजिए। जो 'आयुष्मान योजना' भारत में चल रही है, उसका भी हमें कोई फायदा नहीं है। वहां कोई अस्पताल ही नहीं है जिसमें इलाज करवाएंगे, कहां जाएंगे, आप बताइए? इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें तभी आगे जाकर हमें फायदा हो सकता है। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी, वैसे तो आप श्री जगत सिंह नेगी जी की वार्ता का उत्तर भी देंगे और आगे जो भी माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेंगे, उनका उत्तर भी देंगे। मैं एक शब्द के ऊपर आपत्ति करना चाहूंगा। इन्होंने कहा है कि '**आपके ट्रीटमेंट से 99 प्रतिशत लोग ऊपर चले गए।' इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए।**
अब श्री राकेश पठानिया जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राकेश पठानिया(नूरपुर) : अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अन्तर्गत जो श्री नरेन्द्र ठाकुर जी ने यहां प्रस्ताव रखा है, कि "प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही 'हिम केयर' व 'सहारा' योजनाओं पर यह सदन विचार करे।" नेगी साहब, कृपया दो मिनट के लिए आप हमारी बात सुन लें। हमने भी आपकी बात बहुत ध्यान से सुनी है।
वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि इनकी मास्ट्री है, यदि निगेटिविटी में किसी ने पी.एच.डी. की हुई है, तो वह नेगी जी ने की है।

अध्यक्ष : पठानिया जी, आप अपना विषय रखिए।

श्री राकेश पठानिया : यदि किसी विषय की बाल की खाल निकालना हो तो नेगी को खड़ा कर दीजिए। कहां 'हिम केयर' के विषय पर चर्चा चल रही है, भाई श्री नरेन्द्र ठाकुर जी ने बहुत बढ़िया तरीके से सारा विषय यहां रखा और बताया कि कितने लोगों को अभी तक इसका फायदा हुआ है। कितने करोड़ रुपये लोगों के ऊपर इसके खर्च किए गए और आप कहां घूम रहे हैं कि कैन्सर में बेड़ा गर्क हो गया। कैन्सर में इनके समय में जो कोबाल्ट की मशीनें लगी थीं, अब जाकर इस सरकार ने उसको चेन्ज किया और नई टैक्नौलौजी को लेकर आए। इनकी सरकार के समय रेडियेशन की नई टैक्नौलौजी, the new technology of Radiation जिसको लीनियर ऐक्सीलरेटर कहते हैं, वह इनकी सरकार ने खरीदा और साढ़े तीन साल तक वह टांडा, कांगड़ा में पैक्ड पड़ा रहा, हमने उसको आकर खुलवाया। साढ़े तीन साल लिनियर ऐक्सीलरेटर पैक्ड पड़ा था और टांडा में रखा जबकि कैन्सर अस्पताल शिमला में है।

27/08/2019/1220/MS/HK/1

श्री जगत सिंह नेगी जी, आप तो उस समय डिप्टी स्पीकर थे, क्या आप तब सोये हुए थे? आप तब क्या कर रहे थे? साढ़े तीन साल तक 19 करोड़ रुपये की मशीनें आपकी टांडा में पड़ी रही और सड़ती रही जबकि कैंसर अस्पताल शिमला में था। वह कौन सा कैंसर

अस्पताल था जिसकी बिल्डिंग का पत्थर माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने रखा था? आपने क्या किया और आप क्या करते रहे? आपका कैंसर का कितने बिस्तरों वाला अस्पताल है? कितने साल आपके मुख्य मंत्री और आपकी सरकार रही और उसके बावजूद 50 बिस्तरों वाला अस्पताल बना? What you have been doing all these 50 years? आप एक अतिरिक्त बिस्तर उसमें नहीं लगा सके और आप यहां कैंसर की रेडिएशन के बारे में रो रहे हैं? हिमाचल प्रदेश सरकार कैंसर के मरीज़ों का बिल्कुल मुफ्त उपचार करती है यानी मरीज़ से उपचार के लिए एक पैसा भी नहीं लिया जाता है। Then why he is quoting it.----(..व्यवधान..) ये सारा उपचार फ्री है, यह बात मुझे भी पता है।

Speaker: Rakesh Ji, please, refer to the Chair.

श्री राकेश पठानिया: मैं पैट स्कैन पर भी आता हूं। ---(interruption)--- I don't have to answer you, I will answer to the Hon'ble Chair and to the Hon'ble Health Minister, who is going to make reply to this discussion. I must say PET SCAN has been now taken care of. Hon'ble Health Minister has already given this information in his statement which he has made on the Floor of the House that the land has been acquired for EBUS and PET SCAN in Shimla and both these machines are coming to Shimla within next three to six months. For this I thank the Hon'ble Chief Minister and the Hon'ble Health Minister (..व्यवधान..) आप लोग ज़रा ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। उसके लिए लैण्ड अब आइडेंटिफाई हो गई है और ट्रांसफर भी हो गई है। एन0जी0टी0 ने जो बैन लगाया हुआ था उसको भी मंत्री जी ने वकेट करवाया है और अब वहां फुल-फ्लैज्ड कन्स्ट्रक्शन का काम चल पड़ा है तथा बहुत ही जल्दी वहां एक मॉडर्न अस्पताल होगा। (..व्यवधान..) सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी, सुन लीजिए। माननीय नेगी जी, आप भी इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। वहां मेरे साथ चलिये। (..व्यवधान..)सुक्खु जी, सुन लीजिए। (..व्यवधान..)

अध्यक्ष: कृपया आपस में बात मत कीजिए।

श्री राकेश पठानिया: आज के दिन में टांडा में (..व्यवधान..) आप लोग चुप हो जाइए। जब आप लोग बोलते हैं तब हम लोग बीच में नहीं बोलते हैं। (..व्यवधान..) मुकेश जी, आप बैठ

जाइए और आप चिन्ता न करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी को बधाई दूंगा कि आज टांडा में कैंसर का अस्पताल बहुत बढ़िया चल रहा है और most ultra modern hospital is functioning in Tanda और हमारे सारे मरीज़ कीमोथैरेपी के लिए टांडा जा रहे हैं, उनको शिमला आने की आवश्यकता नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात मैं और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो शब्द आपने एक्सपंज करवाए हैं उसमें मेरा यह कहना है कि अगर 100 मरीज़ों ने शिमला में अपना उपचार करवाया है तो उसमें से कम-से-कम 80 प्रतिशत मरीज़ बच गए हैं और जीवित हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

लेकिन ऐसा लगता है कि किन्नौर के लोग ही मरते हैं और बाकी जगहों के बच जाते हैं। (..व्यवधान..)

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आप चेयर को सम्बोधित करें।

श्री राकेश पठानियाः माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे मित्र कह रहे थे कि 4 करोड़ रुपये का उपचार केवल मुख्य मंत्री जी के सिराज के लोगों ने ही करवाया। मैं बताना चाहता हूं कि मैं जितनी बार भी मुख्य मंत्री जी के पास लोगों के कागज़ लेकर गया, मुझे वहां पर 2-4 कांग्रेस के विधायक जरूर मिलते हैं। वे भी हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों के कागज़ लेकर वहां आए होते हैं। (..व्यवधान..) मैं अपने मित्र माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि Himachal Pradesh is the first State to bring' HIMCARE' in India. हिन्दुस्तान में अगर कोई प्रदेश "हिम केयर योजना" को लेकर आया है तो वह हिमाचल प्रदेश है। (..व्यवधान..) आप लोगों को गलतफहमी है। आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया इसीलिए तो आप लोग उधर बैठे हो और अगली बार वहां भी नहीं रहोगे।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री राकेश पठानियाः माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे मित्र बोल रहे हैं कि फुल बॉडी स्कैन के लिए आपने क्या रखा है? अरे यार, फुल बॉडी स्कैन अमीरों की बीमारी है, गरीबों के लिए तो यह "हिम केयर योजना" बनी है जो गरीब गांव में रहता है और जहां आप जाते ही नहीं हैं।

27.08.2019/1225/जेके/एचके/1

यह हिम केयर उस आदमी के लिए बनी है, जिसके पास कोई योजना नहीं है और जिसके पास कोई पैसा नहीं है। मेरे पास एक 21 साल का लड़का चार दिन पहले आया, गलत दवाई खाने से उसकी दोनों किडनी फेल हो गईं। मैंने उसको एडमिट करवाया और पूछा कि क्या आपका हिम केयर का कार्ड बना हुआ है? उसने छोटा सा मंदिर बना कर, हिम केयर का कार्ड उसके अन्दर रखा हुआ था। यह मैंने साक्षात अपनी आंखों से देखा। उसके लिए वह हिम केयर का कार्ड एक भगवान के रूप में आया है। विपक्ष के हमारे साथी कह रहे हैं कि किसी को फायदा ही नहीं हो रहा है? आज हिम केयर का कार्ड सारे पैकेजिज़ कवर कर रहा है, हर रोज़ इसमें नए पैकेजिज़ एड किए जा रहे हैं। अभी तो यह शुरू हुआ है, इसमें हर किस्म का पैकेज एड होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह जो हिम केयर का इशू है,---(Interruption)---. I am thankful to the Government of India for bring AYUSHMAN BHARAT. आयुष्मान भारत के बाद जो हिम केयर हमारी सरकार लाई है, it is another 'feather in the hat'. इसके साथ आज कम-से-कम 30 लाख एक और 22 लाख लोग एक, यानि हिमाचल प्रदेश की 80 से 90 प्रतिशत पॉपुलेशन इसमें कवर हुई है। यह इतना आसान कार्ड है कि हजार रुपये के अन्दर परिवार के पांच लोगों को पूरी-की-पूरी इन्श्योरैंस इसमें मिल रही है। वह पांच लोगों के परिवार का एक कवच है जो केवल एक हजार रुपये में उनको मिल रहा है। ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्षः मेरा विपक्ष के नेता से आग्रह है कि प्लीज बैठे-बैठे न कहें और माननीय सदस्य आप अब वाइंड अप करें।

श्री राकेश पठानियाः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये हर किस्म के लांछन लगाए और हम वाइंड अप कर दें? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है और मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इसको पंचायती राज स्तर के ऊपर प्रॉपगेट करें, पंचायती राज विभाग को

इसके साथ जोड़ें और आदरणीय पंचायती राज विभाग के मंत्री जी भी आपके साथ ही बैठे हैं। इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार किया जाए और ज्यादा से ज्यादा इसको पॉपुलर किया जाए। इस विषय को ग्राम सभाओं में लाया जाए। हर ग्राम सभा में इस विषय को ला कर लोगों को इसके बारे में शिक्षित किया जाए ताकि गरीब आदमी, जिसके लिए यह कार्ड बना है, जगत सिंह नेगी जी फुल बॉडी स्कैन के लिए नहीं बना है, यह कार्ड गरीब आदमी के लिए बना है, उस गरीब आदमी तक इस सरकार का संदेश जाए कि यहां पर आपकी सरकार बैठी है, आपके दुख के लिए हम खड़े हैं और आपके दुख के लिए भाजपा सरकार खड़ी है, इस दुख की खड़ी में यह सरकार आपके साथ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय ऐसा है इसमें अगर मैं दो घंटे भी बोलूं तब भी इनको शर्म नहीं आएगी लेकिन जो आपने मुझे यहां पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः माननीय जगत सिंह नेगी जी आपकी तरफ से ही माननीय सदस्य, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी बोल रहे हैं। आप अपना विषय इनको दे दें। श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी आपके ही सदस्य हैं। ...(व्यवधान)...माननीय सदस्य इसमें चर्चा नहीं होती है। माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी, कृपया आप कम-से-कम समय में अपनी बात करें। बाकी सदस्य कृपया बीच में न बोलें।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मंत्री जी के साथ असिस्टैंट मंत्री भी तैयार हो गए हैं। ....(व्यवधान).... हमें कोई तकलीफ नहीं है। यह जो हिम केयर योजना है, जिसके लिए आपने यहां पर हल्ला डाला है, यह हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना हमारी सरकार के समय में शुरू हुई थी। मैं यहां पर सिर्फ यह बताना चाहता हूं। ....(व्यवधान)....

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज अब आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्य, श्री बिक्रम सिंह जरयाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल (भटियात)ः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय विधायक, श्री नरेन्द्र सिंह ठाकुर जी "हिम केयर" व "सहारा" योजनाओं की चर्चा इस सदन में लाए हैं, उसमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधान मंत्री, माननीय श्री जे.पी. नड्डा जी, माननीय मुख्य मंत्री जी तथा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने जाति-धर्म से ऊपर उठ कर यह उत्कृष्ट सोच जनता के हित में रखी । "हिम केयर" असहाय,पिछड़ा वर्ग, अति गरीब और मज़दूर वर्ग के लिए बहुत ही महत्वकांक्षी योजना है। खासतौर से जो बहुत ही गरीब लोग हैं, उनके लिए तो यह संजीवनी बूटी की तरह है।

27.08.2019/1230/SS-YK/1

विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य कैंसर के ऊपर बोल रहे थे तो मैं सभी को यह बताना चाहता हूं कि कोई भी योजना अगर जनता के हित में आती है तो हमें उस अच्छी योजना के लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री, श्री विपिन सिंह परमार जी का भी धन्यवाद करना चाहिए। काफी लम्बे समय से हम भी देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्ज़ में डॉक्टर्ज़ नहीं हुआ करते थे और आज एक छोटा-सा जिला चम्बा है उसमें हमें मेडिकल कॉलेज दिया है। ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्षः बीच में न बोलें प्लीज़। बैठे-बैठे बात न करें प्लीज़।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः मैं जे0पी0 नड्डा जी और माननीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें जिला चम्बा के लिए मेडिकल कॉलेज दिया जोकि एक छोटा-सा जिला है। उस छोटे से जिला के लिए इतना बड़ा कॉलेज दिया। ...(व्यवधान)... मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अभी तक मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना। मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं कि ये हाई कोर्ट में चले गए। इन्होंने वहां जाकर एफ0सी0ए0 की स्टे लगा दी। इनको शर्म नहीं आती। यही नहीं, जब हिम केयर योजना के कार्ड बन रहे थे, उसके लिए भी ये हाई कोर्ट में गए और यह बताया कि आचार-संहिता के दौरान हिम केयर कार्ड नहीं बनेंगे। कौन कोर्ट में गया? आप लोग गए। क्या कोई बीमारी कांग्रेस के लोगों को नहीं हो सकती?

क्यों आप लोग दुविधा में पड़े हो? आप लोग कोर्ट गए और आज बोल रहे हैं कि वह मेडिकल कॉलेज, एम्स नहीं बना। उसका क्या कारण है? ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्षः खड़े-खड़े बात न करें प्लीज़। श्री राकेश जी, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, बीच में न बोले प्लीज़। आप बैठें प्लीज़।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः उसके लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट में गए और वहां पर स्टे लिया। अभी तक हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में पेशियां भुगत रही है। इसलिए ठाकुर साहब, आप कृपया सरकार का धन्यवाद करो। ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्षः बीच में बात नहीं करनी चाहिए। आपने भी विषय रखना और इन्होंने भी अपना विषय रखना है। बिक्रम जी, आप अपना विषय रखें।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः उपाध्यक्ष महोदय, एक बात है। मैं फिर धन्यवाद करूंगा कि पहले हिमाचल में किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होती थी लेकिन आज नेगी जी, ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्षः बिक्रम जी, आप ऐसे नाम रैफर न करें।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः हमारे आई0जी0एम0सी0 शिमला में दो केस किडनी ट्रांसप्लांट के हुए। --(व्यवधान)-- एम्स में भी डॉक्टर्ज़ ही हैं। वे भी हिन्दुस्तान के ही हैं, बाहर से नहीं हैं। वे विशेष रूप से किन्नौर से नहीं हैं। इसलिए वहां पर भी हमारी ही सरकार है। किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। मैं स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि ऐसा इलाज जो हिमाचल प्रदेश में पहले नहीं होता था, उसे यहां लेकर आए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में हिम केयर योजना में हिमाचल प्रदेश की एकल महिलाओं, 80 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों, 70 वर्ष से अधिक दिव्यांगों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं, मिड-डे मील वर्कर्ज़, अंशकालीन कार्यकर्ताओं, दिहाड़ीदारों और अनुबंध कार्यकर्ताओं को भी स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। उनके कार्ड बने हैं। जैसे मेरे छोटे भाई, राकेश पठानिया जी ने बोला है कि पूरे हिन्दुस्तान में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में नम्बर-1 पर है। मैं बताना चाहता हूं कि यह योजना केवल मात्र हिमाचल प्रदेश में है बाकी किसी स्टेट में नहीं है। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी का भी धन्यवाद

करता हूं कि उन्होंने जो आयुष्मान भारत योजना चलाई है वह वर्ल्ड के किसी भी देश में नहीं है। --(व्यवधान)--

उपाध्यक्षः जरयाल जी, आप अपना विषय रखें।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः इसके साथ-साथ हमारी सरकार जो सहारा योजना लेकर आई है उसके लिए भी मैं सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। आपको शायद बुरा लग रहा हो। जो सुविधा लोगों को मिल रही है, आप उसको पचा नहीं पा रहे हैं।

27.08.2019/1235/केएस/वाईके/1

और मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कहूंगा कि इनको हज़म करने की कोई अच्छी सी दवाई दी जाए। माननीय उपाध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश में कम से कम 26 करोड़ रुपये से ज्यादा हिम केयर योजना में खर्च हो चुका है।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग हैं, वे आज अच्छा अनुभव कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि यहां पर कोई सरकार है क्योंकि आज से पहले उनको कभी फील नहीं हुआ कि हिमाचल प्रदेश में भी कोई सरकार थी। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि एक तीन साल की बच्ची को कैंसर हो गया। उसको आई.जी.एम.सी. से पी.जी.आई. रैफर कर दिया। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी को फोन किया कि सर, उसका कार्ड नहीं बना है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि डॉक्टर से अभी एस्टिमेट बनवाकर लाओ, पैसा दे दिया जाएगा । डॉक्टर ने 3.60 लाख रु0 का एस्टिमेट बनाया, उसी समय पैसा सेंक्शन करके उस बच्ची को चण्डीगढ़, पी.जी.आई. भेजा गया।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः माननीय उपाध्यक्ष जी, हम और क्या चाहते हैं? जगत सिंह नेगी जी, भगवान तो न आप हैं और न हम हैं। पता नहीं कौन किस बीमारी से जाएगा? किसको

कैंसर होगा, किसकी किडनी फेल होगी या हार्ट अटैक होना है, इसलिए कृपया भगवान के लिए हां कर दिया करो कि यह सरकार कुछ कर रही है। मैं ज्यादा न कहता हुआ एक बार फिर से आदरणीय प्रधान मंत्री, नड्डा जी, मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी का इतनी अच्छी योजना लाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री इन्द्र दत्त लखनपालः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र ठाकुर जी, हिम केयर व सहारा योजनाओं के बारे में जो प्रस्ताव ले कर आए हैं, उसमें चर्चा करने के लिए आपने समय दिया, आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर पक्ष की तरफ से सरकार की तारीफ़ों के जो पुल बांधे जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात नहीं है। जब आप लोग विपक्ष में इस तरफ बैठते थे तो आप भी बड़ी-बड़ी बातें किया करते थे। विपक्ष में आम जनता को नज़दीक से देखने का समय मिलता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत ढांचे की जो बात है, उसके लिए पूर्व मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी को नहीं भुलाया जा सकता। आप किडनी प्रत्यारोपण की बात कर रहे हैं, जब हम कॉलेज में पढ़ने जाया करते थे तो स्नोडन हॉस्पिटल की एक छोटी सी बिल्डिंग हुआ करती थी। माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने वहां पर बिल्डिंग्ज़ बनवाईं। पहले यहां पर बाईपास सर्जरी नहीं होती थी । वह राजा वीरभद्र सिंह जी की बदौलत सम्भव हुआ है। आज जितने भी बड़े-बड़े भवन वहां पर खड़े हुए हैं, वह कोई डेढ़-दो या पांच-दस साल में खड़े नहीं हुए। इनके समय में पूरे प्रदेश के अंदर हजारों के हिसाब से पी.एच.सीज़. और सी.एच.सीज़. दिए गए हैं। आप लोगों को भी समय मिल रहा है, आप भी करिए। ...(व्यवधान)... सुनने की क्षमता रखिए।

उपाध्यक्षः सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कृपया बीच में न बोलें।

श्री इन्द्र दत्त लखनपालः माननीय उपाध्यक्ष जी, हमें हाउस में हैल्दी चर्चा करनी चाहिए। हमारे आरोप-प्रत्यारोप लगाने से गरीबों का कोई भला नहीं होने वाला है। योजनाएं पहले भी चलती रही हैं। माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के समय में मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना चली थी, आज उसका नाम आपने हिम केयर योजना कर दिया। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। जो सच्चाई है, वह है। यह अलग बात है कि समय के साथ-साथ योजनाओं में कुछ वृद्धि होती है। उनमें कुछ बदलाव करके समय के हिसाब से कम ज्यादा किया जाता है और इस बात को हम भी मानते हैं लेकिन आप कहें कि हमने ही सब कुछ किया है, ऐसा नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, दूसरी बात यह है कि आज पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ तो डॉक्टर अपने आप भी परेशान हैं कि हर तीसरा व्यक्ति या तो किडनी की बीमारी से ग्रस्त है या उसको कैंसर की बीमारी है। आखिर हमारा दायित्व क्या बनता है?

27.8.2019/1240/av/ag/1

केवल गरीब ही बीमार नहीं हो रहे हैं बल्कि मध्यम वर्ग के लोग और अमीर व्यक्ति भी बीमार हो रहा है। ये जो बीमारियां हो रही हैं इनकी रोकथाम के लिए एक हैल्दी चर्चा होनी चाहिए। यहां पर कोई गोल्ड मैडल नहीं मिलने वाला कि हमने यह कर दिया या वह कर दिया; अपने-अपने समय पर सब सरकारों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। आप अच्छे काम करेंगे तो जनता उसके लिए आपको रिवार्ड देगी, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। हर विधायक की अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार समस्याएं होती हैं। यहां पर जनजातीय निर्वाचन क्षेत्र से आए विधायक अपनी-अपनी पीड़ा दर्शा रहे हैं कि वहां पर क्या-क्या समस्याएं हैं। हम उस बारे में सुझाव दे रहे हैं मगर आप उलटे आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं; ऐसे कोई भला होने वाला नहीं है। आप ऐसी बात कीजिए जिससे आम आदमी को लाभ पहुंचे, यहां पर बड़े-बड़े भाषण देकर पर्सनल गोल एचीव करने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए व्यावहारिक तौर पर काम करना पड़ेगा। यहां पर हिम केयर योजना की बात हो या

आयुष्मान भारत की बात हो; इसके तहत लाखों रुपये की राशि इक्टठी हो रही है। सरकार का यह दायित्व होता है कि एक वैल्फेयर स्टेट होने के नाते हमें लोगों की सेवा करनी है और उस सेवा को जनता के बीच पहुंचाने की हमारी जिम्मेवारी होती है। हमने जो योजना चलाई है उसमें और क्या सुधार किए जा सकते हैं; इस बारे में सोचने की जरूरत है। आप लोग भी हॉस्पिटल जाते होंगे, हम भी जाते हैं। आई0जी0एम0सी0 में हमने पहले किसी को नीचे सोते हुए नहीं देखा था। मगर आज वहां पर कहीं खाली जगह ही नहीं होती तथा यही समझ नहीं आता कि मरीज कौन है और तीमारदार कौन है; ये सारी समस्याएं ओवर पोपुलेशन की वजह से आ रही हैं। हमारा जो आधारभूत ढांचा है जिसके तहत हम जनता को लाभ देना चाहते हैं उसके बारे में सोचने की जरूरत है कि इसका एक्सपैंशन कैसे किया जाए। आपने वैल्फेयर के लिए योजनाएं चलाई हैं मगर जो बीमार व्यक्ति है वह हमारे पास आता है। आप हिम केयर की बात ले लो या अन्य किसी योजना की बात ले लो; बड़सर से जो व्यक्ति टांडा मैडिकल कॉलेज, हमीरपुर मैडिकल कॉलेज, आई0जी0एम0सी0 या पी0जी0आई0, चंडीगढ़ के लिए रैफर किया जाता है तो इन योजनाओं का लाभ तो मरीज को तब मिलेगा जब वह एडमिट होगा। मगर एडमिशन के लिए आपके पास बैड नहीं है तो डॉक्टर कहां से बैड देंगे? फिर मरीज का गुस्सा डॉक्टर के ऊपर निकलता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल में अपने टैस्ट करवाने जाता है उसका उसको पैसा देना पड़ता है। ऐसे-ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इतनी दूर जाने के लिए किराया नहीं होता, उन्हें चाहे हम लोग अपनी जेब से पैसे देते हैं या फिर कहीं से इक्टठा करके उनके जाने की व्यवस्था करते हैं ताकि वे अपना उपचार करवा सकें। माननीय मंत्री महोदय, इस बारे में आप विचार करें और प्रावधान करें कि मरीज की जो टैस्ट्स के ऊपर 10-12 हजार रुपये की राशि खर्च होती है उसको भी हिम केयर या आयुष्मान भारत में जोड़ें ताकि मरीज को उसका लाभ मिल सके। डॉक्टर तो यह कहता है कि आप सारे टैस्ट करवाकर आओ फिर आपको दाखिल करेंगे। जब 10-15 दिन बाद सारे टैस्ट करवाकर वह हॉस्पिटल जाता है तो उसको फिर से वहां जगह नहीं मिलती और वह वापिस आ जाता है; इस प्रकार से वह धक्के खाता रहता है। माननीय मंत्री जी, मैं

आपका आज का बयान पढ़ रहा था कि आपने कैंसर को आयुष्मान भारत में लाने के लिए बात की है; ठीक है यह बीमारी हिम केयर में भी सम्मिलित होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य के सबसे बड़े अस्पताल आई0जी0एम0सी0 में पैट स्कैन की सुविधा होनी चाहिए। पिछले कल ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चंडीगढ़ में पैट स्कैन के लिए 25 हजार रुपये की राशि देकर आया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि पता नहीं ऐसे कितने लोग होंगे जो पी0जी0आई0 चंडीगढ़, फोर्टिस या अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल्ज में 25-25 हजार रुपये की राशि खर्च करके पैट स्कैन का टैस्ट करवाते होंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो इस तरह के सुधार करें। यहां आंकड़े दर्शाने से कुछ नहीं होगा, व्यावहारिक तौर पर जो समस्याएं आ रही हैं उस बारे में जागरूक होने की जरूरत है और आप उसमें कुछ करने की कोशिश करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद

27.8.2019/1245/टी.सी.वी./ए.जी.-1

श्री परमजीत सिंहः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र ठाकुर जी ने इस माननीय सदन में रखा है, उस पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद। इस देश में 130 करोड़ लोगों में से ऐसे बहुत से लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। इस देश में आज तक बहुत-सी सरकारें आई, बहुत-से प्रधानमंत्री और मुख्य मंत्री बनें, लेकिन जो कार्य इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है, वह शायद कोई नहीं कर पाये। इस देश व प्रदेश में "प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" का शुभारम्भ दिनांक 23 सितम्बर, 2018 को किया गया। यह एक बहुत ही सराहनीय योजना है क्योंकि इसमें 2011 की जनगणना के आधार पर जो लोग गरीबी रेखा के नीचे पाये गये हैं, उनको शामिल किया गया और जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको 5 लाख रुपये तक का इलाज फ्री में करने का निर्णय लिया गया। यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस योजना के तहत हमारे प्रदेश में भी 22 लाख लोग

पात्र पाये गये। इन पात्र लोगों का इलाज करने हेतु हिमाचल प्रदेश में 199 सरकारी व प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इंपैनल किया गया है। यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य केन्द्र सरकार ने किया है जिसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी और तत्कालीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद करते हैं। इस प्रदेश में बहुत से लोग "आयुष्मान भारत योजना" से छूट गये थे। लेकिन इस प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री व माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गरीबों के मसीहा बनकर आये। मैं उनका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आजकल देश व प्रदेश के अंदर पेस्टिसाइड्स और यूरिया की वज़ह से बहुत-सी बीमारियां फैल रही हैं। जैसा हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि बीमारी कोई धर्म, जाति या पार्टी नहीं देखती और कोई भी व्यक्ति बीमारी का शिकार हो सकता है। लेकिन 5 लाख रुपये की हिमकेयर योजना जो माननीय मुख्य मंत्री और माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी लेकर आये हैं, यह लोगों के लिए एक वरदान सिद्ध हुई है। मै माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस योजना के तहत कार्ड बनाने की निर्धारित अवधि बढ़ाई जाये क्योंकि लोगों को इसके बारे में कुछ समय पहले ही पता चला है। अब लोग इसमें दिलचस्पी लेने लगे हैं। इसलिए इसकी अवधि को बढ़ाया जाये। जैसा माननीय सदस्य श्री रोकश पठानिया जी ने कहा है, मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस योजना का प्रचार करने की जरूरत है। चाहे इसका प्रचार पंचायत के माध्यम से किया जाये या किसी अन्य माध्यम से किया जाये। जब इस योजना का लोगों में प्रचार होगा तो हर व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। इसलिए इसकी डेट कुछ समय के लिए और बढ़ाई जाये, जिससे गरीब जनता इसका लाभ उठा सके।

मैं "सहारा योजना" के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। यह योजना उन लोगों के लिए है, जो पैरालाइज की वज़ह से बिस्तर पर पड़े हुए हैं और उनका कोई सहारा नहीं है। कुछ लोग कैंसर की वज़ह से बिस्तर पर पड़े हुए हैं, उनको 2000/- रुपये प्रति माह देने का बहुत ही सराहनीय कार्य हमारी सरकार ने किया है।

माननीय उपाध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी चर्चा में भाग लेंगे। कृपया समय का ध्यान रखें।

27-08-2019/1250/NS/DC/1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र ठाकुर जी ने हिमकेयर और सहारा योजना के लिए नियम-130 के तहत प्रस्ताव इस माननीय सदन में लाया है, मैं इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं, कुछ बातें माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। हमारे विधायक साथी माननीय जगत सिंह नेगी जी ने बहुत अच्छी बात कही और इस पर सत्ता पक्ष के साथी ने जल्दी ही अपने विचार रखे। छः महीने पहले हमारे सामने वाले साथी (सत्ता पक्ष) बड़ी जोर-जोर से बात करते थे कि लिनीअर एक्सीलरेटर लगना चाहिए और माननीय विपिन सिंह परमार जी के बारे में बड़ी जोर-जोर से बात करते थे। बहुत अच्छा लगता था, जब आप बात करते थे। मैं तो आपकी बात कर रहा हूं। उनकी तड़पन हम भी देख रहे हैं। बात को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उस संदर्भ में हम मानते हैं कि अभी मंत्री परिषद का गठन होना है और उस तड़पन में आप चाहते हैं कि विपिन परमार जी की जगह बैठें। ---(व्यवधान)---

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आप ऐसा न कहें, आप अपना विषय रखें।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी, आपने लिनीअर एक्सीलरेटर लगाया ---(व्यवधान)--- माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। आपको कोई खतरा नहीं है।

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री जी, आप सीनियर व्यक्ति हैं, प्लीज, आप बैठिए। ---(व्यवधान)--

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः जब पठानिया जी बोलते थे तो परमार जी कहते थे कि हम लगा रहे हैं,आप इंतजार कीजिए मैं, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने लिनीअर एक्सीलरेटर लगाया। मेरा कहना है कि लिनीअर एक्सीलरेटर इलाज के काम आता है। माननीय सदस्य ने PET Scan की बात यहां पर कही है कि कैंसर का अर्ली डायग्नोज़ कैसे

हो, कैंसर का पता कैसे लगे और कौन-सी स्टेज़ में आ करके कैंसर होता है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कैंसर का ऐसी स्टेज़ पर आ करके पता लगता है कि उसका इलाज ला-इलाज हो जाता है। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी, आप साईंस स्ट्रीम से रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि PET Scan सिर्फ कैंसर से संबंधित है और यह अर्ली स्टेज़ में कैंसर की बीमारी का पता लगा देता है। अगर हमें अर्ली स्टेज़ पर पता लग जाएगा तो निश्चित तौर पर कैंसर का इलाज समयानुसार हो सकेगा। आज प्रस्ताव हिमकेयर और सहारा योजना से संबंधित है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी आश्वासन दें कि PET Scan यहां पर कब तक लग जाएगा? जहां तक हिमकेयर की बात है तो हमारी सरकार के समय में भी "मुख्य मंत्री स्वास्थ्य योजना" शुरू हुई थी। आपने उसका नाम बदला, ठीक है। मैं, हिमकेयर और सहारा के संदर्भ में, आपके ध्यान में एक और बात लाना चाहता हूं। एक दैनिक भास्कर अखबार है, जिसमें आया था कि दो महीने से हिमकेयर से संबंधित कोई कार्ड नहीं बन रहा है और मैं इसकी कॉपी यहां पर ले कर दूंगा। हिमकेयर में लोगों से इंश्योरैंस की फीस 1100 रुपये ली जाती है। आप अंदाजा लगाईए कि हिमाचल प्रदेश की कितनी जनता ने इंश्योरैंस कंपनी को 1100 रुपये दिए होंगे? उसमें से केवल 26 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। आप आने वाले समय के लिए यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि हिमकेयर के तहत हिमाचल प्रदेश के कितने नागरिक ऐसे हैं जिन्होंने 1100 रुपये देकर एक साल के लिए कार्ड बनवाए हैं? यह कोई परमानैंट नहीं है कि हम एक बार पैसा दे देंगे और हमारा इलाज होता रहेगा। एक साल बाद फिर 1100 रुपये देने पड़ेंगे और अगले साल फिर यह राशि देनी पड़ेगी। मेरा, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से अनुरोध है कि अगर हर साल हम यह राशि देते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि उनके पास इंश्योरैंस के जितने पैस इकट्ठे हुए हैं, क्या उसमें से 30 प्रतिशत इलाज के लिए खर्च हुए या नहीं? मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कुछ हॉस्पिटल और पंजाब के भी कुछ हॉस्पिटल इंपैनल किए गए हैं। कई इंपैनल्ड हॉस्पिटल और इंश्योरैंस कंपनी के बीच सांठगांठ है। कई इलाज जो हिमकेयर, सहारा और आयुष्मान भारत योजना के तहत हो रहे हैं, कई लोग बीमार भी नहीं होते हैं लेकिन इंश्योरैंस कंपनी से पैसे लेने की ऐसी प्रवृत्ति ध्यान में लाई गई है। मैं, आपके ध्यान में यह बात इसलिए लाना चाहता हूं क्योंकि जो प्रदेश और बाहर के

199 अस्पतालों को इम्पैनल किया है, क्या उन अस्पतालों में इलाज़ करने की सुविधा है? कई ऐसे अस्पताल हैं जहां अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे मशीन और चार डॉक्टर्ज़ हैं और उन्हें इम्पैनल कर दिया गया है। उन अस्पतालों में कैंसर या दूसरी बीमारियों का इलाज़ किया जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आने वाले समय में इस योजना के तहत कहीं घपला न हो इस ओर ध्यान दिया जाए। PET Scan जितना जल्दी मैडिलक कॉलेज, टांडा और आई.जी.एम.सी. में लगेगा, उससे लोगों के डायग्नोज़ का तुरंत पता लगेगा। धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विनोद कुमार(नाचन)ः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत हमारे वरिष्ठ सदस्य भाई नरेन्द्र ठाकुर ने प्रस्ताव किया है कि 'प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हिमकेयर व सहारा योजनाओं पर यह सदन विचार करे'। 'हिमकेयर योजना' के ऊपर सभी वरिष्ठ सदस्यों ने काफी विस्तार से अपना-अपना पक्ष रखा है। मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब से आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में यह सरकार बनी है तब से निश्चित तौर पर गरीब लोगों की मदद किस तरीके से की जाए व उनके उत्थान के लिए प्रदेश के मुख्य मंत्री आगे बढ़े हैं। माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व और माननीय मंत्री के सहयोग से 'हिमकेयर योजना' के तहत इस एक वर्ष आठ महीने के कार्यकाल में 6,20,000 परिवारों को लाभ मिला है। इस अवधि में हिमाचल प्रदेश के 33 हजार लोगों का मुफ्त इलाज़ किया गया है। हमारे वरिष्ठ सदस्य कह रहे थे कि इस योजना के माध्यम से 26 करोड़ रुपये ख़र्च किए गए हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस योजना के माध्यम से 26 करोड़ रुपये नहीं बल्कि 34 करोड़ रुपये ख़र्च किए गए हैं। यहां पर अनेक विषयों के ऊपर चर्चा हुई और मैं 'आयुष्मान भारत योजना' का ज़िक्र भी करना चाहूंगा। देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से पूरे भारतवर्ष में 'आयुष्मान भारत योजना' का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के लगभग 4,35,000 गरीब परिवारों के हैल्थ कार्ड बनाए गए। इन काड़र्स के माध्यम से

अनेकों परिवारों के इलाज़ सरकारी अस्पतालों में मुफ्त करवाए जा रहे हैं। पहले जब हम लोगों के बीच में जाते थे तो अधिकतर लोग यही कहते थे कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता था तो पैसा न होने के कारण उसे अस्पताल में सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी। लेकिन जब से 'आयुष्मान भारत' और 'हिमकेयर योजना' की शुरूआत हुई है तब से यह शब्द बहुत कम लोगों से सुनने को मिल रहा है।

27.08.2019/1300/बी0एस0/ए0जी0-1

अब हम अस्पतालों में लोगों से मिलने जाते हैं तो यह सुनने को मिलता है कि हमें हिमकेयर और आयुष्मान योजना के तहत हमारा इलाज हो रहा है। इन योजनाओं का लाभ हजारो-हजारों लोगों को मिल रहा है। इसके साथ-ही-साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हिमकेयर योजना एक बहुत अच्छी योजना है। (घंटी) यह बात सही है कि इस योजना के तहत जो स्मार्ट कार्ड बनने थे उनकी तारीख खत्म हो चुकी है। माननीय मंत्री जी इसकी तारीख को बढ़ाने की कृपा करें क्योंकि आज भी बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं जो हमें फोन पर बताते हैं कि हमने हिमकेयर योजना का कार्ड बनवाना था परंतु तारीख खत्म हो चुकी है। अगर इसकी तारीख को बढ़ाया जाता है तो अन्य गरीब लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। दूसरा माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा कि जब हम कैंसर और किडनी के मरीजों को देखते हैं कि जब वह अस्पताल में दाखित होते हैं तो निश्चित तौर पर जिनके कार्ड बने हैं वे अपना इलाज मुफ्त करवा लेते हैं परंतु जब अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और उसके बाद उन्हें अपनी दवाइयां खरीदनी हो तो उन दवाइयों का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से व स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से निवेदन रहेगा, चाहे कैंसर का मरीज है, चाहे किडनी का मरीज है। जब उन्हें अस्पताल से छुट्टी करके घर भेजा जाता है तो उन्हें उन दवाइयों को हर महीने खरीदना होता है। डाक्ट्र्ज का यही कहना होता है कि आप खाना खाओं या न खाओ परंतु आपको दवाइयां जरूर खानी पड़गी। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि उन दवाइयों को भी इसमें सम्मिलित करने की कृपा करें ताकि उस हालत में ऐसे बीमार लोगों का इलाज बिना पैसे

से हो सके। विशेष तौर से कैंसर, किडनी और हार्ट से कमरीजों की दवाइयों को अवश्य इन काड्र्ज में सम्मिलित करने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया वाईंडअप करें।

श्री विनोद कुमार : यहां पर "सहारा योजना" को ले करके भी बात आई है। हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य कह रहे थे कि सहारा योजना के तहत केंसर और अन्य बीमारियों की बात का जिक्र हुआ है। लेकिन में कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने और माननीय मंत्री जी ने जो सहारा योजना आरंभ की है इस योजना में विशेष तौर से कहा गया है कि ऐसी बिमारी से ग्रस्त मरीज जो घर से बाहर नहीं निकल सकते उन्हें इस योजना के साथ जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार में ऐसे लोगों को हर महीने 2000 रुपए दिया जाएगा। इस तरह का काम यदि हिमाचल प्रदेश में हुआ है तो यह पहली बार हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष : अभी दो अन्य माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लेना है। परंतु भोजनोवकाश का समय हो चुका है, **इसलिए माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 02.05 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।**

27.08.2019/1410/DT/YK/-1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 02.10 बजे अपराह्न पुनः आरंभ हुई)

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री राजिन्द्र गर्ग जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राजिन्द्र गर्ग (घुमारवीं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र ठाकुर जी ने जो प्रस्ताव चर्चा के लिए लाया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वकांक्षी योजना हिमकेयर है। मैं अपने देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत-बहुत

आभार व्यक्त करना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा कि जिन्होंने आयुष्मान एक ऐसी योजना देश के अन्दर लाई है जिसके तहत आम आदमी को अपना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए किसी प्रकार की दिक्कत न हो और वह काम उन्होंने करके दिखाया है। उसी काम को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश के सम्मानीय मुख्य मंत्री आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने जो लोग इस योजना के तहत हिमाचल में कवर नहीं हुए उन्हें कवर करने के लिए हिमकेयर योजना के नाम से योजना चलाई ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति और जो बड़ी आय वाले लोग हैं उनको भी अगर स्वास्थ्य का लाभ लेना है तो वे हिमकेयर योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी योजना जिसका हमारे राष्ट्र पिता महात्मा गांधी जी ने स्वप्न देखा था की गांव के गरीब आदमी का उत्थान होना चाहिए ।उनको हर सुविधा प्रदान होनी चाहिए और इसके साथ डॉ0 अम्बेदकर जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो स्वप्न था की पिछड़ेपन की अंतिम लाइन में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति है उस तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने, नड्डा जी ने और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री विपिन परमार जी ने यह जो अभियान देश और प्रदेश के अन्दर चलाया है उसी उदेश्य की पूर्ति हेतु यह योजना बनी है। ऐसा कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है और किसी को अतिश्योक्ति भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि गरीब से गरीब व्यक्ति जो है जब वह बड़ी बीमारी की चपेट में आ जाता है तो पैसे के अभाव के कारण वह व्यक्ति घर में दुबक कर रह जाता है अपना इलाज़ करवाने में उसको मुश्किल आती है और अपनी बीमारी भी छुपाता है लेकिन समाज की इस पीड़ा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में और प्रदेश में इस पीड़ा को समझा और आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना हिमाचल प्रदेश के अंदर जो चली हुई है इसे सभी लोगो के लिए जो कभी बीमारी की अवस्था में स्वप्न ही देखते थे। हम भी अपनी बीमारी का इलाज़ कहीं किसी बड़े हॉस्पिटल में करवा सके उस स्वप्न को साकार किया है। आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने और आदरणीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने इसको साकार किया है।मैं कहना चाहूंगा कि जब गरीब व्यक्ति इस अवस्था में आ जाता है उसको बीमारी लग जाती है पैसा नहीं होता है फिर भी अगर वह हिम्मत करता है कि मुझे अपना इलाज़ करवाना है तो या तो अपनी जमीन बेचेगा या अपने गहने जेवरात किसी साहूकार के पास भी गिरवी ही रखेगा या किसी साहूकार से

उधार लेकर इलाज करने की हिम्मत करेगा लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय,आदरणीय प्रधानमंत्री जी व मुख्य मंत्री जी ने जो योजना चलाई हुई हैं उसके कारण प्रदेश और देश में किसी भी गरीब बंधू को अपनी इस बीमारी की अवस्था में बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाना पड़ता है तो

27-08-2019/1415/वाई.के.-एन.जी./1

इसके लिए उसे न तो गहने-जेवरात बेचने या गिरवी रखने हैं, न उसे जमीन बेचनी है और न ही किसी साहुकार के चंगुल में फंसने की आवश्यकता है और इसी कारण यह बहुत बड़ी योजना बन गई है। जिस गरीब व्यक्ति के लिए महात्मा गांधी जी ने, डॉ0 अम्बेडकर जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सपना देखा था, वह सपना साकार होते हुए नज़र आ रहा है। आज़ाद भारत में बहुत सारी योजनाएं चली, अनेक योजनाएं गरीबों के लिए भी चली, बड़े-बड़े नारे दिए गए जैसे "फलां का हाथ, गरीब के साथ", "गरीबी हटाओ-गरीबी मिटाओ" और इसके लिए बड़े-बड़े पोस्टर छाप कर वोट मांगे जाते थे। आदरणीय मोदी जी ने इन सब बातों को दरकिनार करते हुए और किसी भी प्रकार का पोस्टर न छापते हुए गरीब के दर्द को समझा और सरकार की योजनाओं को गरीब के घरद्वार तक पहूंचाया। भगवान करे कि सभी सुखी रहें, खुश रहें और किसी पर भी इस प्रकार की कोई विपत्ती न आए। अगर किसी पर इस प्रकार की विपित्त आती भी है तो मोदी सरकार और जय राम सरकार उनके साथ खड़ी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिम केयर योजना के तहत लोगों को कैसे लाभ मिल रहा है, उसका छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा। पिछले दिनों मैं हमीरपुर के अस्पताल में किसी मरीज़ का हाल-चाल पूछने गया। जब मैं अस्पताल से बाहर आया तो हमारे पड़ोस के गड़ासी गांव से एक 35 साल का युवक मुझे मिला, मैंने उससे पूछा की तुम यहां कैसे?, उसने मुझे बताया कि मेरी बेटी का ऑप्रेशन यहां पर किया जाना है। मैंने उससे कहा कि मेरे लायक कोई सेवा होगी तो जरूर बताना, उसने मुझे कहा कि नहीं भाई साहब, हिम केयर योजना के तहत सारा उपचार हो रहा है और बड़ी खुशी के साथ उसने मुझे यह बताया। उसकी बात सुन कर मुझे बहुत तसल्ली हुई, बहुत आंनद भी

मिला की हमारी सरकार ने जो योजना चलाई वह गरीब व्यक्ति तक पहूंच रही है। हिम केयर योजना आज प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा सिद्ध हो रही है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसी प्रकार हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उसमें सरकार की मंशा यही होती हैं कि गरीब व्यक्ति या पात्र व्यक्ति के घर द्वार तक योजना का लाभ पहूंचे, उसके बैंक खाते तक, उसके रसोई घर तक योजना का लाभ पहूंचे और ये सभी काम केवल आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने करके दिखाएं हैं। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी और आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्या श्रीमती कमलेश कुमारी जी चर्चा में भाग लेंगी।

श्रीमती कमलेश कुमारीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र ठाकुर जी ने नियम-130 के अन्तर्गत हिम केयर और सहारा योजना पर चर्चा करने का प्रस्ताव इस माननीय सदन में लाया है, इस चर्चा में शामिल होने के लिए मैं खड़ी हुई हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका धन्यवाद करती हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार श्री हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर मुर्छित श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे, उसी प्रकार गरीबों के मसीहा भारत देश के माननीय प्रधान मंत्री भाई नरेन्द्र मोदी जी ने आयुषमान भारत योजना और इस प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने हिम केयर योजना शुरू की है, जिससे आम गरीबों को राहत मिल रही है। आयुषमान भारत योजना की बात करें तो पूरे देशभर में दस करोड़ परिवारों और पचास करोड़ लोगों के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसमें एक परिवार के पांच सदस्य शामिल किए गए हैं और उनके इलाज़ के लिए माननीय मोदी जी ने एक साल में 5 लाख रुपये की सहायता दी है, जोकि बहुत ही सहराणीय कार्य है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं कि

जब कोई बीमारी लग जाती है तो बीमारी यह देखकर नहीं आती कि यह अमीर है या गरीब। लेकिन जब बीमारी लग जाती है तो उस स्थिति में कुछ ऐसे गरीब परिवार हैं कि अस्पताल तक पहुंचने के लिए उनके पास गाड़ी के पैसे भी नहीं होते। इलाज की बात तो आप छोड़ दीजिए। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी मरीज़ हैं कि जब हम उनके घर जाते हैं तो वे कहते हैं कि डॉक्टर ने हमें सलाह दी है कि अब इनकी देखरेख घर में ही की जाए। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में एक इतनी बढ़िया स्कीम 'आयुष्मान भारत जन-आरोग्य योजना' दी है कि उसके अन्तर्गत आम-आदमी को 5,00,000/-रुपये तक के इलाज की सहायता मिल रही है जिसके लिए मैं आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूं।
आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, उससे एक कदम आगे बढ़कर हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी और माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री परमार जी ने हिम केयर योजना शुरू की। अभी यहां बहुत सारे सदस्यों ने 'हिम केयर' और 'सहारा' योजनाओं पर चल रही चर्चा में भाग लिया। लेकिन कुछ सदस्य कह रहे थे कि यह पैसे इकट्ठे करने की बात हो रही है। मैं इस सदन के माध्यम से यह बताना चाहती हूं कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे थे, उनके लिए आयुष्मान भारत योजना का शुभारम्भ किया गया और कुछ परिवार ऐसे हैं, जो इस योजना से छूटे थे, उनके लिए हिम केयर योजना का शुभारम्भ किया गया। इसमें एक हजार या ग्यारह सौ रुपये की बात है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनमें कोई-न-कोई व्यक्ति हर रोज दवाई खाता है और यदि उस दवाई का हिसाब लगाया जाए तो एक महीने में कम-से-कम पांच या दस हजार रुपये की दवाई लोग खाते हैं। लेकिन यदि उसकी तुलना में हमें एक दिन के अढ़ाई रुपये पड़ते हैं, साल का लगभग एक हजार रुपया, तो क्या बुरा है? जो व्यक्ति एक महीने की, दस हजार रुपये की दवाई लेता है अगर उसको दिन के अढ़ाई रुपये पड़ते हैं तो मुझे लगता है कि यह कोई ज्यादा पैसे नहीं हैं। लेकिन इतनी बढ़िया योजना का आम-आदमी, गरीब आदमी और हमारे मध्यम वर्गीय परिवार को भी लाभ मिल रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी तथा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं।आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह योजना 23 सितम्बर, 2018 को शुरू की गई थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे, जिनके कुछ मैडिकल बिल हुआ करते थे। अभी यहां बात चल रही थी कि जितना भी मुख्य मंत्री राहत कोष का पैसा है, वह माननीय मुख्य

मंत्री जी के क्षेत्र में लग रहा है। लेकिन मैं आज यहां इस सदन के माध्यम से बताना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्रों में भी पैसा लग रहा है। मैं इसमें कॉउन्टिंग नहीं कर सकती कि जितनी बार हमने कोई केस दिए, माननीय मुख्य मंत्री जी ने ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को इसमें राहत दी है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहती हूं। इसी के साथ अभी भाई श्री इन्द्रदत्त लखनपाल जी यहां कह रहे थे कि हमारी सरकार में पी.एच.सी., सिविल अस्पताल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेकों सुविधाएं प्रदेश में दी गईं। लेकिन अगर मैं अपने भोरेंज क्षेत्र की बात करूं, तो पिछली सरकार ने सिर्फ भोरेंज अस्पताल में फट्टा लगाया, पी.एच.सी. को सिविल अस्पताल बनाया और उसमें 16 बैड से बढ़ाकर 50 बैड किए। लेकिन सुविधा न के बराबर थी। लेकिन जैसे ही हमारे प्रदेश में आदरणीय जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार बनी और आदरणीय परमार जी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बने, उसके बाद 22 दिसम्बर को भोरंज क्षेत्र का दौरा माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया तो वहां करोड़ों की सौगातें दीं। उस अस्पताल के लिए 11,00,000,00/रुपये का बजट भी दिया और वहां 100 बिस्तरों वाला अस्पताल भी दिया और उसको फर्स्ट रैफरल यूनिट का दर्जा भी दिया।

27/08/2019/1425/MS/AG/1

इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं। इसी के साथ हमारी जो बलोखर डिस्पैंसरी थी उसको पूर्व सरकार ने पी0एच0सी0 बनाया लेकिन उसके लिए न ही कोई बजट प्रावधान किया और न ही आज की तारीख में वहां पर कोई डॉक्टर है। हमारे चम्बोह के लिए भी घोषणा की गई लेकिन घोषणा के नाम पर केवल फट्टे ही लगाए गए। यह जो योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में शुरू की गई है इसका लाभ आम आदमी को मिल रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि कोई भी व्यक्ति ऐसी गम्भीर बीमारी से ग्रस्त न हो।

मैं "हिम केयर योजना" और "सहारा योजना" के बारे में बताना चाहती हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे गांव के एक 36 साल के व्यक्ति को तीन बार पैरालाइसिज का अटैक पड़ गया है और वह व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा है। ऐसे लोगों की सहायता के लिए आजादी के 70 वर्षों के बाद किसने ऐसी योजनाएं शुरू की? जो पैरालाइसिज या कैंसर के मरीज़ हैं, जो बिस्तर पर पड़े हैं और चल-फिर नहीं सकते हैं उनके लिए आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने

"सहारा योजना" का शुभारम्भ किया और ऐसे लोगों के लिए 2000/-रुपये का बजट प्रावधान भी किया। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का तहेदिल से धन्यवाद करना चाहती हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

उपाध्यक्षः अब इस चर्चा का उत्तर माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी देंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष जी, इस माननीय सदन में माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र ठाकुर जी ने "हिम केयर" और "सहारा" योजनाओं के ऊपर एक प्रस्ताव रखा, जिस पर इस सदन में बहुत विस्तार से चर्चा भी हुई है।

प्रत्येक सरकार का यह फर्ज़ भी है और जिम्मेवारी भी है और एक विजन भी रहता है कि हम एक ऐसी योजना देश और प्रदेश के लिए दें जिसके तहत समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो। उसमें एक तरफ यदि व्यक्ति को शिक्षा के साथ जोड़ें तो दूसरी तरफ व्यक्ति अगर स्वस्थ और निरोगी है तो जिन्दगी हंसते-हंसते व्यतीत हो जाती है। लेकिन अगर इस शरीर में कोई बीमारी लग जाए और बीमारी का उपचार करते-करते उसका परिवार जीवन में ऐसे स्थान पर खड़ा हो जाए, जहां उनके सामने कोई रास्ता न हो तो ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार का यह ध्येय और लक्ष्य है कि हम सभी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हिमाचल प्रदेश में प्रदान करें यानी युनिवर्सल हैल्थ प्रोटैक्शन के नाम पर योजनाएं शुरू करें। जिन भी माननीय सदस्यों ने यहां पर अपनी बात रखी, उनमें से किसी ने "आयुष्मान योजना" का ज़िक्र किया, किसी ने "हिम केयर योजना" का, किसी ने "सहारा योजना" का और किसी ने "मुख्य मंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष" का ज़िक्र किया यानी जितनी जिनको जानकारियां थीं, उन्होंने इन योजनाओं के बारे में यथा-संभव सारे विचार यहां पर शेयर किए। मैं कहूंगा कि कुछेक ने अच्छे सुझाव भी दिए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने देखा है और मुझे 17-18 महीनों में यह अनुभव आया है कि इन योजनाओं के कारण हिमाचल प्रदेश के लोगों के मन में एक नया विश्वास और आशा की किरण जागी है क्योंकि बीमारी किसी को पूछकर नहीं आती। जब किसी को बीमारी लगती है और बीमारी की छानबीन शुरू होती है तो उसके बाद उसके ध्यान में आता है

कि बीमारी बहुत गम्भीर है। मैंने समाज में देखा है, क्योंकि हम चाहे पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, हमारा सरोकार आम जनता के साथ रहता है। ऐसी बीमारी लगी है और जेब में पैसा नहीं। कुछ लोग सहारा देने के लिए गांव के इकट्ठे होते हैं परन्तु वह पैसा उसकी बीमारी के उपचार के लिए काफी नहीं होता है। हमने ऐसा भी देखा कि परिवार की शांति भंग हो जाती है, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। अपने परिवार के सदस्य को बचाने के लिए ज़मीन बेची जाती है। यहां पर मेरे एक साथी ने कहा कि अपने परिवार के सदस्य के जीवन की रक्षा के लिए उसकी मूल्यवान सम्पत्ति भी गिरवी रख दी जाती है। अब श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने एक नई पहल की। वह यह है कि समाज में जितने लोग हैं, उनको हम युनिवर्सल हैल्थ प्रोटैक्शन दें। ऐसा एक चक्र बना दें जिसमें कोई भी व्यक्ति न छूटे और सारे समाज को साथ ले कर आगे बढ़ते जाना है। मैं यह कह सकता हूं कि योजना बनी और हमारा जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है, उसके सभी अधिकारियों ने और हमने मिल बैठ कर बहुत विस्तार से योजना बनाई। इस बारे में चर्चा की और रोड़ मैप तैयार किया। माननीय सदस्य, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि पहले क्या था और अब क्या है? आप ज़रा सुन लें, उसके बाद आप अपनी बात रखें। हिमाचल प्रदेश में हमने यह योजना बनाई की गरीब लोग, मनरेगा में काम करने वाले लोग, लगभग 90,000 लोगों को आयुष्मान भारत योजना में जोड़ा गया। ऐसे लोगों को जोड़ा गया जिनसे एक भी पैसा नहीं लिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों से एक भी पैसा नहीं लिया गया। जो रेहड़ी-फ़ड़ी वाले हैं, कोई नगर परिषद् में हैं, नगर निगम में हैं और जो आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत नहीं आए हैं, उनको इसमें जोड़ा गया। जिन लोगों ने मनरेगा में 50 दिहाड़ियां लगाई हैं, उनको भी इसमें जोड़ा गया और उनसे एक भी पैसा नहीं लिया गया।

अब सारे समाज को यह सुरक्षा कवच हिम केयर के नाम से देनी है। यहां पर 40 प्रतिशत जो दिव्यांग हैं, उनसे 365 रुपये प्रीमियम लिया गया। 70 साल या उससे ऊपर के जो

बुजुर्ग हैं, उनको भी इस श्रेणी में लिया गया, दैनिक भोगी या कॉन्ट्रेक्ट पर काम करने वाले, आशा बहनें, आंगनवाड़ी सहायिका, मिड-डे मील वर्कर यानि समाज की इन तमाम श्रेणी में जो एकल नारी हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया गया और उनसे 365 रुपये प्रीमियम के रूप में लिए गए। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो इससे बच जाते थे उनसे 1,000 रुपये लिए गए। यहां पर एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें पैसा बहुत ज्यादा आ गया और प्रीमियम बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया। मैं आपके ध्यानार्थ यह बात लाना चाहता हूं कि

27.08.2019/1435/SS-DC/1

हिम केयर योजना के तहत एक एच0पी0 स्वास्थ्य बीमा योजना सोसाइटी पंजीकृत करवाई गई है और लगभग 6 लाख 42 हजार परिवार जो पंजीकृत हुए हैं उनसे इस सोसाइटी में 21 करोड़ 55 लाख रुपया जमा हुआ है।

दूसरा, मैं यह बताना चाहता हूं कि लगभग 33093 लोगों का इन छः महीनों में उपचार हुआ है और इस पर 34.33 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। योजना अभी जनवरी में शुरू हुई है। सुनिये, जनवरी में यह योजना लौंच हुई है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस योजना का शुभारम्भ मण्डी मेडिकल कॉलेज से किया था। इसलिए अब इस प्रीमियम के अलावा हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए जितना खर्च होगा वह हिमाचल प्रदेश सरकार खर्च करेगी। इससे 6 लाख 42 हजार परिवार लाभान्वित होंगे। यह भी मैं माननीय सदस्य को यहां पर बताना चाहता हूं। इसलिए यह स्थिति यहां पर स्पष्ट होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस कार्ड को बनाने की विधि बहुत सरल थी। हम लोक मित्र केन्द्र में जा सकते थे। लोक मित्र केन्द्र में जा करके हम इस कार्ड को बना सकते थे। वहां लोक मित्र केन्द्र में 50 रुपया देकर यह कार्ड बन सकता था। कुछ औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद वह कार्ड हमारे हाथ में होता है। फिर हम अपना इलाज करवा सकते हैं। यहां पर मैंने कुल संख्या और कुल पैसा जो खर्च हुआ है उसके बारे में बताया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह योजना जनवरी में शुरू हुई थी और जनवरी के बाद यह राशि हिमाचल प्रदेश के लोगों के उपचार पर खर्च हुई है। यहां पर बात आई कि हमारे (विपक्ष) पास भी एक योजना थी। आपके पास भी योजना होगी। मुझे नहीं पता कि वह कौन-सी योजना थी।

परन्तु आज आवाज़ चारों तरफ से उठ रही है। यह योजना जनवरी में शुरू हुई है, आचार-संहिता लग गई। आपमें से किसी साथी ने इलैक्शन कमीशन में शिकायत कर दी कि भारतीय जनता पार्टी इसका बहुत श्रेय ले रही है इसलिए इसको रोक दिया जाए। हमें आदेश आए। ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्षः कृपया बीच में न बोलें। मंत्री जी, आप अपना विषय रखें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, जब आचार-संहिता खत्म हो गई, उसके उपरांत यह योजना चलती रही और लगभग तीन बार इसकी अवधि को बढ़ाया गया। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि जो लगभग 6 लाख 42 हजार कार्ड बने हैं इनका नवीनीकरण होता रहेगा। ...(व्यवधान)... पांच लाख रुपये का इलाज अगर 365 रुपये, 1000 रुपये या 1100 रुपये प्रीमियम जमा करवाने से हो जाए तो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत प्रसन्न हैं और धन्यवाद कर रहे हैं। यह नवीनीकरण का काम निरंतर चलता रहेगा। मैं माननीय सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि अभी जनवरी से लेकर मार्च तक हिम केयर के कार्ड दोबारा बनने शुरू हो जायेंगे। इसलिए जो छूट गया है या रह गया है वह भी शामिल हो सकता है। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कहीं आप जाते हैं तो अच्छे काम के लिए अच्छा बोलने में संकोच मत करिये। ठीक है, विपक्ष का धर्म है कुछ बोलना। परन्तु अगर अच्छा हो रहा है तो धर्म यह भी है कि उसकी चर्चा करें और उसके बारे में बताएं।

27.08.2019/1440/केएस/एचके/1

यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसने सारे रिकॉर्ड लगभग हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों में तोड़े हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं एक और आंकड़ा रखना चाहता हूं। हिम केयर योजना के माध्यम से पिछले दिनों अलग-अलग जिलों में जो उपचार हुआ है, निशुल्क उपचार करवाने वाले बिलासपुर में 1193 लोग हैं, 61,35,600/- रु0 उस पर खर्च हुए। चम्बा में 652 लोगों के उपचार पर 51,45,750/-रु0 खर्च हुए, हमीरपुर में 2613 लोगों के उपचार पर 01,07,84,967/-रु0 खर्च हुए। कांगड़ा में 8,982 लोगों के उपचार पर 10,43,10,,290/-

रुपये खर्च हुए, किन्नौर में 18 लोगों ने उपचार करवाया जिन पर 1,51,400/-रुपये खर्च हुए। कुल्लू में 3,498 लोगों के उपचार पर 1,56,42,989/-रु0 खर्च हुए। मण्डी में 1372 लोगों के उपचार पर 1,46,10,350/- रु0 खर्च हुए, सिरमौर में 1477 लोगों के उपचार पर 75,04,852/-रु0 खर्च हुए, सोलन में 4044 लोगों के उपचार पर 2,27,82,600/- खर्च हुए, ऊना में 758 लोगों के निशुल्क उपचार पर 53,30,875/- रुपये खर्च हुए। तो यह केयर ही तो कर रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना के कारण हिमाचल प्रदेश के लोगों को बहुत लाभ मिला है। यहां पर कुछ बातें और आईं और वे शायद अनभिज्ञता के कारण आईं। अच्छी बात है, यह एक स्थान है जहां पर माननीय सदस्यों ने जो कुछ जानना चाहा है, उसको सरकार स्पष्ट कर सके। लगभग 1800 बीमारियों का उपचार "हिम केयर योजना" के तहत होता है। जब व्यक्ति इस कार्ड को ले कर अस्पताल जाता है, यहां पर एक माननीय सदस्य ने कहा कि हो सकता है कि अस्पतालों में उस कार्ड पर कोई गलत काम हो रहा हो या गलत पेमेंट हो रही हो, इस तरह की शंका यहां पर दर्ज की गई। मैं यह बताना चाहता हूं कि जब बीमार व्यक्ति उस कार्ड को ले कर अस्पताल में जाता है तो वहां पर जो व्यक्ति जिस बीमारी से ग्रस्त है, डॉक्टर उसको देखता है कि उसको कौन सी सर्जरी की जरूरत है, यानि उसको ऑर्थो, कैंसर, ई.एन.टी. या किडनी या किसी और बीमारी की समस्या है, तो उसके बाद जो हमारे आरोग्य मित्र हैं, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इन तमाम अस्पतालों में जो कम्प्यूटर अटैंडेंट हैं या सरकार द्वारा जो आरोग्य मित्र रखे गए हैं, वे उस कार्ड को जनरेट करवाते हैं और उसके बाद उस बीमारी के उपचार के लिए जितना पैकेज है, वह पैसा उसके उपचार के लिए मिलना शुरू हो जाता है। यहां पर कहा गया कि कैंसर से अधिकतर लोग मर जाते हैं। जगत सिंह नेगी जी, आपकी चिंता वाज़िब है, जो आपको लगता है, आपने अपनी बात यहां पर रखीं लेकिन मेरा धर्म है कि आपने जो बातें रखीं, उनके बारे में मैं कुछ बताऊं। वर्षों तक टांडा मैडिकल कॉलेज में नई विधि से कैंसर का उपचार हो, उसकी मशीन आप शुरू नहीं कर सके तो उसमें हमारी क्या गलती है? अगर आज लिनियर एक्सिलिरेटर वहां पर लगा है,

और अत्याधुनिक मशीन के द्वारा कैंसर के मरीज का इलाज वहां पर हो रहा है तो अच्छी बात है, अब कोबाल्ट पुरानी पद्धति हो गई है। पिछली केंद्र सरकार में हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने प्रधान मंत्री जी के साथ मिलकर आयुष्मान भारत योजना को एक नया रूप दिया। उन्होंने यहां शिमला में भी टर्शीयरी कैंसर केयर सैंटर बनाने हेतु धनराशि दी थी। यहां पर यह बात बार-बार आती है कि कोबाल्ट एक पुरानी पद्धति है इससे इलाज नहीं होगा। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम जी ने इस विषय में रुचि दिखाई। (...व्यवधान...) एन0जी0टी0 के कारण सारा काम रुका पड़ा था, भारत सरकार ने पैसा भेजा था मगर पैसा लग नहीं रहा था। अब उस एन0जी0टी0 की सारी पेचिदगियों को दूर कर दिया गया है। (...व्यवधान...) सुक्खु जी, आप मेरी बात तो सुनिए, मैंने आपकी सारी बात सुनी है। मैं यह कह रहा हूं कि अब एन0जी0टी0 ने स्टेटस क्लीयर कर दिया है और वहां पर काम शुरू हो गया है। उसके लिए हमारे पास पैसा है इसलिए यहां पर भी लीनियर एक्सिलेटर लगेगा जिसका जिक्र राकेश पठानिया जी ने किया है। यहां अब कोबाल्ट की विधि से नहीं बल्कि लीनियर ऐक्सिलेटर से इलाज होगा; यह नई शुरुआत है और एक अच्छा प्रयास है। परसों माननीय सदस्य श्री अनिरुद्ध जी ने एक प्रश्न पूछा था। (...व्यवधान...) एक नहीं; अगर हमें यहां पर सैंकड़ों प्रश्नों के उत्तर भी देने पड़ेंगे तो हम देंगे। शरीर है, इसकी बीमारी का इलाज पी0जी0आई0, चंडीगढ़ या एम्स में होता है तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर डिज़िटल सबट्रैक्शन एनजियोग्राफ़ी की बात कही गई। यहां पर किसी माननीय सदस्य ने कहा कि हमने तो 6 महीने में 60 लाख रुपये की राशि लगा दी। यह कोई ईंटों की चिनाई तो है नहीं कि पिल्लर खड़ा कर दो तथा उसके ऊपर कुछ और डाल दो। व्यक्ति की बीमारी से जुड़ी हुई यह तकनीकी मशीन लग चुकी है और आने वाले दिनों में इसकी सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर दी जायेगी। व्यक्ति के ऑपरेशन के समय यदि शरीर में कहीं ब्लॉकेज है तो उसको खोलने के लिए यह मशीन कारगर सिद्ध होने वाली है। यह काम भी अगर किसी के समय में हुआ है तो इसके पीछे श्री जय राम

ठाकुर जी है; इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। मान लो किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया तो वहां से पीस लेकर बायोप्सी हेतु मुम्बई, दिल्ली या चंडीगढ़ नहीं भेजेंगे, उसके लिए फ्रोज़न सैक्शन बायोप्सी मशीन आ चुकी है। वह इंस्टाल होने वाली है इसलिए शरीर के प्रभावित अंग की ही डाइसैक्शन होगी। वहां से टैस्ट के लिए पीस लिया जायेगा और उसकी जानकारी यहीं पर मिल जायेगी तथा इलाज भी यहीं पर सम्भव हो जायेगा। इस तरह से 80 प्रतिशत पैट स्कैन तो उसी में आ जायेगा। यहां पर हमारे सदस्य पैट स्कैन को लेकर बहुत चिन्तित है, आप चिन्ता मत कीजिए। हैल्थ सैक्टर में हिमाचल प्रदेश में जो भी नया या विशेष हो सकता है उसके लिए स्वास्थ्य विभाग मुख्य मंत्री जी से बार-बार बात करता है और इन्होंने हमेशा यही कहा है कि कुछ नया व विशेष करो। कई बार हम कहते हैं कि बजट का प्रश्न है तो ये कहते हैं कि आगे बढ़ो। इसलिए आगे बढ़ने के इस क्रम में जब पैट स्कैन का मामला आया है तो हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुमति ली है और इन्होंने भी यह कहकर सहमति प्रकट की है कि आगे बढ़ो। इसलिए आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में पैट स्कैन मशीन लगाई जायेगी। अब तालियां तो बजा दो। (...व्यवधान...)

उपाध्यक्ष : बीच में न बोलें। माननीय मंत्री जी, कृपया अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए। अभी और भी बिजनैस शेष बचा है।

27.8.2019/1450/टी.सी.वी./वाई.के.-1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। मुझे अपने विभाग के बारे में उत्तर देना है। यहां पर बात आई है कि एडमिशन के बाद "हिमकेयर" और "आयुष्मान भारत योजना" के तहत सारे टैस्ट फ्री होते हैं। दूसरा, यहां पर कीमोथैरपी के बारे में पूछा गया है। मैं बताना चाहता हूं कि कीमोथैरपी भी हिमकेयर और आयुष्मान योजना के अंतर्गत आती है और जो पेशैंट्स वहां पर पहुंचते हैं, उनका उपचार फ्री में किया जाता है। लेकिन यहां पर कहा गया है कि पंजाब और कई दूसरे राज्यों के हॉस्पिटल भी इसके लिए इंपैनल हो गये हैं। हमारा कोई भी हॉस्पिटल इन

योजनाओं के तहत पंजाब या अन्य राज्यों के साथ इंपैनल्ड नहीं है। इसमें हिमाचल प्रदेश के 199 अस्पताल इंपैनल्ड हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश के 56 प्राइवेट अस्पताल और चंण्डीगढ़ का पी.जी.आई अस्पताल शामिल है। यहां पर यह भी कहा गया है कि इंश्योरेंस का पैसा पता नहीं कहां से कहां ले गये हैं? उसका उत्तर मैंने पहले ही दे दिया है। हिमकेयर या आयुष्मान के तहत जो उपचार किया जाता है, वह पेपरलैस और मनीलैस (कैशलैस) है क्योंकि इसकी सारी-की-सारी पेमेंट ऑनलाइन होती है। यह पेमेंट संबंधित हॉस्पिटल को आनलाइन की जाती है। (...व्यवधान...) इसमें कोई लेनेदेन नहीं होता है। यह पेमेंट ऑनलाइन की जाती है। (...व्यवधान...)

उपाध्यक्षः प्जीज़ बीच में न बोले।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि "आयुष्मान भारत योजना"श्रद्धेय नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2018 में देश के 50 करोड़ लोगों को दी है। (...व्यवधान...) हिमाचल प्रदेश में 22 लाख लोग "आयुष्मान भारत योजना" के तहत कवर हो रहे हैं और 6.42 लाख परिवार "हिमकेयर योजना" में कवर हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी कुल संख्या लगभग 4.50 लाख है। उनको भी मेडिकल रि-इम्बर्समैंट मिलती है और लगभग 3 लाख लोग ई.एस.आई. में कवर होते हैं। मैं यूनिवर्सल प्रोटैक्शन की बात कर रहा हूं। 4 लाख लोग ई.सी. एच.एस. और सी.वी.एच.एस. में कवर होते हैं। हम हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों को हैल्थ इंश्योरेंस में कवर कर रहे हैं। (...व्यवधान...) अब बात यह है कि सच्चाई सुनने में भी किसी को तकलीफ़ हो तो मैं क्या कर सकता हूं? (...व्यवधान...) मेरे और मेरे साथ जितने माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं, उनके स्वभाव में न फरेब है और न झूठ बोलने की आदत है। यहां पर जितने माननीय सदस्य बैठें हैं, वे तथ्य के आधार पर बात करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्य ने कहा कि 'सहारा' क्या है? मैं कहना चाहता हूं, आप भी सहारा बने और सहारा भाषण से नहीं संस्कारों से आता है। किस परिवेश, महौल व व्यवस्था में व्यक्ति रहता है (...व्यवधान...) मैंने आपका नाम नहीं लिया।

27-08-2019/1455/NS/YK/1

उपाध्यक्षः मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि प्लीज बैठ जाईए। माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज़।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय मंत्री जी, आपको अपने शब्द वापिस लेने पड़ेंगे। यह गलत बात है कि ये संस्कारी नहीं है और आप अकेले संस्कारी हैं।

उपाध्यक्षः माननीय अग्निहोत्री जी, ऐसा नहीं कहा है। आप बैठ जाईए, प्लीज़।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय अग्निहोत्री जी, मैंने विपक्ष के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है। ---(व्यवधान)---

उपाध्यक्षः मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। माननीय अग्निहोत्री जी, प्लीज़ बैठ जाइए। ---(व्यवधान)--- आप इनको विषय रखने दीजिए। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं तो परिवार या संस्कार कोई ऐसा शब्द आया है उसको हम देखेंगे कि क्या है? आप बैठिए। इन्होंने आपके रैफरेंस में नहीं कहा है। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी की ऐसी इंटेंशन नहीं थी। प्लीज, आप बैठ जाईए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : हमारा विभाग ही ऐसा है जो परिवार, संस्कार और सारी बातों से जुड़ा हुआ है। मैंने यही कहा कि बेटे सहारा बन करके परिवार को सहारा देते हैं। लेकिन यहां पर जो 'सहारा' दिया गया है वह बेटे के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने और श्री जय राम ठाकुर जी ने दिया है। अब लोग इन सारी बातों को आपस में जोड़ते हैं तो इसमें मैं क्या करूं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है।

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री जी, आप अपना जवाब दें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 'हिमकेयर' और 'आयुष्मान भारत' में सभी का इलाज हो रहा है। अब भगवान न करे कि किसी को ऐसी बीमारी लग जाए कि वह बिस्तर पर हो जाए और दवाइयों के सहारे उसका जीवन कटना है। यह क्या बीमारी है? यह कैंसर हो सकता है। कैंसर के साथ-साथ किडनी फेल्योर हो

सकता है, मसल डिस्ऑर्डर हो सकता है, हीमोफिलिया या थैलेसीमिया हो सकता है। ---(व्यवधान)--- अगर किसी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट हो जाए और वह व्यक्ति जिंदगी भर के लिए अपाहिज़ या बैड रिडन हो जाता है तो यह चिंता अगर किसी ने की है, सहारा बन करके भारतीय जनता पार्टी ने की है। कोई भेदभाव नहीं किया है। इसके लिए सर्वे हो रहा है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ब्लॉक में सी0एम0ओ0 और बी0एम0ओ0 से मिलें। अपने विधान सभा क्षेत्र के इस प्रकार के लोगों की सूची बना करके वहां के अधिकारियों के पास दें। माननीय मुख्य मंत्री आने वाले कुछ महीनों में इसका शुभारंभ करने वाले हैं और यह पैसा उनके खाते में सीधा जाने वाला है। इसके लिए मैं, प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि जन-धन योजना में उन्होंने करोड़ो खाते खोले थे आज उसका ही यह परिणाम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार एक साल की 24,000 रुपये की राशि सीधी देगी। आपके लिए यह 24,000 रुपये कुछ नहीं होंगे लेकिन उन लोगों के लिए 2400 रुपये भी बहुत होते हैं जो लोग बीमारी की अवस्था में कई बार माननीय मंत्रियों और विधायकों के पास खड़े होते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 'सहारा योजना' के तहत उन लोगों को सहारा दिया है। हार्ट, किडनी आदि की बीमारियों में खर्च ज्यादा आता है। अभी किडनी ट्रांसप्लांट के दो ऑपरेशन हुए हैं। भाषण हम किसी भी रूप में दे सकते हैं लेकिन भाषण में शक्ति होनी चाहिए ताकि उसको देख करके लोग कहें कि जो बात यहां पर कही गई है उसमें अर्थ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर योजनाओं का जिक्र कर रहा हूं। अब अगर किडनी ट्रांसप्लांट दो हुए हैं

27.08.2019/1500/RKS/AG-1

तो 'मुख्य मंत्री स्वास्थ्य राहत कोष' में उन व्यक्तियों के इलाज़ के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने सीधा सहयोग दिया है। लगभग दस ओप्रेशन 'मुख्य मंत्री राहत कोष' में किए जाएंगे। यह भी कहा गया कि 'दिल्ली के डाक्टर्ज़ आ गए'। मैं आपको कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में काबिल डाक्टर्ज़ हैं। आप उनके ऊपर टिप्पणी मत कीजिए। हमारे लगभग आठ डाक्टर्ज़, चाहे वे यूरोलोजी, सर्ज़री या पैथोलोजी के डाक्टर्ज़ हों, उन्होंने AIIMS से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। (व्यवधान)...जो ओप्रेशन्ज हुए हैं वे दिल्ली की टीम की निगरानी

में उन्हीं डाक्टर्ज़ द्वारा किए गए हैं। ...(व्यवधान)... यह भाषण नहीं है, यह सच्चाई है। ...(व्यवधान)... नेता प्रतिपक्ष अगली कार्यसूची की बात कर रहे हैं। मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि पहले इस विषय को सही से सुन लीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले यह पता लगाइए कि अस्पतालों में लोगों की जेब से पैसा क्यों लग रहा है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि अस्पतालों में पैसे लग रहे हैं। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 'मुख्य मंत्री निःशुल्क दवा योजना' शुरू की गई है। (व्यवधान)...क्या आप उन अस्पतालों में कभी गए हैं? क्या आपने कभी दवाई खरीदी है? ...(व्यवधान)... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)... बोलना इनका काम है। अगर करोड़ों रुपये इस पर ख़र्च हुए हैं तो वे हिमाचल प्रदेश के लोगों के इलाज़ के ऊपर ख़र्च हुए हैं। आपके समय में बहुत-सी बातें की जाती थीं। गरीबी दूर होगी, गरीबों को राहत मिलेगी, बीमारी का उपचार करेंगे परंतु इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उचित कदम उठाएं हैं और 'आयुष्मान भारत' जैसी कई योजनाओं का शुभारंभ किया है। (व्यवधान)...

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी कृपया बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी विषय ला रहे हैं। माननीय मंत्री जी आप अपना विषय रखें। ...(व्यवधान)...मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः हमारी बात आपको अच्छी नहीं लग रही है। हिमाचल प्रदेश के लोग इन योजनाओं से खुश हैं और आप 'बाल की खाल' उतारने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)...

उपाध्यक्षः माननीय अग्निहोत्री जी कृपया बैठ जाइए। माननीय अग्निहोत्री जी आप क्या कहना चाहते हैं?

27.08.2019/1505/बी0एस0/ए0जी0-1

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी माननीय सदन में यह अनाउंस कर दे कि किसी भी हिमाचली से दवाई, टैस्ट और अन्य इलाज के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आप यहां पर सीधा एलान कर दीजिए। इस तरह से इधर-उधर की बातें मत कीजिए।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, कृपया बैठ जाइए। इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। माननीय मंत्री जी आप विषय पर उत्तर दीजिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदन में सारी बातें रखी हैं और हर योजना को विस्तार से बताया है। मेरे साथियों ने यहां पर हिमकेयर के लाभ के बारे में सुना ही नहीं, अब कह रहे हैं कि यहां पर अनाउंस करो। यह हमारी अनाउंसमैंट ही है कि आयुष्मान, हिमकेयर, सहारा और मुख्य मंत्री स्वास्थ्य योजनाओं में हिमाचल प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है। किसी साथी ने पूछा है कि डे-केयर में क्या होता है? मेरा उत्तर सुन लीजिए, माननीय सदस्य आशा कुमारी जी कृपया मेरी बात सुन लीजिए, आप इस बारे में बहुत कुछ जानकारी रखती हैं परंतु मेरी बात भी सुन लीजिए। डे-केयर में भी सारी बातों को सम्मिलित किया गया है। अब ये कह रहे हैं कि जब व्यक्ति बीमार हो करके अस्पताल आता है तो उसके बाद ही इलाज होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि लगभग 87 इसमें ऐसे बिंदू हैं जिनके द्वारा डे-केयर के माध्यम से इलाज होता है और इजाल के बाद वे मरीज घर वापिस जा सकते हैं। मैं इस माननीय सदन में कहना चाहता हूं। इन 17 महीनों में यूनिवर्सल हैल्थ प्रोटैक्शन के नाम पर जो हिमाचल प्रदेश में योजनाएं शुरू की गई हैं उससे हमारे प्रदेश में दीन-हीन और जो लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं वह सरकार का धन्यवाद करते हैं। यह मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष भी ऐसी आदत बनाए।

उपाध्यक्ष : कृपया बीच में न बोलें, माननीय मंत्री जी, क्या आपका उत्तर समाप्त हो गया है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने बहुत विस्तार से इस चर्चा का उत्तर दिया है। विपक्ष के माननीय सदस्य मन-ही-मन में संतुष्ट हैं लेकिन क्या करें उनकी मजबूरी है, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उस दिशा में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया क्योंकि हम उनमें नहीं है कि हम बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच गए हैं परंतु अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। माननीय महोदय, मैं कुछ और बताना चाहूंगा, ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष : इसमें वाद-प्रतिवाद नहीं होता इसमें फिर से चर्चा नहीं होगी, कृपया विपक्ष के लोग बैठ जाएं और माननीय मंत्री जी को चर्चा का उत्तर देने दें। इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं होती। मेरा आपसे आग्रह है कि अभी सदन का बहुत ज्यादा काम बाकी है। नियम 130 में क्लैरिफिकेशन नहीं होती। माननीय मंत्री जी क्या आपका उत्तर समाप्त हो गया है?

27.08.2019/1510/डी0टी0/डी0सी0/-1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : आपको बोलने का मौका दिया हुआ था और अब आप क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं।

उपाध्यक्षः...(व्यवधान) ...माननीय मंत्री जी मुझे लगता है कि इनको पूरी तरह सन्तुष्टि हो गई है। ...(व्यवधान) ...कृपया आप वाईंड-आप करें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, यह जो चर्चा -130 के तहत माननीय नरेन्द्र ठाकुर जी ने यहां पर प्रस्तुत की थी और इसमें माननीय श्री राकेश पठानिया जी ने चर्चा में हिस्सा लिया और बहुत बहुमूल्य सुझाव यहां पर दिए। इन्होंने पंचायती राज के माध्यम से इस योजना को और कैसे प्रचारित किया जा सकता है इसकी आई0सी0 और कैसे अधिक की जा सकती है। कैंसर निरियल एक्सीलेटर इत्यादि अलग-अलग विषय पर इन्होंने विस्तार से चर्चा की। भाई बिक्रम जी ने भी इसको संजीवनी बूटी

की संज्ञा दी है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और इन्होंने कहा कि चुनावों के दिनों में इस योजना को सस्पैंड कर दिया था परन्तु जब यह हमारे ध्यान में आया तो जून तक इसको एक्सटैंड कर दिया। तीसरा, जो हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने और नेगी जी ने जो कहा वह मुझे समझ में नहीं आया कि ये चर्चा को यह किस दिशा की ओर ले जा रहे थे। सुक्खु जी ने भी काफी कुछ तडपती हुई बातें कही, कैंसर की बातें कही, पैट स्कैन की बाते कही। ...(व्यवधान)...नहीं हम किसी के लिए तड़फते नही हैं हम सब चाहे राकेश जी हैं चाहे विपिन परमार हैं यहां पर तड़फने वाली कोई बात नही है। यहां का सिस्टम कुछ अलग है, वहां का अलग है ...(व्यवधान).. हमारे माननीय सदस्य विनोद जी ने भी यहां पर विचार रखे। राजिन्द्र गर्ग जी, श्रीमती कमलेश कुमारी जी ने भी अपने विचार रखे और सुझाव दिए इसलिए मैं आप सब का धन्यवाद करता हूं और इसी के साथ इस चर्चा को समाप्त करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपका भी धन्यवाद करता हूं।...(व्यवधान.)...

नियम.62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री विक्रमादित्य सिंह जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

Sh. Vikramaditya Singh (Shimla Rural): Hon'ble Deputy Speaker, Sir, with your permission I would like "to call the attention of the Chief Minister to the situation arising out of 'Dilution of Section-118 of Himachal Pradesh Land Tenancy and Reform Act, 1972 in view of abolition of Article 35A of Indian Constitution." उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, कुछ ऐसी परिस्थितियां आज प्रदेश के अन्दर और देश के अन्दर उत्पन्न हुई है और किस तरीके से

एक general apprehension प्रदेश के युवाओं के बीच है प्रदेश के जो various stakeholders है चाहे वह बिजनैस मैंने है चाहे वह होटलियर्ज है चाहे वह अफसरशाही है चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं अलग-अलग अफवाहें लोगों के बीच में है

27-08-2019/1515/डी.सी.-एन.जी./1

हालांकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने समय-समय पर इस मुद्दे पर अपना ब्यान दिया है और मैं आज भी अखबार में पढ़ रहा था कि पिछले कल पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने जो प्रश्न लगाया था और सरकार की ओर से जवाब आया कि सेक्शन-118 के डाइल्यूशन की कोई मंशा नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा-सा इतिहास में जाना चाहता हूं, दिनांक 25-01-1971 को हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया और प्रदेश के पहले व तत्कालीन मुख्य मंत्री डॉक्टर यश्वन्त सिंह परमार जी ने, उस समय प्रदेश की परिस्थितियों को, आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को, गरीब और पिछड़े हुए जनजातीय क्षेत्र के लोगों को मद्देनज़र रखते हुए, ये कानून हिमाचल प्रदेश में लाने का प्रस्ताव किया था। जैसे मैने कहा कि जो prevailing financial, political and social inequalities थी उसको बराबर तरीके से प्रदेश के अन्दर लाने का प्रयास किया गया और उस समय दो महत्वपूर्ण कानून हिमाचल प्रदेश में लागू किए गए। Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act 1972 & H.P. Tenancy and Land Reforms Act 1972. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग एक्ट के माध्यम से 60 एकड़ की यानि 300 बीघा की सीलिंग Individuals के उपर लगाई गई और हमारे ट्राईबल क्षेत्रों में यह 70 एकड़ की हुआ करती थी। मैं इस माननीय सदन में यह भी बोलना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर biggest land losers हैं उसमें our family is one of the biggest land loser. After the implementation of the Land Ceiling around 1561 acres, यानि 7806 बीघा भूमि हमने सरकार को इस सीलिंग के माध्यम से दी थी। मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूं there were big landlords and former princely rulers in the State, जिनकी जमीनें इसमें गई हैं। जो 'Instruments of Accessions' अलग-अलग राज्यों ने

इसे किया तो किसी डर के कारण नहीं किया बल्कि एक होप के साथ, एक सोच के साथ किया कि आने वाला जो independent India होगा, आने वाला जो हिमाचल प्रदेश होगा उसमें हम अपना योगदान दे सकेंगे।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

उसमें collective responsibility के साथ नई लोकतांत्रिक प्रणाली देश के अन्दर बढ़ रही है उसमें हमारा योगदान होगा, इस सोच के साथ यह जमीनें लैंड सीलिंग एक्ट के तहत सरकार को दी गई। उस समय बहुत uniformity प्रदेश के अन्दर नहीं थी पहले तो Punjab Tendency Act 1887, Himachal Pradesh में लागू किया गया, क्योंकि जो merged area थे और कांगड़ा हिल्स का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के अन्दर आया और जो पुराने Punjab Reorganization Act 1966 के बाद हिमाचल प्रदेश में आए और उनके लिए Himachal Pradesh Abolition of Big Landed Estates & Land Reforms 1953 and Punjab Occupancy Tenants Act 1953 और वैसे ही PEPSU (Patiala and East Punjab States Union)का क्षेत्र था उनके लिए PEPSU Occupancy Tenants Act 1954 लागू किया गया। इन सब की डिसपैरिटी प्रदेश के अन्दर थी उसको एक तर्ज में लाने के लिए H.P. Tenancy and Land Reforms Act 1972 में उस समय के तत्कालीन मुख्य मंत्री और कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा प्रदेश के अन्दर इसे लाया गया। इसको legal immunity देने के लिए 9th Schedule of the Constitution में डाला गया by the 148th Amendment of the Constitution ताकि जो judicial review देश के अन्दर चला हुआ था और जो activism माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और माननीय उच्च न्यायालय में था उससे इसको immunity दिलवाने के लिए Constitution के 9th Schedule में डाला गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बाहर के लैंड लोर्डस या बाहर की शार्कस, जो प्रदेश के अन्दर जमीने खरीदना चाहती हैं, उस समय के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था कि कई ऐसे लैंड लोर्डस थे जिन्होंने अपनी जमीनें बेच दी और उसके बाद जिन लोगों को जमीनें बेची

उन्हीं के फॉर्म्ज में वे नौकरियां कर रहे थे, चाहे वे लेबर के फॉर्म में था या और किसी फॉर्म में था। This is a very sensitive issue for the State of Himachal Pradesh और आज हमें इसको केवल एक कानून की नज़र से देखने की आवश्यकता नहीं है। It is the identity of the Himachal Pradesh that is being called into question today. I understand that the Chief Minister, on a number of occasions, has given assurance to the people of the State in this Hon'ble House as well as outside this House that there will be no amendment as far as this Act is concerned. Because this is a very sensitive issue. This is an issue concerning the identity of the State. I think that it was impermanent and it was important for young legislature like me to bring this issue up because lot of youth in the State has been pestering me time and again to reck this issue in the Hon'ble Vidhan Sabha. I would like to quote the a few lines of the Hon'ble Chief Minister, Late Dr. Yashwant Singh Parmar जब उन्होंने इसको लागू किया, उस समय उन्होंने यह बात कही थी कि Himachal was one of the few states which had a strong land ownership laws to protect the interest of the local people of the hilly state. Fact on account of rapid industrialization, the State has been going through the tremendous pulls and pushes from which various interest groups affecting the livelihood of the common agriculturists of the State. ये शब्द डॉ. परमार जी के हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने डॉ. यशवन्त सिंह परमार जी की 113वीं जयन्ती मनाई। कांग्रेस पार्टी और सरकार दोनों ने उनकी जयन्ती मनाई। आज हमें यह चिन्ता व्यक्त करने और यह सोचने की आवश्यकता है that we are only paying lipsoffices to the mentor of the State or are we following his footsteps and walking on the path which he had shown to us. यह चीज हमें सोचने की आवश्यकता है और जब यह कानून वर्ष 1970 में लाया गया, इसको हमें केवल हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष में देखने की आवश्यकता नहीं है। उस समय तत्ताकालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की सरकार थी और उस समय बहुत से ऐसे मूवमेंट्स देश के अंदर चले हुए थे जिसमें उन्होंने देश में 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया था। उस परिप्रेक्ष में हमें इस कानून को देखने की आवश्यकता है। मैं

इसमें यह कहना चाहूंगा कि जो the empowerment of the common man that was not the hidden agenda but the only agenda जिन परिस्थितियों में इस कानून को देश में लाया गया था, मैं जनजातीय क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, विशेष रूप से जो हमारा किन्नौर, भरमौर एवं पांगी का इलाका है, जैसा मैंने कहा कि यहां सीलिंग ऐक्ट में ज्यादा जमीन रखने की इजाज़त दी गई थी। उस समय भी डॉ. परमार ने यह चिन्ता व्यक्त की थी कि बहुत से कई ऐसे बगीचे और काफी कृषि भूमि उस समय केवल पट्टे पर खरीदी गई थी। इन सब परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए इसको देश एवं प्रदेश में लागू किया है और जब कोई कानून देश या प्रदेश में इम्पलीमेंट करवाया जाता है, तो लाज़मी है कि वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चेलेन्ज होगा। On a number of occasions this H.P. Land Tenancy Act has been challenged in the Hon'ble High Court whether it is in the matter of Society of Preservation of Kasauli versus State of Himachal Pradesh, whether it is in the matter of Ashok Madhan versus State of Himachal Pradesh, whether it is in the matter of Sudershna Devi versus State of Himachal Pradesh. In all these cases the law has been upheld और हाई कोर्ट की एक ऑब्जरवेशन थी कि Intent of incorporation of Section-118 was that economically advantages class does not make the undue advantage of the small agriculturists. This was the observation made in the matter of Ashok Madhan versus State of Himachal Pradesh and finally in 2014 जो यह चेलेन्ज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मैरिट के ऊपर डिसमिस किया है। What I am trying to say is that एक कानून लोक सभा एवं विधान सभा की ओर से लाया जाता है, अलग-अलग कानून लाए जाते हैं। This has over the passage of time, कोर्ट से भी इसको सैंक्शन मिला है and it is the basic fundamental law that we have in the State of Himachal Pradesh और आर्टिकल-14 की वायोलेशन की बातें भी कई बार इसमें उठी हैं, इसको भी मैं कहना चाहूंगा कि this is completely baseless and unfounded. क्योंकि जो सेक्शन-118 हिमाचल प्रदेश का है, इसमें शिमला नगर निगम और जितनी भी म्युनिसपल कमेटीज़ हैं, उनमें हिमुडा के तहत हजार स्क्वेयर फीट की जमीन लेना सरकार ने, उसको पहले से ही अलॉऊ किया हुआ है

27/08/2019/1525/MS/HK/1

जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट के लिए है it is concerned only with the residential purposes. तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि अभी जो देश के अन्दर वर्तमान परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, हालांकि जो देश में अभी धारा-370 और धारा-35(ए) है, हालांकि it does not pertain to the State of Himachal Pradesh. वह जम्मू-कश्मीर जहां की परिस्थितियां बहुत अलग थीं तो मर्ज़र के समय की परिस्थितियों को मद्दे-नज़र रखते हुए उसको एब्रोगेट किया गया है मगर I would only like to bring the pertinent issue of Section 35-A. इसमें जो परमानैंट रेजिडैंट्स का दर्ज़ा जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को दिया गया था और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें I am bringing this Colonel Sahib (Indicating towards Col. Inder Singh, Hon'ble Member) because a very senior member of the NDA, former Chief Deputy Minister of Punjab has given a statement in the Lok Sabha that Section 118 should be diluted. Land sharks are looking forward to invest in Himachal Pradesh. उन्होंने पंजाब में तो कोई कमी नहीं छोड़ी। वहां पर उन्होंने बड़े-बड़े होटल्ज बनाए हैं और वही लोग आज हिमाचल प्रदेश में डायल्यूशन की बात कर रहे हैं। Sh. Asaduddin Owaisi said in the Lok Sabha that Section -118 should be diluted. I am not criticizing anybody for the sake of criticism. It is an important issue and I only want clarification from the Chief Minister that no dilution should be done in this, as far as the State Government is concerned. साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो धारा-371 है, जिसमें स्पैशल स्टेट्स नॉथ-ईस्ट के राज्यों को दिया गया है। Why I am bringing this issue here because the Congress Party leader Sh. Manish Tiwari in Lok Sabha during the debate on the abrogation of 370 , specifically spoke about the special Status States covered under Article 371 जिसमें नॉर्थ-ईस्ट के असम, मणिपुर, मेघालय और अरूणाचल प्रदेश इत्यादि राज्य हैं जिनको 31-इ(2) ए,बी,सी,डी,ई के अंदर संविधान में इम्युनिटी और अलग-अलग अधिकार दिए हुए हैं। कल को हमारा जो एप्रिहैंशन है, जहां तक धारा-370 की बात है, मैं उस पर कोई कमैंट नहीं करना चाहूंगा, मगर कांग्रेस पार्टी ने जो एक कन्टेंशन रखा है और जो लोकसभा में भी बात की गई है कि युनिलैटरली जो इसको एब्रोगेट किया गया है without the consent of the State Legislature. Article-3 of the Constitution clearly states that whenever

reorganization of the State has to be taken into the consideration, the views of the State Assembly has to be taken into consideration. मैं जानता हूं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहां पर इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया जा सकता है। मगर एक बहुत ही अनहैल्दी प्रिसिडेंट कानून के अंदर आ चुका है। अगर ऐसी ही परिस्थिति चलती रही तो आज आपकी सरकार है लेकिन कल अगर आपकी सरकार न हो और कांग्रेस पार्टी की सरकार हो I am giving you a hypothetical example, if tomorrow the Congress Government is there in the State what is stopping the Modi Government and the NDA Government from unilaterally implementing this law in the State of Himachal Pradesh. कोई इसको नहीं रोक सकता है। क्योंकि जब कोई प्रिसिडेंट बन जाता है, इसमें मैं यह कहूंगा कि यह एक बहुत ही गन्दा प्रदेश के अंदर प्रिसिडेंट बना है जिसको पूरे देश में हमें कानून के नज़रिये से, I am not talking about the sentiments, I am talking only in terms of Law. This is a very unhealthy precedent which has been set because we live in the federal republic. जैसी पावर्ज हमारी केन्द्र सरकार को दी गई है, वैसी ही पावर्ज राज्य की सरकार को भी दी गई है और केन्द्र सरकार को यह पावर्ज नहीं दी गई है कि वह राज्य की सरकार को पूछे बिना ऐसा एक्शन ले सकती है। (..घण्टी..)

मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ केवल दो महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूंगा। अभी यहां पर होटल्ज के बारे में बहुत चर्चा हुई और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने यहां बात रखी कि जो टूरिज्म के होटल्ज हैं, उनको प्रदेश के अन्दर बेचने का प्रयास किया जा रहा है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया आप अपनी बात धारा-118 तक ही सीमित रखें। मुझे अगला विषय भी लेना है।

श्री विक्रमादित्य सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

27.08.2019/1530/जेके/वाईके/1

अध्यक्षः मैं सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि अब आगे से हम कम विषय लगाएंगे।

श्री विक्रमादित्य सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमुडा की जो एक ऐड आई है जिसमें लिखा है कि 'Invitation for Investing in sector of Housing and Real Estate in Himachal Pradesh.' इसमें स्पैसिफिकली यह दिया गया है कि 'The State Government has recently simplified the procedure for purchase of lease of land by non-agriculturists for setting up investible projects.' माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे केवल इतना चाहता हूं कि आपका आने वाला समय देखेगा, आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वह इस चीज को देखेगी और आज की कार्यशैली आपकी 10 साल बाद देखी जाएगी, उस समय आपको याद किया जाएगा कि जो उस समय की सरकार थी, जिन्होंने हमारे प्रदेश के इंट्रस्ट को बचाया या बाहर के लोगों को यहां पर आ कर प्रदेश में निवेश करने या पोलिटिकल जो सैटअप है, उसको चेंज करने में आपने योगदान दिया है।

I would like a clarification from the Hon'ble Chief Minister and thank you Hon'ble Speaker for giving me the opportunity to speak on this issue.

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री विक्रमादित्य सिंह जी ने नियम-62 के अन्तर्गत जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया है उसका मेन टैक्स्ट है; "to call the attention of the Chief Minister to the situation arising out of 'Dilution of Section 118 of Himachal Pradesh Land Tenancy and Reform Act, 1972 in view of abolition of Article 35A of Indian Constitution."

माननीय अध्यक्ष महोदय, आमतौर पर जो कालिंग अटैंशन होता है वह स्पैसिफिक होता है, एक विषय पर होता है, बहुत सारे विषयों पर नहीं होता । मुझे अच्छा लगा कि आपने स्टडी किया है, अध्ययन किया है। आपने यहां पर अपना विस्तृत पक्ष रखा, जानकारी दी और कुछ बातें आपने यहां पर बताईं, वे जानकारी की दृष्टि से अच्छी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सारे विषय को ले कर मैं कई दिनों से सोच रहा हूं। मैं बाहर भी खबरें सुनता हूं, अन्दर आते हैं तो अन्दर भी सुनता हूं, व्यवहार में भी देखते हैं और शोर में भी देखते हैं। कुछ अलग तरह का माहौल हम देख रहे हैं। वह माहौल शंका का माहौल है, अविश्वास का माहौल है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा हो सकता है। मैं सबसे पहले यही चाहूंगा कि ऐसी मंशा होने की परिस्थिति आपकी क्यों बनी है। हमने हिमाचल प्रदेश में एक इनिशिएटिव लिया। उसमें पहले आपने भी काम किया, ऐसा नहीं है

कि हमने ही किया है। हम उसको और ज्यादा बेहतर ढंग से करने की कोशिश कर रहे हैं। जब से ग्लोबल इन्वैस्टर मीट का प्लान किया है, शरूआत की है उस दृष्टि से काम करने की बात की है, हमने सोचा कि नया इनिशिएटिव लेना चाहिए। सभी प्रदेश ले रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें? हम इस बात से भी सहमत है कि प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं, सरकार के संसाधनों से प्रदेश के विकास को जिस अंजाम तक हम पहुंचाना चाहते हैं, वह सम्भव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश में हमारे विकास को, आगे बढ़ने के रास्ते में सहयोग कर सके, इसलिए उन लोगों को यहां पर आना चाहिए। पूरी दुनिया भर से देश में इन्वैस्टमैंट आ रही है। पूरे देश भर से प्रदेशों में इन्वैस्टमैंट जा रही है। ऐसी परिस्थिति में हमने विचार किया । आप लोगों ने भी एक इनिशिएटिव लिया था और आप लोगों ने भी इन्वैस्टर मीट के लिए रोड़ शोज़ किए थे। हम भी इन सारी चीजों के बारे में सोचते रहे और

आगे न बढ़े इसलिए यह न्यायसंगत नहीं होगा उस दृष्टि से हमने कदम उठाए और आगे बढ़े।

27.08.2019/1535/SS-YK/1

अब जैसे ही हमने उसमें काम शुरू किया तो फिर हंगामा शुरू हो गया कि हमसे तो हुआ नहीं है, ये क्यों कर रहे हैं। इसको रोकने का रास्ता/तरीका ढूंढो कि कैसे किया जा सकता है। फिर इस तरह की चीज़ों को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि अब यह हो जायेगा या वह हो जायेगा, हिमाचल बिक जायेगा। देखिये, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, मेहरबानी के लिए, भगवान् के लिए, ऐसी धारणा मत पैदा करिये। जितनी जिम्मेवारी के साथ आप लोग कह रहे हैं उससे भी ज्यादा जिम्मेवारी के साथ हम कह रहे हैं कि हिमाचल के हितों की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इंवैस्टमैंट आए या न आए, वह अलग विषय है लेकिन हिमाचल के हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी को निभाने में हम कोई भी कोताही नहीं करेंगे।

अब जहां तक आपने डॉ0 यशवंत सिंह परमार जी के हिमाचल प्रदेश भू-सुधार अधिनियम, 1972 की धारा-118 का ज़िक्र किया। मैं मानता हूं और डॉ0 यशवंत सिंह परमार जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उस वक्त हिमाचल प्रदेश के हित के बारे में सोचा। वह सचमुच में उस वक्त की ज़रूरत थी और आज भी हम इस ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं कि यह कायम रहना चाहिए। यथावत् रहना चाहिए और इसमें कोई भी डाइल्यूशन न

करने की आवश्यकता है और न ही करनी चाहिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ज़िक्र आ जाता है कि यह किया जा रहा है या वह किया जा रहा है। अगर कुछ किया हो तो ज़िक्र करो। लेकिन अगर किया ही नहीं है तो ज़िक्र नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, उस लगने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको तो बहुत कुछ चीज़ें लगती होंगी। देखो, वहम का कोई इलाज नहीं है। आप वहम के शिकार हो गए हैं। यह वहम कई बार बहुत घातक होता है। ऐसे में मैं समझता हूं कि हम पर यकीन करो, विश्वास करो। इस बात को मैं ज़रूर कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने यहां पर रखना चाहूंगा। यह जो धारा-118 का ज़िक्र हो रहा है, यह अधिनियम, 1972 में पारित हुआ था। जिसके बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन जो मंशा आपने जाहिर की है मैं भी उससे सहमत हूं। डॉ0 यशवंत सिंह परमार जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए जो उस वक्त सोचा था वह सचमुच में तर्कसंगत था, जिसके कारण इसकी ज़रूरत पड़ी है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस अधिनियम की धारा-118 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी गैर-कृषक प्रदेश में बिना प्रदेश सरकार की अनुमति के अपने नाम भूमि हस्तांतरित नहीं करवा सकता है। यह सरकार की अनुमति के बिना सम्भव नहीं है। उस वक्त जो प्रावधान किया गया, वह आज भी कायम है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप (विपक्षी सदस्य) तो हम पर शक ही किये जा रहे हैं। वहम किये जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आज तक जो संशोधन धारा-118 में किये गये, मैं उनका ज़िक्र करना चाहता हूं। धारा-118 में दिनांक 28.4.1976 को संशोधन किया गया। उस वक्त मेरी उम्र 10 वर्ष की ही थी। उसके बाद दूसरा संशोधन 14.4.1988 को किया गया। उसके बाद अगला संशोधन 4.4.1995 को किया गया। 28.4.1976 को कांग्रेस की सरकार थी। 14.4.1988 को कांग्रेस की सरकार थी। 4.4.1995 को भी कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त इसमें संशोधन किया गया। रूल्ज़ में परिवर्तन नहीं किया गया बल्कि धारा-118 में अमैंडमैंट्स की गई हैं। उसके बाद 28.12.1996 में फिर आप सत्ता में थे। हम तो थे ही नहीं। फिर उसके बाद वर्ष 2006 में इसमें संशोधन किया गया, उस वक्त भी आप ही थे। हम नहीं थे। तो ऐसी परिस्थिति में आप हम पर शक किये जा रहे हैं। हम इन सारी बातों को कहें तो यकीन के साथ बोल सकते हैं क्योंकि ये दस्तावेज हमारे सामने हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। अगर

सही मायने में धारा-118 में डाइल्यूशन की दृष्टि से ऐक्ट में अमैंडमैंट्स हुई हैं तो वे हमारे कारण नहीं हुईं बल्कि आपकी कांग्रेस सरकार के कारण हुई हैं।

27.08.2019/1540/केएस/एजी/1

शायद उस वक्त इस बात को महसूस भी किया गया कि कुछ चीजों के लिए परिवर्तन करने की जरूरत है। मैं उसमें डिटेल में जाना नहीं चाहता कि 1976, 1988, 1995, 1996, या 2006, में कौन-कौन सी अमैंडमैंट्स हुई थीं, यह एक लम्बा विषय है लेकिन अमैंडमैंट्स हुई हैं। हम पिछले पौने दो वर्षों से सरकार में हैं और हमारी सरकार बनने के बाद ही इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया था। मैं भी नया-नया मुख्य मंत्री बना था, मुकेश जी भी नए थे, इनको किसी ने चाबी मार दी कि यह होने जा रहा है इसलिए आप शोर डालो कि धारा 118 में ऐसा किया जा रहा है। हमने कहा कि हम तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, यह होने जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो वर्ष बीतने को आ गए, बिना कुछ किए भी हम सुने जा रहे हैं। लेकिन हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि आज की तारीख़ में वह बात नहीं रह गई है। हम यहां पर जितना मर्जी शोर डालें, इस टैक्नोलॉजी के युग में आपको यह मानकर चलना पड़ेगा कि हमारी या आपकी बातों पर इतनी जल्दी लोग विश्वास नहीं करते। टैक्नोलॉजी के युग में क्या-क्या हो रहा है, यह सब हाथ पर है। आपका मोबाइल ऑन होता है, किसने क्या किया, कब किया, इन चीजों को छिपाया नहीं जा सकता क्योंकि ये सारी पब्लिक डोमेन की चीजें हैं। अब लोग बोल रहे हैं कि जब पिछले 18 महीनों में इस सम्बन्ध में कुछ हुआ ही नहीं है तो शोर क्यों मचाया जा रहा है? मुकेश जी, आपकी पार्टी के बारे में भी बाहर धारणा ठीक नहीं बन रही है क्योंकि आप लोग बिना वजह के शोर किए जा रहे हैं और हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में इस बात को रोकने की आवश्यकता है। आज हम फैक्चुअल पोजीशन को छिपा नहीं सकते। एक दौर होता था जब लोगों को जानकारी ही नहीं होती थी। उनको कहा जाता था कि ऐसा हो गया, तो वे मान लेते थे कि हो गया होगा। आज तो हम जो बोलते हैं, लोग तुरंत दूसरे मिनट में वेरिफाई कर

देते हैं कि हुआ है या नहीं हुआ है। आज हम टैक्नोलॉजी के युग में लोगों के बीच में इस तरह की चीज़ खड़ा करने की कोशिश करें तो इसका कोई लाभ नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आगे बढ़कर थोड़ी सी बात करना चाहता हूं- हिमाचल प्रदेश मुज़ारियत एवं भू-सुधार नियम 1975 के नियम 38 में भी वर्ष 2011-12 में संशोधन करके अनुमति प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित की गई। वर्तमान में सरकार द्वारा धारा 118 में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है। 2014-15 के बजट भाषण में क्रम संख्या 81 पर यह घोषणा की गई थी, प्रदेश में मझोले व बड़े उद्योगों एवं राज्य स्तरीय एकल खिड़की तथा अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को धारा 118 के अंतर्गत निजी भूमि क्रय करने हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। 2014-15 में हमारी सरकार नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी और मैं उसको पढ़कर सुनाता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट स्पीच दी गई थी। वर्ष 2014-15 की बजट स्पीच का पैरा नम्बर-81 है, जिसमें लिखा है कि "राज्य सरकार नए निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से उद्योग मित्र वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। हमने स्वीकृतियां प्रदान करने की प्रणाली को कारगर बनाया है तथा सभी मध्यम एवं बड़ी परियोजनाओं को 90 दिन की अवधि में स्वीकृति प्रदान करने के लिए सामान्य प्रार्थना प्रपत्र आरम्भ किया है। विभिन्न स्वीकृतियों को और अधिक सरल और कारगर बनाने तथा शीघ्र निपटाने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब मेरी अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय एकल खिड़की तथा अनुश्रवण समिति द्वारा किसी औद्योगिक इकाई को अनुमोदन प्रदान कर दिया जाता है तो उसके तुरंत बाद इकाई की स्थापना के लिए एच.पी. लैंड टैनेंसी एण्ड रिफॉर्म एक्ट की धारा 118 के अंतर्गत एक तय भूमि की सीमा के भीतर प्रदेश सरकार द्वारा निजी भूमि क्रय करने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी जाएगी।

27.8.2019/1545/av/ag/1

यह बजट स्पीच वर्ष 2014-15 के पैरा संख्या 81 में है। राजस्व तथा उद्योग विभाग इस दिशा में शीघ्र आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार करेंगे। इसी प्रकार राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए भूमि आबंटन हेतु एच0पी0 टेनेंसी एण्ड लैंड रिफॉर्म्ज ऐक्ट की धारा 118 के अंतर्गत उद्योग विभाग अधिकृत होगा। एकल खिड़की समिति के अनुमोदन को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के विद्युत लोड की स्वीकृति भी समझा जायेगा। हम नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम तथा नियम के अंतर्गत उद्योगों के लिए फ्लोर एरिया रेशो को बढ़ाने का भी प्रस्ताव करते हैं और यह आपके पैरा संख्या 81 में दिया गया है। मैं इसके आगे थोड़ा और कहना चाहता हूं। इसके उपरांत उक्त नियमों में दिनांक 12.9.2014 को कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय पुनः संशोधन किया गया। जिसमें औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य हेतु नियमों में सरलीकरण किया गया तथा राज्य स्तरीय एकल खिड़की समिति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृत उद्योग इकाई के मामलों को निदेशक (उद्योग) से सीधे तौर पर सरकार की अनुमति हेतु प्रेषित करने का प्रावधान किया गया जिसमें अंतिम स्वीकृति पुनः संबंधित उपायुक्त द्वारा प्रदान किए जाने का प्रावधान था। इससे पूर्व सभी मामले उपायुक्त के माध्यम से ही सरकार को प्रेषित किए जाते थे। इससे आगे अनिवार्यता प्रमाणपत्र के बारे में बात है जिसमें धारा 118 की अनुमति प्रदान करने हेतु दिए जाने वाले प्रार्थना पत्र के साथ संबंधित विभाग का अनिवार्यता प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है ताकि आवश्यकता से अधिक भूमि का स्थानांतरण न हो। साथ ही, संबंधित विभाग द्वारा प्रार्थी की पात्रता का आकलन भी हो। वर्ष 2012 में अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करने हेतु एक प्रपत्र निर्धारित किया गया व इसे जारी करने से पूर्व कुछ विभागों जैसे टी0सी0पी0, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लोक निर्माण विभाग इत्यादि का अनापत्ति प्रमाणपत्र जिसको हम एन0ओ0सी0 बोलते हैं; आवश्यक कर दिया। यद्यपि औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए दिनांक 12.9.2014 को उक्त विभागों का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बारे में छूट प्रदान की गई है। पूर्व सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के बजट अभिभाषण में धारा 118 के अंतर्गत प्रक्रिया के सरलीकरण की घोषणा के

क्रम को ही जारी रखते हुए वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में उद्योग के साथ-साथ अन्य निवेश करने योग्य सभी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए व प्रदेश में रोज़गार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से दिनांक 25.9.2019 को अधिसूचना जारी करके अनिवार्यता प्रमाणपत्र की स्वीकृति की प्रक्रिया को और भी सरल किया है। पूर्व में विभिन्न विभागों के अनापत्ति प्रमाणपत्र अनिवार्यता प्रमाणपत्र के जारी होने से पहले ही लेने पड़ते थे। अब आवेदक को अनुमति मिलने के उपरांत जब वह भूमि का मालिक बन जायेगा विभिन्न विभागों के नियमानुसार ये अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने पड़ेंगे। इससे मामलों का समयबद्ध तरीके से व नियमों के अनुसार निष्पादन हो सकेगा। आवेदन व उसके उपरांत प्रार्थना पत्रों पर विभिन्न स्तरों पर विचार एवं निष्पादन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु इसे ऑन लाईन भी किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी इच्छा यह है कि सारा झगड़ा ही खत्म हो। आने वाले समय में हम 118 के सारे प्रोसैस को ऑन लाईन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि जिस आदमी को सचमुच में जरूरत है और नियमानुसार उसका काम होना चाहिए। वह कई सालों तक चक्कर काटते-काटते परेशान हो जाता है। आखिरकार चाहे किसी ने इण्डस्ट्रियल युनिट लगानी है या किसी ने फ्लैट खरीदना है या मकान बनाना है; वह सारी चीजों में उलझ कर रह जाता है। जब वह जमीन का मालिक बना ही नहीं और उसको हम बोल रहे हैं कि तुम एन0ओ0सी0 लाओ।

27.8.2019/1550/टी.सी.वी./डी.सी.-1

जो वाज़िब नहीं है। आप कहेंगे कि लोक निर्माण विभाग, टी.सी.पी. या प्रदूषण बोर्ड का एन.ओ.सी. लेकर आओ। लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन क्या है? इन सारी चीजों को लेकर आने वाले समय में सरलीकरण करने की आवश्यकता है और उनको हमें मिलकर करने की कोशिश करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि अन्य राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में जब कोई निवेशक सरकार के साथ एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करता है तो उसे उसी समय भूमि आबंटित कर दी जाती है। हिमाचल प्रदेश में प्रार्थी को निजी भू मालिकों से आपसी रज़ाबंदी से भूमि का सौदा करने के उपरान्त ही दोनों पक्षों द्वारा भूमि क्रय-विक्रय के मामले पर सरकार द्वारा अनुमति प्रदान करने का विचार होता है। जब कोई खुद अपनी ज़मीन बेचना चाहेगा और दूसरा खरीदना चाहेगा तो इसमें उन दोनों की सहमति होनी जरूरी है। ऐसी परिस्थिति में यदि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से धारा-118 के तहत परमिशन की आवश्यकता है तो वही एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम इस काम को कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति ज़मीन बेचने के लिए तैयार नहीं होगा तो उसको जबरदस्ती कौन खरीद सकता है? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

अतः प्रदेश सरकार द्वारा 2014-15 के बजट अभिभाषण के मद संख्याः 81 में दिए गए आश्वासन के अनुरूप ही प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है, किन्तु इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि धारा-118 में कोई संसोधन न किया जाये। इसमें संशोधन करने की कोई जरूरत भी नहीं है। एक फ्लैट खरीदने के लिए किसी आदमी को घूमते-घूमते 4 या 7 साल लग जाते हैं, इसलिए हमने यह तय किया है। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पूरा पता चल पायेगा कि दिक्कत कहां पर आ रही है या मामला कहां पर अटका है? कुछ लोग सोचते हैं कि पता नहीं कितनी लैंड बेच दी है। मेरे पास 2015-16 व 2017 का आंकड़ा है। इसमें धारा-118 के तहत जो परमिशन दी गई है, वह 1061 मामलों में दी गई है और हमारी सरकार के समय में यह आंकड़ा 511 तक पहुंचा है। मैं पांच साल के आंकड़े नहीं बता रहा हूं। मैं सिर्फ तीन साल के ही आंकड़े बता रहा हूं। आप जो धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लोग नहीं मानेंगे। लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए इस संशय से बाहर निकलने की कोशिश करें। माननीय सदस्य श्री विक्रमादित्य सिंह जी बहुत चिंतित थे। मैं इनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि इन्होंने धारा-370 व 35ए को समाप्त करने का स्वागत किया है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस बात को ह्दय से स्वीकार किया कि यह देश एक होना चाहिए था। आज हमें इस बात की खुशी है कि हमारे

आदरणीय भाई नरेन्द्र मोदी जी और अमित शाह जी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। कल मैं टेलीविज़न में देख रहा था और अख़बार में भी आया था कि श्रीनगर के सचिवालय के ऊपर सिर्फ़ एक तिरंगा झण्डा लगा है। पहले जब हम वहां जाते थे, तो वहां सचिवालय के ऊपर एक नहीं दो झण्डे लगते थे और दूसरा झण्डा भी हमारे झण्डे के बराबर ही लगता था। आप 35ए के बारे में बात कर रहे थे लेकिन 35ए का तो हमारे से कोई लेना-देना नहीं है। (...व्यवधान...) 35ए का तो स्पैसिफिक प्रोविज़न जम्मू कश्मीर के संदर्भ में था और धारा-370 भी जम्मू-कश्मीर से संबंधित थी।

27-08-2019/1555/NS/DC/1

हां, यह बात ठीक है कि कुछ लोगों को दिल्ली में यह बात समझने में कठिनाई आई होगी। शायद ओवैसी और सुखवीर सिंह बादल ने जिक्र किया कि धारा-118 खत्म होना चाहिए। मैं इस सारी बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं। उन्होंने इस बात को नहीं समझा। धारा-118 हमारी स्टेट का एक्ट है और धारा 370 एक अलग संवैधानिक प्रोवीज़न है और यह केवल एक ही स्टेट के लिए किया गया था। इसकी वजह मैं नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि उस दिन मेरे माननीय मित्र (विपक्ष) बाहर चले गए थे, जब यहां पर इसका जिक्र किया गया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम धारा-118 को ऑनलाइन कर रहे हैं और हम इसको करके रहेंगे ताकि आपका (विपक्ष) शक दूर हो जाए और आप बैठ करके उसको देखते रहें। मैं यह कहना चाहता हूं कि H.P. Tenancy and Land Reforms Act, 1972 की धारा-118 की उप धारा (i) में प्रावधान किया गया कि हिमाचल प्रदेश का गैर-कृषक व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में कृषि भूमि का क्रय नहीं कर सकता है। किन्तु भारत का कोई भी नागरिक हिमाचल प्रदेश में निवास करने के लिए सरकार की अनुमति से आवास योग्य भूमि का क्रय करके भवन बना सकता है तथा वाणिज्य के उपयोग के लिए क्रय कर सकता है। जब हम धारा-118 का हम जिक्र करते हैं, मैं मानता हूं कि यह ऐसी चीज़ नहीं है जैसा ओवैसी और सुखवीर सिंह बादल ने जिक्र किया है। उनको शायद क्लैरिटी नहीं हो पाई और उनको इसे धारा-370 से नहीं जोड़ना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश में पूर्व सरकार के समय में भी इंडस्ट्रीज़ लगी थी और तब लगी जब धारा-118 की परमिशन हुई। पूर्व सरकार के समय में हाउसिंग कॉलोनी व फ्लैट्स बने थे तो आपने भी धारा-118 की परमिशन दी थी और

भाजपा सरकार के समय भी परमिशन दी गई है। यह ऐसा नहीं है, यह सिर्फ यह है कि हिमाचल के एग्रिकल्चरिस्ट या किसान ऐसी परिस्थिति में न हो जाएं कि बाहर के लोग आ करके उनकी कृषि भूमि को खरीद कर उन्हें बेघर कर दें और कृषि योग्य भूमि भी न छोड़े। इसलिए इसकी प्रोटेक्शन के लिए ही धारा-118 में यह प्रोवीज़न किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य 38 (ए) में कंफ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। मैं सभी माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रावधान वर्ष 2012 में हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू-सुधार नियम-1972 के नियम- 38 (A) में किया गया था। पूर्व सरकार ने वर्ष 2014 में बजट भाषण के दौरान उद्योगों हेतु नियम-38 में संशोधन करके अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इन अनापत्ति प्रमाण पत्रों का हटा दिया था। क्योंकि इसमें विलम्ब लगता था, जो एक सही कदम था। मैं भी इस बात को मानता हूं कि यह सही कदम था। यह वर्ष 2014 में किया गया था।

27.08.2019/1600/RKS/HK-1

क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति भूमि का मालिक नहीं बन जाता तब तक न तो उसके द्वारा किसी विभाग का एन.ओ.सी. प्राप्त करने का कोई औचित्य है और न ही किसी भी विभाग के नियमों में भूमि के मालिक के अतिरिक्त किसी और को भी किसी प्रकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का कोई प्रावधान है। इसी क्रम को जारी रखते हुए नियम-38 के अंतर्गत ही उद्योगों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के निवेशों वाले प्राजैक्ट पर भी इन अनापत्ति प्रमाण पत्रों को न लेने का प्रावधान किया गया। अतः हमने कुछ भी ऐसा बदलाव नियमों में नहीं किया जो कि पूर्व सरकार द्वारा पहले से ही न किया जा चुका हो। जहां तक प्रक्रिया का सवाल है पूर्व सरकार द्वारा वर्ष 2014 में की गई बज़ट घोषणा के उपरांत राज्य स्तरीय एकल खिड़की तथा अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित मामलों में नियम-38(ए) में यह प्रावधान किया गया था कि ऐसे मामले सीधे सरकार को भेजे जाएंगे व सरकार की अनुमति प्रदान करने के उपरांत उनको संबंधित उपायुक्त को भेजा जाएगा। जो प्रार्थी से संबंधित प्रपत्र एल.आर.-14 पर प्रार्थना पत्र प्राप्त करके उसे स्वीकृत कर देगा। यदि उपायुक्त को यह

लगे कि मामला किन्हीं कारणों से सरकार को पुनर्विचार हेतु वापिस किया जाना है तो वह कारणों सहित ऐसा कर सकता है। हमने भी यही प्रावधान नियमों में बरकरार रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि धारा-118 एक संवेदनशील इश्यू है और हिमाचल प्रदेश का हर नागरिक इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है। उनके हितों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेवारी है लेकिन बिना वजह के इस प्रकार का संदेश देना गलत बात है। हम इसमें कोई छेड़खानी या परिवर्तन नहीं कर रहे हैं और न ही हमारी इस प्रकार की कोई मंशा है। मुझे लगता है कि आपको इस दायरे से बाहर निकलने की आवश्यकता है। हमने न इस पर कोई अमैंडमैंट लाई है और यदि लाई भी होती तो वह इस सदन में प्रस्तुत की जाती और आप सभी लोग इस पर चर्चा करते लेकिन जो नहीं किया है उस पर आप आरोप लगा रहे हैं जो कि कतई भी उचित नहीं है। जो नियम-62 के अंतर्गत माननीय सदस्य, श्री विक्रमादित्य सिंह जी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया है, वह हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से है। यह ठीक है कि प्रदेश के लोगों की रक्षा होनी चाहिए लेकिन पहले आपको इस मंशा, इस धारणा और अविश्वास के माहौल से बाहर आना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा हम सब मिलकर करेंगे। धारा-118 कायम रहेगी, जैसी थी, वैसी रहेगी लेकिन जो हम काम करने जा रहे हैं उसके बीच में इस प्रकार का मुद्दा खड़ा करने की कोशिश न की जाए। हम हिमाचल प्रदेश को विकास की राह में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और इसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। धारा-118 का ज़िक्र करते हुए हम इतना शोर कर रहे हैं कि कोई हिमाचल प्रदेश में विकास के लिए सहयोग भी देना चाह रहा हो तो वह आगे आने से रूक जाएगा।

अध्यक्षः इससे पहले की मैं नियम-130 के अंतर्गत श्री राम लाल ठाकुर जी को आमंत्रित करूं,उससे पहले मैं माननीय सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि 29 अगस्त, 2019 को पूरे देश में 'Fit India Movement' यानी पूरा भारत स्वस्थ रहे की शुरूआत होने जा रही है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है और इसकी लिखित सूचना भी आपको भिजवा दी जाएगी।

29 तारीख को प्रातः सदन आरम्भ होने से पहले 10.50 बजे पूर्वाह्न पुस्तकालय भवन में हम सब चुने हुए प्रतिनिधि यदि फिट इंडिया मूवमेंट की चिंता करेंगे तो पूरा प्रदेश इस पर अमल करेगा। इसमें मेरा आग्रह है कि यह पांच मिनट का संकल्प है उसमें आप सभी माननीय सदस्य भाग लें।

दूसरा जो विषय माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी ने यहां पर नियम 130 के अंतर्गत लाया है इसमें तीन माननीय सदस्यों के नोटिस आए हैं। माननीय श्री रमेश ध्वाला जी, श्री बिक्रम जरयाल जी और चौथा नोटिस जो बाद में आया है वह श्री रविन्द्र कुमार जी का है। ये माननीय सदस्य इसमें अपनी बात रख सकते हैं। मेरी सदन से गुजारिश है कि मेरे पास इसमें चर्चा हेतु बहुत लम्बी सूची आई है। अगर ये चारों लोग अपनी बात कहेंगे और माननीय मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर देंगे तो यह विषय पूरा हो सकता है अन्यथा यह विषय स्वास्थ्य वाले विषय की तरह चार दिनों तक लटकता रहेगा। इसमें सभी वरिष्ठ माननीय सदस्य बोलने वाले हैं इसलिए चर्चा में पूर्ण विषय आ जाएगा । माननीय राम लाल ठाकुर जी एवं माननीय रमेश ध्वाला जी बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं माननीय सदन को बता देना चाहता हूं कि यदि आप सदन का समय भी बढ़ाना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास 31 मामले नियम 130 के, नियम 62 के 14 मामले और नियम 61 के नौ मामले हैं। हमारे पास जितने दिन हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा-से-ज्यादा मामलों पर सदन में चर्चा हो और उनका उत्तर भी आ जाए। माननीय सुखविन्द्र सिंह जी यदि आप प्रेक्टिकली बात करते हैं तो ठीक है। पांच बजे माननीय सदन का समय बढ़ा दिया जाएगा और अगले विषय चर्चा के लिए नहीं लगेंगे। जो माननीय सदन चाहेगा वह हम कर देंगे। मैं एक व्यवस्था दे रहा हूं ताकि ज्यादा-से-ज्यादा विषयों पर चर्चा हो सके।

अध्यक्ष : माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी ।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी और आपने समय को ध्यान में रखते हुए बात कही है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि कुछ और भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं तो सभी माननीय सदस्यों के समय में थोड़ी कटौती कर दीजिए और एक- आधा घंटा अगर माननीय सदन का समय भी बढ़ा दें तो ठीक रहेगा।

अध्यक्ष : जो चार माननीय सदस्य हैं ये भी एक घंटा लगाने वाले हैं और एक घंटे का इसमें उत्तर भी आएगा। मेरे पास विपक्ष की ओर से आठ माननीय सदस्यों के नाम आए हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप माननीय सदन को लम्बा चलाना चाहें, चला सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि यह तीन विषय एक साथ इकट्ठा किए हुए हैं। इनके विभाग भी अलग-अलग हैं। विभाग की ओर से भी काफी विस्तार से उत्तर आए हैं। मैं समझता हूं कि जिन चार माननीय सदस्यों का यह विषय है वे बोलें तो काफी चर्चा इसमें हो जाएगी और उसमें सारी बातें भी आ जाएगी।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी और विपक्ष के नेता ने एक बात रखी है, इसलिए हम बीच का रास्ता निकालते हैं कि दो सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य और दो विपक्ष के माननीय सदस्यों के नाम चर्चा के लिए दे दीजिए। अब माननीय राम लाल ठाकुर जी अपनी बात रखें।

27.08.2019/1610/डी0टी0/वाई0के0-1

नियम.130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री राल लाल ठाकुर (श्री नैना देवीजी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 130 के अंतर्गत मैंने एक विषय आपके ध्यानार्थ दिया था, आपका धन्यवाद आपने इसे आज की कार्यवाही में शामिल किया। मैं विषय को पढ़कर बताना चाहूंगा कि प्लास्टिक के उपयोग, अवैध खनन और अवैध कटान तथा अन्य प्रकार के प्रदूषण से पर्यावरण को बढ़ रहे खतरे से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे। इस विषय को हमने इसलिए रखा है कि यह

केवल हिमाचल प्रदेश की चिंता नहीं है बल्कि पूरे भारत वर्ष की चिंता है। परंतु यह विषय ऐसा है कि इसके ऊपर पूरी दुनिया चिंता प्रकट कर रही है। मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि यह विषय ऐसा है कि जिसके ऊपर हमारे वैज्ञानिकों ने पिछले चार-पांच वर्षों से चिंता जाहिर की है। उन्होंने इलैक्ट्रोनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में इस बारे में बहुत विस्तार से छापा था। मैंने चार वर्ष पूर्व जब माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री होते थे, मैंने एक पत्र इन्हें लिखा था कि शंका यह हो रही है कि वैज्ञानिक लोग यह कह रहे हैं कि वर्ष 2025 में हमारी जो पानी के स्त्रोत हैं वे सूख जाएंगे और पीने का पानी नहीं मिलेगा। हमारे दो तिहाई पानी के स्त्रोत सूख जाएंगे मात्र एक तिहाई पानी का हिस्सा बचेगा। यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि अगर पीने का पानी न मिले और उसके ऊपर यह कहा जाए कि जो पहाड़ी राज्य हैं उनके ऊपर इसका प्रतिकूल असर ज्यादा पड़ेगा। जिसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। यह कहा गया कि जो पानी का स्तर है वह और नीचे जाएगा। आपकी नदियों और खड्डों का पानी भी सूखेगा और यह शुरूआत महाराष्ट्रा में पिछले साल हो गई है। महाराष्ट्र में जहां इतना बड़ा डैम बना था वह डैम सूख गया और वहां पीने के पानी कि तो दूर की बात परन्तु डैम के लिए एक भी बूंद नहीं मिली इसका परिणाम यह हुआ कि वहां पर सरकार ने ट्रेन के माध्यम से पीने का पानी मुहैया करवाना पड़ा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रधान मंत्री जी ने जो चिंता जाहिर की है और उन्होंने इस वर्ष जो अपने मन की बात की है। उसमें उन्होंने पर्यावरण की रक्षा की बात कही है। इस बारे में वैज्ञानिकों ने वर्ष 2015 की बात की थी

उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए

परन्तु प्रधान मंत्री ने कहा कि वर्ष 2030 के बाद भारत वर्ष में यह स्थिति आ जाएगी। इसलिए हमें जितना हो सके पीने के पानी के स्त्रोतों को बचाए रखना चाहिए। पर्यारण की रक्षा करनी चाहिए और जिस तरीके से हमारे जमीन के नीचे जो पानी है उस लैवल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, नदियों में पानी कैसे ठीक रहे इसके ऊपर प्रधान मंत्री जी ने भी मन की बात में चर्चा की है। यह इस विषय से जुड़ी हुई बात थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 1983 में माननीय वीरभद्र सिंह जी प्रदेश में मुख्य मंत्री बन कर आए। उन दिनों ऐसे इश्यूज थे कि जो जंगलों के कटान का विषय था और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आदरणीय वीरभद्र सिंह जी को हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री बनने की जिम्मेवारी दी। आदरणीय वीरभद्र सिंह जी जब प्रदेश के मुख्य मंत्री बने तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं उनको याद होगा कि उस समय जो सेब की पेटियां होती थी उसके लिए गेल्टू काटे जाते थे।

27-08-2019/1615/वाई.के.-एन.जी./1

इसके कारण चीड़ के जंगल साफ हो रहे थे या कैल के पेड़ कट रहे थे। उस समय की सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया कि कोई गेल्टू नहीं कटेगा, कोई पेड़ नहीं कटेगा और कार्टन बॉक्सिस की शुरूआत की गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा की ग्रीन फेलिंग के ऊपर भारत सरकार ने भी और सर्वोच्च न्यायालय ने भी कम्पलीट बैन लगा दिया है जिसके कारण हरे पेड़ों को काट नहीं पाएंगे। फोरेस्ट डिपार्टमैंट के वरिष्ठ अधिकारी से और माननीय वन मंत्री जी से मैंने कहा कि ये जो स्टेटमैंटस आ रही है कि 2 सालों के अन्दर हिमाचल प्रदेश में साढ़े बारह प्रतिशत वर्ग किलोमीटर फोरेस्ट एरिया बढ़ा है, यह गलत है। क्योंकि मैने एक प्रश्न किया था और उसके उत्तर में कहा गया कि वर्ष 2017 में सैटेलाइट के माध्यम से किए गए सर्वे के अनुसार अब तक जो प्लांटेशन हुई उससे हिमाचल प्रदेश में 12 वर्ग किलोमीटर फोरेस्ट एरिया बढ़ा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की परिस्थिती ऐसी है कि ग्लोबल वार्मिंग का समय है, ऐसे-ऐसे मुल्क हैं जो पुरी तरह बर्फ से ढके रहते थे परन्तु अब वहां पर बर्फ खत्तम हो गई, नदियां का बहाव दूसरी तरफ हो गया, जहां पर सूखा पड़ता था वहां पर अब बर्फ पड़ रही है। ये ग्लोबल वार्मिंग का विषय है और यह पूरी दूनिया का विषय है। हिमाचल प्रदेश सरकार और प्रदेश के हमारे भाई, वे सब समय रहते इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारे हिमाचल प्रदेश में और भी ज्यादा दिक्कतें होने वाली है। केन्द्र सरकार कहती है कि पर्यावरण की रक्षा करो, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों को कहती है कि पेड़ लगाओ और पेड़ नहीं काटने, ग्रीन फेनिंग पर बैन

लगा दिया गया। एक समय ऐसा भी था जब हिमाचल प्रदेश की आमदन फोरेस्ट के माध्यम से हुआ करती थी, चाहे वो राजाओं का समय हो या हिमाचल प्रदेश में जब टैरिटोरियल कौन्सिल आई तब की बात की जाए। आज तक प्रजातंत्र में हमने मील के पत्थर स्थापित किए हैं और पंचवर्षीये योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश ने पर्यावरण की रक्षा की है।

पेड़ों के कटान के ऊपर प्रतिबन्ध लगाया गया और कहा गया कि हमें अधिक पेड़ लगाने हैं व 60 प्रतिशत भूमि के ऊपर पेड़ लगने चाहिए। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने भी इसके लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। लेकिन आज पीड़ा का विषय यह है कि केन्द्र सरकार ने भारत वर्ष में जो मैदानी इलाके हैं क्या उनके ऊपर कोई प्रतिबन्ध लगाया? पहाड़ों में पानी न होता, यहां पर सतलुज या अन्य दूसरी नदियों का पानी न होता तो हरियाणा-पंजाब के बीच में जो पानी का झगड़ा है यह कहां पर खड़ा होता। यह झगड़ा तब है जब हिमाचल प्रदेश या हमारे जैसे पहाड़ी राज्यों कि नदियों में पानी है। यहां के ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों में जो बर्फ पड़ती है और जो हमारे ग्लेशियर हैं वह पिंघलते तो नदियों में पानी आता है। हमारे ग्लेशियर पिंघलते जा रहें जो कि बहुत ही चिन्ता का विषय है। केन्द्र सरकार ने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए और जब से ग्रीन फेलिंग हुई तब से हिमाचल प्रदेश को एक भी पैसा इसकी एवज़ में नहीं दिया। केन्द्र सरकारों ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करो, पेड़ मत काटो, 60 प्रतिशत जमीन के ऊपर पेड़ लगने चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करने वाले प्रदेशों के के बारे में केन्द्र की सरकारों ने चाहे किसी की भी सरकार हो, कुछ नहीं किया। हिमाचल प्रदेश और बाकी प्रदेशों में जहां पर पर्यावरण की रक्षा हुई है, उन प्रदेशों के लिए केन्द्र सरकार ने कोई भी आर्थिक सहायता या अन्य कोई मदद नहीं की है।

27/08/2019/1620/RG/AG/1

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो स्थिति पैदा हो रही है, यह क्यों पैदा हो रही है? यह इसलिए भी पैदा हो रही है क्योंकि यहां बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स आ रहे हैं, यहां पन बिजली की परियोजनाएं लग रही हैं, जिसके लिए हजारों पेड़ कट रहे हैं। लेकिन क्योंकि परियोजना बननी है इसलिए पेड़ कट रहे हैं। जो परियोजनाएं बन रही हैं, उनसे हमें 'लाडा' का पैसा मिलता है जो यहां बड़े-बड़े उद्योग आ रहे हैं, उनमें हमें लोकल एरिया डवलपमेंट फण्ड

आता है। लेकिन हो यह रहा है कि वह पैसा डी.सीज. को जाता है और जहां पेड़ लगने चाहिए, वहां वह पेड़ लगाने के लिए पैसा खर्च नहीं होता, it is a discretionary grant of the Deputy Commissioner कि वह पैसा कहां खर्च करना है? जब बड़े प्रोजैक्ट्स लगें और यदि वहां एक पेड़ कटेगा तो दस पेड़ लगने चाहिए। तो क्या ये दस पेड़ लगे हैं और नई प्लांटेशन वहां हुई है? इस बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। बड़े प्रोजैक्ट्स यहां आएंगे और आ भी रहे हैं। बिजली उत्पादन में हिमाचल प्रदेश की जो जगह है, वह बहुत अच्छी है लेकिन आने वाले समय में वह भी बिगड़ती जा रही है। मेरा निवेदन यह है कि ये सभी इशुज जुड़े हुए हैं और ये किससे जुड़े हैं? आज जंगल कट रहे हैं, आज हमने जो भी प्रश्न किए, उसमें एक-एक जिले में, एक-एक डिवीजन में 40-40, 50-50 लाख रुपये के जंगल कटे, यहां सूचना दी गई कि हमने उनको फाईन कर दिया, वह पैसा जमा हो गया और उनके ऊपर केसिज़ बन गए। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि यदि ये जंगल कटेंगे और इन जंगलों के बारे में यदि हम गंभीरता से नहीं सोचेंगे, तो ठीक नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि यदि थोड़ा सा फाईन करके जंगल काटने की इजाज़त दे दी जाए तो इस पर्यावरण की रक्षा हम नहीं कर पाएंगे। इस ओर हमें काफी कदम उठाने की जरूरत है। आज अगर प्लांटेशन हो रही है और वन विभाग कह रहा है कि 80 प्रतिशत सरवाईबल होगी, कोई 70 तो कोई 60 प्रतिशत सरवाईबल की बात कर रहे हैं। लेकिन होता यह है कि नेचुरल जर्मिनेशन भी होती है और हर साल लाखों की तादाद में नए पौधे लगते हैं। लेकिन क्या करें, आग लगाने वाले ऐसे हैं कि दस साल तक जो प्लांटेशन होती है, आग से स्वाहा हो जाती है तो पर्यावरण की रक्षा कहां और कैसे होगी? घास के लिए लोग आग लगा रहे हैं। जंगल तबाह होते जा रहे हैं। सारे लोग, चाहे वे पंचायतें हों, चाहे हमारे विधायक साथी हों, चाहे चुने हुए पंचायत के लोग हों, उनको इस प्रकार की चेतना पैदा करके एक कार्यक्रम चलाना चाहिए ताकि इस इस प्रकार से जो लोग जंगलों को जला रहे हैं, हमारी वन संपदा का नुकसान हो रहा है, जंगली-जानवर, पक्षी इत्यादि इससे तबाह होते जा रहे हैं, आज हमें इस ओर सोचने की जरूरत है और इसको बचाने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं खनन के बारे में कहना चाहूंगा कि यह खनन बहुत बुरी चीज है। मेरे जिला बिलासपुर की जो खड्डे हैं वे नीचे चली गईं। मेरे यहां एक अली खड्ड है, वह 15 फुट नीचे चली गई। जब वहां के लिए सरकार का आदेश है और सरकार ने कहा है कि वहां बड़ी मशनरी नहीं लगेगी, पोकलेन या जे.सी.बी. नहीं लगेगी, तो उसको रोकें।

ऊना में स्वां नदी जहां करोड़ों रुपये के चैनेलाइजेशन का काम हुआ, वहां क्या है कि वहां जो पुल बने हैं। पंजाब की तरफ से जो पुराना पुल बना था और जो नया पुल अभी बना है जिसका माननीय मुख्य मंत्री जी ने उद्घाटन किया, अगर इस प्रकार का यह खनन चलता रहेगा तो उससे क्या होगा कि जो पुल हैं, खड्ड 15-15 फुट नीचे चली गई जिससे उन पुलों का आधार खत्म हो जाएगा। हमें इसका भी निपटारा करने की आवश्यकता है। आज लोग चंद चांदी के टुकड़ों के लिए क्या-क्या कर रहे हैं? मैंने सड़कों के किनारे देखा कि जितने भी ये रेत बेचने वाले हैं, इन्होंने सड़क के किनारे सरकारी जमीन के ऊपर ट्रकों के ट्रक इकट्ठे कर रखे हैं, हमने तेल का डिपो भी देखा, हमने पैट्रोल पम्प भी देखा, लेकिन यह नया पैट्रोल पम्प जो खुल गया कि खड्ड से रेत निकालो और इकट्ठा कर लो। उसके बाद पंजाब की तरफ 1500-1500 गाड़ियां 90-90 टन माल भरकर ले जा रहे हैं। इसके ऊपर यदि हम अंकुश नहीं लगाएंगे तो और भी बड़ा खतरा होने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हमारे जो रिजरवॉयर्ज हैं, केवल बरसात ही नहीं, चाहे वह कृषि, उद्यान इत्यादि का काम चला हुआ है,

27.08.2019/1625/जेके/एजी/1

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो एग्रीकल्चर का काम है, होर्टिकल्चर का काम है उन्हें होर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट्स को भी देखना चाहिए कि उनकी जो स्कीमें हैं, उन स्कीमों को बनाने के लिए कहां पर ज़मीन की कटाई कितनी हो रही है। सड़कें भी बन रही हैं। बिलासपुर में फोर लेन बन रही है, साढ़े तीन साल हो गए लेकिन अभी तक उस सड़क का काम बन्द है। फोर लेन के बारे में काम दिल्ली में बैठे हुए शीश महलों के अन्दर जो इंजीनियर्ज़ हैं, वे फैसला करते हैं कि यह फोर लेन यहां से बनाई जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष जी, कालका-शिमला फोर लेन जो बन रही है, उसमें आने वाले 10-15 सालों तक जमीन सैट नहीं होगी। हर बरसात में लैंड स्लाइडिंग होगी । मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि पी.डब्ल्यू.डी. को भी देखना चाहिए कि जो सड़कें बन रही हैं, उन सड़कों से खड्डों में कितना-कितना मलबा डाला जा रहा है। डम्पिंग साइटें नहीं बन

रही हैं। आई.पी.एच. डिपार्टमैंट को देखना है कि हमने जो स्कीमें बनाई हैं, खड्ड से हमने कितने प्रतिशत पानी छोड़ना है ताकि वहां पर मछलियां और दूसरे जन्तु ठीक से रहे लेकिन आज यह हो रहा है कि सारे-का-सारा पानी उठाया जा रहा है। बड़ी-बड़ी कम्पनीज़ बाहर से आ गई हैं वे 20 परसेंट पानी नहीं छोड़ती हैं ।उससे हमारी मछलियां मर रही हैं, दब रही हैं और लैंड स्लाइड हो रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हमें इन चीजों की तरफ भी देखना होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग नाजायज़ कब्ज़ा कर रहे हैं, जिसके लिए कानून भी बना है, उसके बारे में कार्रवाई भी होती है। मेरे बिलासपुर के नैना देवी में एक टाटा इंडिकॉम कम्पनी के मैनेजर हैं, उन्होंने नैना देवी में पिछले 10 सालों से र एक टावर लगा रखा है। उसकी पेमैंट किसको जाती है, मुझे मालूम नहीं है। मेरे पास यह फोटो पड़ा हुआ है। तहसीलदार, स्वारघाट ने उसकी इजैक्टमैंट के ऑर्डर दिनांक 16.09.2014 को किए। यह कम्पनी न कोर्ट में जा रही है, न कम्पनी उस पैसे को सरकारी खजाने में जमा करवा रही है। वह पैसा कहां जा रहा है ? सरकारी लैंड के ऊपर उन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे निवेदन यह है कि इस प्रकार से वर्ष 2014 में तहसीलदार, स्वारघाट का फैसला है, उसके मुताबिक या तो टावर हटा दो और डी.सी. को भी उन्होंने लिखा कि यह जो पैसा वे दे रहे हैं, 12,000 रुपया महीने का एक आदमी किराये का ले रहा है और वह ज़मीन सरकारी है और उसके बाद दरख्वास्त दे रहे हैं कि इस जमीन को उस मालिक को तबादले में दे दिया जाए। फिर पर्यावरण की रक्षा कहां पर हो रही है? माननीय मुख्य मंत्री जी, ये मेरे पास कुछ फोटोज़ हैं । आज हो क्या रहा है कि आज कल बरसात है और इन दिनों में लोगों ने धंधा खोल रखा है। 4 मेरी एक दयोट वाली सड़क है वहां से कुछ नहीं तो 2,000 ट्रक एक ही रात को निकाल दिए । वहां पर कोई बोलने वाला नहीं है। जो जियोलॉजिकल सर्वे वाले हैं उन्होंने कहा कि हमने तो पुलिस वालों को कह दिया। पुलिस कहती है कि हमने फोरैस्ट वालों को कह दिया है। उसको न पुलिस देख रही है, न जियोलॉजिकल वाले देख रहे हैं और न ही इंडस्ट्री डिपार्टमैंट की कहीं आंख खुल रही है। यह कारण क्या है और कैसे पर्यावरण की रक्षा होगी?

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, ठीक है अब आप वाइंड अप करें। आपको बोलते हुए 18 मिनट हो चुके हैं।

श्री राम लाल ठाकुरः माननीय उपाध्यक्ष जी मुझे आप दो मिनट दे दो। Let me prove it properly. माननीय उपाध्यक्ष जी 18 मिनट तो मेरे से पहले ही हो गए हैं और मुझे तो अभी 10 मिनट ही हुए हैं। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि आज जो परिस्थितियां हैं, यह इशू मैं इसलिए ले कर आया हूं कि आज कारण क्या है कि लोग जंगलों को भी जला रहे हैं और हम लोग पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं? आज गवर्नमैंट को एग्रीकल्चर, होर्टिकल्चर, फोरैस्ट, आई.पी.एच. और पी.डब्ल्यू.डी.विभागों को
कसना पड़ेगा कि आप लोगों को पर्यावरण की रक्षा करनी है। अगर पी.डब्ल्यू.डी ने कोई कटाई करनी है तो उसकी डम्पिंग साइट पहले होनी चाहिए। अगर आई.पी.एच. वालों ने कोई स्कीम बनानी है तो उनको पहले बताना पड़ेगा कि यह स्कीम हमने बनानी है लेकिन हो क्या रहा है कि सोर्स सूख रहा है और आई.पी.एच. वाले 50 फुट और नदी के किनारे जा कर, वहां पर एक पर्कुलेशन वैल बना कर पानी उठा रहे हैं। कब तक इस तरह से उठाएंगे?

27.08.2019/1630/SS-DC/1

मेरा यह निवेदन है कि पानी सूखेगा और शायद वर्ल्ड वॉर की तरह पानी के नाम पर अगला युद्ध होने वाला है क्योंकि पीने का पानी नहीं मिलेगा। तो मैं कहूंगा कि लोग आपस में लड़ेंगे, एक-दूसरे का काटेंगे। इसलिए मेरा मुख्य मंत्री जी से एक निवेदन है कि तुरंत इसमें कार्रवाई करें। अगर प्रधान मंत्री जी बोल रहे हैं तो हिमाचल सरकार 2030 तक क्या स्कीम लेकर आती है ताकि पर्यावरण की भी रक्षा हो और अंडर ग्राऊंड वाटर का लेवल भी बना रहे? जो हमारे जंगल हैं वे भी सुरक्षित रहें। जो मैंने इंडस्ट्री डिपार्टमैंट की यहां पर बात की है जब तक इनके ऊपर अंकुश नहीं लगायेंगे तब तक यह चिन्ता का विषय बना रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री रमेश चंद ध्वाला जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री रमेश चंद ध्वाला (ज्वालामुखी): माननीय उपाध्यक्ष जी, नियम-130 के अंतर्गत जो हमने प्रस्ताव रखा है मैं भी उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अब मैं ज्यादातर प्लास्टिक के ऊपर फोकस करूंगा। प्लास्टिक के बारे में 2016 में रिपोर्ट मांगी गई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार 15 हजार टन प्लास्टिक में पैक हो करके मैटीरियल पूरे हिन्दुस्तान में आता है। अब ये वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं। अब सड़कों में देखो तो प्लास्टिक पड़ा हुआ है। घरों के आगे-पीछे देखो तो वहां प्लास्टिक पड़ा हुआ है। अगर रास्तों में देखो तो वहां प्लास्टिक पड़ा हुआ है। ये प्लास्टिक जो है इससे बहुत प्रदूषण फैल रहा है। अगर इसको जमीन में दबा दो तो यह गलता नहीं है। इसमें ऐसे-ऐसे कैमिकल्ज़ डाले होते हैं अगर आप इसको जलायेंगे तो इसका धुआं बहुत खतरनाक होता है। So many people are suffering from many diseases. उसका मुख्य कारण यह प्लास्टिक का धुआं/प्रदूषण ही है। इसके कारण बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं। आज दुकानों में देखिये तो दो-दो, तीन-तीन क्विंटल प्लास्टिक लटका हुआ है और वहां पर इसका कोई विकल्प/रैमिडी नहीं है। यह प्लास्टिक मानव जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। इससे नुकसान भी हो रहा है। मानव जीवन में बीमारियां लग रही हैं। इसलिए इसके ऊपर माननीय प्रधान मंत्री जी भी अंकुश लगाने जा रहे हैं। हम अपने मित्रों को भी यह कहना चाहेंगे कि मान लो दूध तो पैकिंग में आता है लेकिन हर चीज़ आज प्लास्टिक में आ रही है। प्लास्टिक में आने के बाद, कोई भी चीज़ ले लो, उसको खा करके हम प्लास्टिक को फेंक देते हैं। फेंकने के बाद अगर उसमें थोड़ी बहुत जूठन हो तो उसको पशु खा रहे हैं। उनकी आंतड़ियों में यह प्लास्टिक जा करके इकट्ठा हो रहा है। उसकी वजह से पशु बीमार हो रहे हैं या कई पशु भी मर रहे हैं। खड्डों-नालों में यह प्लास्टिक जा रहा है। अगर खड्डों या नालों को देखें तो वहां प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। जब यह समुंद्र या दरिया में पहुंच रहा है तो उसको जीव-जन्तु या मछलियां अपनी खुराक समझ कर खा रही हैं, वे भी मर रही हैं। आज अगर आप इस प्लास्टिक को जलायेंगे तो इसके कारण वायु प्रदूषण होगा। उसके कारण खास करके जो स्वास संबंधी बीमारी के मरीज हैं उनके लिए यह बहुत खतरनाक है।

27.08.2019/1635/केएस/डीसी/1

इसमें कई किस्म के कैमिकल डाले होते हैं और प्लास्टिक की केपेसिटी इतनी होती है कि अपने भार से दो हजार गुणा सामान उसमें आ सकता है। हिमाचल प्रदेश में भी कोई जगह ऐसी नहीं है जहां प्लास्टिक न पड़ा हो। मैं चाहूंगा कि हम लोगों में ऐसी अवेयरनैस पैदा करें कि कोई भी व्यक्ति अगर दुकान से सामान लेने जाता है तो जूट या कपड़े का बैग साथ ले कर जाएं । स्वभाविक है कि प्लास्टिक के बैग को दूसरी बार कोई यूज़ नहीं करता अगर उसको जमीन में भी दबा देंगे तो वहां पर फिर कोई भी चीज़ पैदा नहीं होगी। इतने ज़हरीले कैमिकल प्लास्टिक में होते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से, खासकर मंत्री जी से कहूंगा कि इसकी कुछ शहरों में जो नगर निगम है या नगर पंचायतें हैं, मैंने देखा है कि लगभग डेढ़ लाख रुपये की मशीन आती है, मशीन में जिस तरह से घास काटा जाता है, वह उसी तरीके से प्लास्टिक को काटती है इसलिए मंत्री जी कोई सोसायटी बनाएं और पंचायतों के लिए भी ऐसी मशीनें खरीदी जाएं। सीमेंट की फैक्टरी में सात रुपये किलो के हिसाब से प्लास्टिक ले रहे हैं। रीसाइक्लिंग वाले मटिरियल की गोली वगैरह बनाकर दोबारा यूज़ करते हैं लेकिन सारे का सारा प्लास्टिक रीसाइकल नहीं हो सकता। उसको सीमेंट की फैक्टरी में यूज़ कर रहे हैं और सात रुपये किलो के हिसाब से ले रहे हैं। इससे हमारे बेरोज़गार बच्चे जब प्लास्टिक इकट्ठा करके फैक्टरी में देंगें तो उनको रोज़गार भी मिलेगा

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि सभी फैक्टरी वालों से यह बात की जाए और हर पंचायत में कचरा इकट्ठा करके, मशीन से छोटे-छोटे पीस बनाकर, उनको दिए जाएं। इससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। इससे हमारी भूमि भी सुरक्षित होगी और इससे पशुओं की मृत्यु हो जाती है, मच्छलियां व अन्य जीव-जन्तु मर जाते हैं, उनकी सुरक्षा भी होगी । इसलिए मंत्री जी से चाहूंगा कि सीमेंट फैक्टरी वालों से बात करें । मैंने भी उनसे बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम नगर निगम व नगर पंचायतों से ले रहे हैं और अगर पंचायत वाले सात रुपये किलो के हिसाब से प्लास्टिक यहां

पहुंचा देंगें तो हम ले लेंगें। ऐसी तकनीक हमारे अधिकारी अपनाएं या कोई ऐसी टीम बनाई जाए ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री बने थे, तब उन्होंने कूजों में चाय देने का प्रावधान करवाया था, उसी तरह से इसमें भी यदि कोई तकनीक निकाली जाए तो कम से कम इस प्लास्टिक से निज़ात मिल सकती है। आज हर चीज़ प्लास्टिक में पैक हो कर आ रही है। बच्चों के खिलौने से ले कर खाने की चीजों तक हर चीज़ प्लास्टिक की आ रही है और अब तो हमारी भी यही आदत बन चुकी है कि हम अपने बैग में बोतल डालते हैं, खाना भी प्लास्टिक में पैक करते हैं। हमारी दिनचर्या में हम सारी चीजें प्लास्टिक की ही यूज़ कर रहे हैं और इसके कारण ही आज बीमारियां फैल रही हैं। यह बहुत ही जहरीली चीज़ है इसलिए इस बारे में गम्भीरता से विचार करके ऐसी टीम बनाई जाए जो लोगों को समझाएं कि जूट या कपड़े के थैले बनाएं और उनको मार्किट में लाया जाए । इससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और पर्यावरण को भी शुद्ध किया जा सकता है।

27.8.2019/1640/av/HK/1

(सभापति, कर्नल इन्द्र सिंह पदासीन हुए।)

मैं आपसे ये सारी बातें शेयर करना चाह रहा हूं। कम-से-कम दुकानदारों के ऊपर भी कोई ऐसा राइडर लगा दिया जाए कि वे दुकान के आस-पास; कहीं पर भी प्लास्टिक न फेंके। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बारे में कोई टैक्निकल लोग गम्भीरता से विचार करें ताकि खड्डों व नालों में प्लास्टिक न जाए। नालों में प्लास्टिक इक्टठा होने से वे बंद हो जाते हैं। आप दरिया और समुद्र में देखेंगे कि प्लास्टिक-ही-प्लास्टिक तैर रहा है। इसका कोई और उपाय नहीं है बल्कि इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी जाए। इसके विकल्प में कोई-न-कोई थैला या सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन्स के अनुसार अगर सारे दुकानदार प्रयास करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। जब क्रशर की बात आती है तो हमारे

राकेश पठानिया जी आग-बबूला हो जाते हैं। वैसे ये सच्चे हैं, क्रशर लगाने के लिए दो हेक्टेयर जगह दी जाती है। वे दो हेक्टेयर क्षेत्र में अपना रेत-बजरी इक्टठा कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त गाइडलाइन्स में यह भी लिखा है कि आप एक मीटर से नीचे खुदाई नहीं कर सकते मगर एक मीटर की बजाय वहां पर 15-15, 20-20 फीट नीचे खुदाई की जाती है और उन गड्ढों में पानी भर जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमारे बुजुर्गों के समय में खड्डों में घराट चलते थे तो वहां पानी को रिटेन करते थे जिसकी वजह से वहां पर रेत-बजरी भी रिटेन होती थी। अब वह कैसे रिटेन होगी, वहां पर जगह-जगह तो गड्ढे डाले हुए है। इसलिए जहां वह पानी खड़ा होता है वहां से उस पानी की आगे सीपेज नहीं होती। अगर तजुर्बा करना हो तो आप उन खड्डों में जाइए जहां क्रशर नहीं लगे हैं, आपको वहां पर माकूल पानी मिलेगा। लेकिन जहां पर क्रशर लगे हैं वहां आपको पानी नहीं मिलेगा। इसलिए इनके ऊपर कोई राइडर लगना चाहिए और गाइडलाइन्स के अनुसार आप काम करिए। यह भी ठीक है कि रेत-बजरी की जरूरत है मगर इसके पीछे जो इस प्रकार की अनियमितताएं हो रही हैं इनके ऊपर भी कुछ फोकस किया जाए। पानी को रिटेन करने के लिए खड्डों में बीयर बनाई जाए और यह काम क्रशर वालों को करना चाहिए। इस काम को क्रशर वाले खुद अपना पैसा खर्च करके लगाएं और उस रेत-बजरी को रिटेन करें।

इसके अतिरिक्त, मैं वन कटान के बारे में बात करना चाह रहा हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रात को सारे-के-सारे चंदन के पेड़ काट कर ले गये और स्मग्लर उसको 7-8 हजार रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से आगे बेच रहे हैं। इस बार वन विभाग ने वहां पर लगभग 25 हजार बूटे लगाये हैं। खैर दरख्त सबसे छोटा होता है और अवैध कटान करने वाले उसको काटकर आगे बेचते हैं। मुझे लगता है कि हर तीसरे महीने वे नई गाड़ी लेते हैं। मैं विधान सभा सत्र के दौरान लगभग हर बार इस मुद्दे को उठाता हूं। मैं मुख्य मंत्री जी से भी यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का सारा कर्ज कांगड़ा जिला ही पूरा कर देगा। अब ऐक्सपैरिमैंट के तौर पर नूरपुर का डिविजन लिया है। उसमें क्या आउटपुट निकलती है

और सरकार ऐक्सपैरिमैंट के तौर पर क्या सोच रही है, अगर इसके बारे में सरकार प्रयास करें तो हमारा हिमाचल प्रदेश सुदृढ़ हो सकता है और इस कर्ज से भी मुक्त हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

27.8.2019/1645/टी.सी.वी./एच.के.-1

सभापतिः अब माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जरयाल चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल(भटियात)ः माननीय सभापति महोदय, नियम-130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव प्लास्टिक के उपयोग, अवैध कटान, खनन् व अन्य प्रकार के प्रदूषण से पर्यावरण को बढ़ रहे खतरे से उत्पन्न स्थिति पर इस माननीय सदन में लाया गया है, मैं भी उसमें अपने आप को सम्मिलित करता हूं। वैसे तो मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने इस बारे में काफी विस्तार से चर्चा की है लेकिन मैं भी दो-तीन बिन्दुओं पर अपने विचार रखना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, समय पर वर्षा न होना, बर्फ न पड़ना और ग्लेशियरों का पिघलना, यह सिर्फ़ हमारी ही चिन्ता नहीं है, यह पूरे विश्व की चिन्ता है। इससे निपटने के लिए वैसे तो हमारी सरकार काफी कदम उठा रही है- जैसे सरकार ने मुख्य मंत्री हरित विद्यालय अभियान चलाया है। इसके तहत हरेक विद्यालय में पेड़ लगाये जा रहे हैं। हरेक पंचायत को 1700-1700 पेड़ लगाने का टास्क दिया गया है और वे लगा रहे हैं। फिर भी प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। जैसा माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी ने कहा है कि पानी की कमी से कभी पूरे विश्व में बहुत बड़ा युद्ध भी हो सकता है। अक्सर वर्षा समय पर नहीं होती है और जब होती है तो बहुत ज्यादा हो जाती है या बादल फट जाते हैं। यह सब प्रकृति के अनबैंलेंस्ड होने की वज़ह से हो रहा है। जैसे माननीय सदस्य श्री ध्वाला जी ने प्लास्टिक के बारे में कहा है कि यदि प्लास्टिक को दबा दें तो वह सैंकड़ों वर्षों तक नहीं सड़ता है और उसको जलाने से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। बरसात में प्लास्टिक खड्डों, नालों व कूहलों में चला जाता है तो कूहलें बन्द हो जाती हैं। यदि शहरों में इसको पशु खा लें तो पशु बीमार हो जाते हैं क्योंकि यह उनके पेट के अंदर जम जाता है और बाहर नहीं निकलता। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसको नष्ट करने के लिए मशीन की

बात की है। मैं भी इनसे आग्रह करूंगा कि हरेक पंचायत में नहीं तो हर ब्लॉक में एक-एक मशीन दी जाये। ताकि पता चल पाये कि कितना प्लास्टिक हम सीमेंट फैक्टरियों में बेच सकते हैं और इससे पंचायतों को कितना लाभ हो सकता है? ताकि पंचायतें भी आत्मनिर्भर हो सकें। उद्योगों की वज़ह से भी बहुत प्रदूषण होता है। मैं चाहता हूं कि उद्योगों से जो रॉ मैटीरियल निकलता है, वह बह कर नदियों में जाता है और उससे कृषि को नुकसान होता है। इन सभी चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। हाइड्रो प्रोजैक्ट्स के बारे में भी यहां ज़िक्र हुआ। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी हाइड्रो प्रोजैक्ट्स लगे हुए हैं। लेकिन वे एम0ओ0यू0 के तहत काम नहीं करते हैं। खड्डे अढ़ाई-अढाई किलोमीटर तक खाली रहती है।

27-08-2019/1650/NS/YK/1

मेरे विधान सभा क्षेत्र में रावी समलीयू खैरी से होकर जाती है। वहां पर इसके साथ ही रणजीत महासागर बांध है। इसके किनारे अढ़ाई-तीन किलोमीटर तक खनन करके खाली कर दिए हैं। यह बोर्डर एरिया है, उस तरफ जम्मू-कश्मीर है और इस तरफ हिमाचल है। यहां पर बहुत ज्यादा खनन होता है। वहां पर लोग जे0सी0बी0 लगाते हैं और बड़े-बड़े ट्राले भर कर ले जाते हैं। वहां पर न हिमाचल सरकार और न ही जम्मू-कश्मीर सरकार पूछती है। इसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की जरुरत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रोजेक्ट् वालों को 15 प्रतिशत पानी छोड़ने की शर्त है। लेकिन वे नहीं छोड़ते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में शक्ति हाइडल प्रोजेक्ट, क्यारी पंचायत में है। पांच साल के बाद बिना परमिशन के माननीय उच्च न्यायालय में ऐफिडेविट दे करके कि हमने इस पंचायत को स्वर्ग बना दिया है, वे नाले से भी पानी ले गए। उन्होंने न तो पंचायत से रेजोल्यूशन लिया और न ही सरकारी तंत्र से किसी प्रकार की परमिशन ली है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि जब एम0ओ0यू0 के तहत साईन होते हैं तो वे उन शर्तो को पूरा करें। प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं और उस समय उन्होंने माना है कि गांव तक रोड पक्का करना है तो वे उसको भी पक्का नहीं करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

अंत में, मैं स्टोन क्रशर की बात करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत जोलना है और यह नूरपुर के साथ लगती है। वहां पर पूर्व सरकार ने एक स्टोन

क्रशर लगाया है और दो किलोमीटर तक रोड निकाल दिया है। इसके लिए कोई एफ0आर0ए0 और एफ0सी0ए0 से परमिशन नहीं ली है। किसी भी प्रकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है। उन्होंने अपनी मर्जी से रोड निकाल करके रिवर बैड पर ही क्रशर लगा दिया है। पिछली बार भी मैंने इसके लिए प्रश्न पूछा था तो मुझे जवाब मिला कि उनको 10,000 रुपये जुर्माना किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने वहां पर पता नहीं कितने पेड़ काटे थे लेकिन उनको इतना-सा जुर्माना लगा करके छोड़ दिया गया। आज लोगों को वहां पर यह मुसीबत है कि इससे पानी का लैवल नीचे जा रहा है, पीने-का-पानी प्रदूषित हो रहा है। लोगों को गंदा पानी पीने को मिल रहा है। जानवरों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है। यहां बताया गया कि उनको क्रशर लगाने के लिए दो हैक्टेयर जमीन मिलती है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने दस हैक्टेयर जगह ले रखी है और 15 से 20 मीटर तक जगह खोद रखी है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री और माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं। पूर्व सरकार ने नियमों को ताक पर रख कर उस क्रशर को लगा दिया। आज सड़कों का बहुत बुरा हाल है। आधा रोड ज्वाली विधान सभा क्षेत्र और आधा भटियात विधान सभा क्षेत्र में आता है क्योंकि वहां पर वे ज्वाली हो करके ही जाते हैं। उस रोड पर आप पैदल नहीं चल सकते हैं। इसका न पंचायत को फायदा है और न ही सरकार को फायदा है, केवल उस स्टोन क्रशर वाले को ही फायदा है। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार लोग वनों में आग लगाते हैं, उसको भी रोकने की जरुरत है। इससे कई पशु, पक्षी और पेड़ जल जाते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। वैसे तो सरकार ने काफी कंट्रोल किया है। टी0डी0 के लिए भी नियम बना दिया है कि मकान बनाने के लिए कितने साल बाद टी0डी0 ले सकते हैं और अगर रिपेयर करनी है तो कितनी इमारती लकड़ी ले सकते हैं।

मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे वन क्षेत्र को पहले से काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। माननीय सदस्य यहां पर बता रहे थे कि काफी वन क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। इससे हमें काफी लाभ होगा। हम लोगों की एक जिम्मेवारी होनी चाहिए कि जो पेड़ हम लगा रहे हैं, दो या तीन साल बाद उसका सरवाईवल रेट चैक करना चाहिए। यह चिंता का विषय है। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और बड़े-बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इससे वहां पर झीलें बन रही हैं और पानी बह रहा है जिससे लैंड स्लाइड हो रहे हैं।

27.08.2019/1655/RKS/YK-1

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो प्लास्टिक का विषय उठाया गया है, उसकी मशीन के लिए जो हाइडल प्रोजैक्ट मनमानी कर रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा अंकुश लगाया जाए। जो स्टोन क्रशर्ज़ वाले हैं उनको भी चैक किया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये क्रशर्ज़ गवर्नमैंट के नॉर्म्स के अनुसार चल रहे हैं या नहीं? जो नियम-130 के तहत प्रस्ताव लाया गया है इसका सभी माननीय सदस्य समर्थन कर रहे हैं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापतिः अभी पांच माननीय सदस्य बोलने को बाकी हैं। यदि आप सभी सदस्यगणों की अनुमति हो तो इसे कल के लिए एक्सटैंड किया जा सकता है।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय सभापति महोदय, कृपया एक घंटे के लिए माननीय सदन का समय बढ़ाया जाए।

मुख्य मंत्रीः सभापति महोदय, मुझे सदन का समय बढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है। सभी माननीय सदस्यों के विषय लगभग एक जैसे ही आ रहे हैं। अगर आधे घंटे में पांच सदस्य अपना विषय रख देंगे तो इसका उत्तर कल दे दिया जाएगा।

सभापतिः फिलहाल इस माननीय सदन की बैठक आधे घंटे (5:30) तक बढ़ाई जाती है। अब माननीय सदस्य, श्री रविन्द्र कुमार जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री रविन्द्र कुमारः माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे नियम-130 के अंतर्गत "प्लास्टिक के उपयोग, अवैध कटान, खनन व अन्य प्रकार के प्रदूषण से पर्यावरण को बढ़ रहे खतरे से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे" प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज इससे पहले मानव स्वास्थ्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी और वहां से कुछ ऐसी बातें सामने आई कि ये जो गंभीर

बीमारियां हैं, वे आंधी की तरह हमारी तरफ क्यों बढ़ रही हैं? अगर हम इनके कारकों का पता लगाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि जो आज नियम -130 के अंतर्गत प्रस्ताव आया है, सारी समस्याओं की जड़ इसी में समाहित है। प्लास्टिक का इस्तेमाल हो, अवैध कटान हो या खनन हो, ये सारी बातें हमारे मन में एक प्रश्न जरूर उठाती है कि क्या प्रकृति के किसी अन्य जीव ने भी कभी नेचर को डेविएट किया है? हमारी जो भूख है, चाहे वह खनन के संबंध में हो या पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हो, इसके लिए हम ही लोग दोषी हैं। माननीय सभापति महोदय आपने सदन का समय बढ़ाया है। इससे पूर्व भी बहुत-सारे माननीय सदस्यों ने इस समस्या के विकराल रूप के बारे में चिंतन-मंथन किया और अपनी ओर से उपाय भी सुझाये। जो सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं उन कानूनों की अनुपालना किस दृढ़ता के साथ हो, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और

27.08.2019/1700/बी0एस0/ए0जी0-1

मुझे लगता है कि यह सारी बातें माननीय मुख्य मंत्री जी के संबोधन में आने वाली हैं। जब मैंने सुबह विधान सभा की कार्यवाही की सूची को देखा तो उसमें नियम 130 के विषय में बोलने के लिए मेरा नाम भी था। मैं इस पर ज्यादा बोलने की तैयारी नहीं कर पाया। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यदि हमें सुधार लाना है तो हम सब लोगों के प्रतिनिधियों को शुरुआत करनी होगी। हमें प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहिए। पुराने समय में हमारे बुजुर्ग कंधे में एक थैला डालकर चला करते थे। आज उस थैले को उठाने में हमें शर्म आती है। धीरे-धीरे ये कुरीतियां बढ़ती जा रही हैं। परंतु अब जान पर बन आई है तब हमने इन पर सोचना शुरू किया है। माननीय सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात कहने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

सभापति : अब श्री सतपाल सिंह रायजादा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सतपाल सिंह रायजादा (ऊना) सभपति महोदय, नियम 130 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री ठाकुर राम लाल जी, श्री रमेश ध्वाला जी और बिक्रम सिंह जरयाल जी के

द्वारा जो विषय प्लास्टिक के उपयोग, अवैध कटान, खनन व अन्य प्रकार के प्रदूषण से पर्यावरण पर बढ़ रहे खतरे के बारे में मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। महोदय, मैं इसमें खनन पर बोलना चाहूंगा। क्योंकि मेरे चुनाव क्षेत्र ऊना व इसके साथ-साथ हरोली गगरेट है। यह सारा क्षेत्र स्वां नदी के अंतर्गत आता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज खनन जितना स्वां नदी में हो रहा है उतना कहीं नहीं हो रहा है।

(माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

आज हजार-पंद्रह सौ ट्रक प्रतिदिन पंजाब को जाते हैं, यदि आप चाहें तो मैं इसकी वीडियोग्राफी भी दिखा सकता हूं। इतने कड़े स्तर पर खनन हो रहा है। इतना ज्यादा खनन होने के बाद जो आजकल बरसात हो रही है और उस नदी की लैवलिंग हुई तो पता चला कि स्वां नदी चैनेलाइजेशन का आठ फुट नीचे पानी चला गया है। आने वाले दिनों में अगर भारी बरसात हुई तो यह सारा चैनेलाइजेशन टूट जाएगा। क्योंकि अब नीचे मिट्टी-ही-मिट्टी नजर आती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप आई.पी.एच. की टीम वहां पर भेजिए या किसी अन्य टीम को निरीक्षण के लिए भेजिए ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। मैं आपका ध्यान इस बात पर ले करके जाना चाहूंगा कि स्वां के रेत की किस तरह से वहां पर जे.सी.बीज से खुदवाई की जा रही है। वहां सड़कों पर उस रेत को डंप किया जा रहा है। जब विधान सभा समिति वहां आई थी तो मैंने माननीय समिति से भी आग्रह किया था कि वे मौके पर देंखे। परंतु समिति के पास समय नहीं था इसलिए वह वहां पर नहीं जा सकी। वहां पर 10 किलोमीटर पर 10 रेत के डंप लगे हुए मिल जाएंगे। जिस तरीके से वहां पर रेत केडिपो खोले गए हैं और रेत को बेचा जा रहा है। इससे आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। मैं माननीय धूमल साहब का और माननीय वीरभद्र सिंह जी धन्यवाद करना चाहूंगा। इन्होंने वहां पर चैनेलाइजेशन करके वहां की जमीन को बचाया था। मैं यह नहीं कहता कि हमारी सरकार ने ही वहां पर कार्य किया है आपकी सरकार भी वहां पर कार्य हुआ है। लेकिन जो हमारे बुजुर्गों ने दिया

क्या उसको हम सहेज पा रहे हैं, या नहीं? आज हम उसे खत्म करने में लगे हुए हैं। पहले हमारे कुंओं और हैंड पंपों में पानी 20-30 फुट की गहराई में आ जाता था

27.08.2019/1705/ DT/AG-1

और खनन के कारण आज 60-70 फुट नीचे पानी आ रहा है। वहां पर कुओं और ट्यूबवैल्स से पानी लगाने का एक माध्यम था लेकिन पानी नीचे जाने के कारण उन्हें दोबारा से बोर किया जा रहा है। जहां खनन की जरूरत है वहां पर यह किया जाए अन्यथा इसे बंद कर दिया जाए। पंजाब बोर्डर पर स्पैशल चैक पोस्ट बनाई जाए ताकि रेत पंजाब में न जाए। जिस तरीके से पंजाब में रेत जा रहा है वह हमारे ऊना क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरेगा। इससे न सिर्फ पर्यावरण को खतरा हो रहा है बल्कि पानी भी नीचे जा रहा है। जो 1300 करोड़ रुपये स्वां चैनलाइजेशन में लग चुका है वह सारा प्रोजैक्ट खत्म हो जाएगा। मेरी गुजारिश है कि ऊना में खनन बंद किया जाए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री राकेश पठानिया जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राकेश पठानियाः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विषय बहुत गंभीर है। सत्तापक्ष हो या विपक्ष हमारा हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि environment is a very serious issue. क्या वह प्लास्टिक है? आज मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था कि हमारी कांगड़ा की महिलाओं को बीमारियां लग रही हैं। जब गांव में कोई धाम होती थी तो हमारी मां थाली लेकर जाती थी लेकिन आजकल 99 प्रतिशत महिलाएं प्लास्टिक का लिफाफा लेकर जाती है और कहती है कि पहले इसमें खाना डालो। जो गर्म सब्जी और चावल उस लिफाफे में जाती है that is a cause of 99 per cent problems for the women they are facing these days. प्लास्टिक बीमारी का बहुत बड़ा सोर्स बन गया है जो इस भूमि को choke कर रहा है। ध्वाला जी ने विस्तार से प्लासिटक के बारे में बोला और प्लास्टिक इस प्रदेश को एक धीमी मौत दे रहा है Why don't we understand this? We are dying a slow death. आज जितने भी विषय यहां लगे हैं, चाहे इसमें फोरैस्ट का विषय एड किया हो, आज कार्बन क्रेडिट का क्या हाल है? आप प्रतिवर्ष 4 या 5 करोड़ रुपये की इनकम जनरेट कर पाएंगे। This could be

multiplied. हमारे कार्बन क्रेडिट्स को डबल किया जा सकता है। मैं मुख्य मंत्री और माननीय मंत्री को बधाई देना चाहूंगा आपने इस वर्ष 30 लाख का टारगेट रखा है और आपने अचीव भी किया। 70 प्रतिशत इसका सरवाइवल रेट आ रहा है। यह बहुत बड़ा स्टैप है। पहली बार स्कूल के बच्चे प्लांट्स लगा रहे हैं। This is a welcome step. पर्यावरण को बचाना किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। This should be our priority. क्योकि जिस तरीके से श्री राम लाल, ध्वाला और रवि जी ने बोला है, विषय एक ही है। वैसे इस विषय पर पूरे सदन को बोलना चाहिए। इस बार इतनी बाढ़ क्यों आई, अगली बारे इससे ज्यादा आएगी। जो बात रायजादा जी ने बोली है वे उसे साइंटिफिकली अप्रूव नहीं कर पाए। हमारा जो खड्डों का

बेस है वह बिल्कुल साफ होता जा रहा है। पहले बेस में 6 लेयर्ज होती थी वे खत्म होती जा रही है। Now we are coming to the last layer i.e. hard rock. और हार्ड रॉक में जो विलोसीटी ऑफ वाटर है वह मल्टीप्लाई करती है।Particle of sand and soil together with a velocity of water that flows becomes like a bullet.

जो खड्ड या नाला किसी जमाने में 4 फुट का होता था वह आज 400 फुट का हो गया है 50 फुट, 100 फुट या 200 फुट हो गया है। यह आगे बढ़ेगा। पहले भी 1200 या 1400 एम.एम. बरसाता आती थी पर वह सौ दिनों में आती थी

27-08-2019/1710/डी.सी.-एन.जी./1

परंतु अब यह बारिश 40 या 60 दिनों में आ रही है और उसकी downpour velocity इतनी ज्यादा तेज है कि यदि हम उसको channelize नहीं करेंगे, खड्डों में check dams नहीं लगाएंगे और इस पानी को नहीं रोकेंगे तो हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आने वाले दिनों में food damage management करने के लिए ही सरकारें रह जाएंगी और सरकारें इसी काम में फस जाएंगी। इस प्रश्न को हमें मूल रूप से समझना पड़ेगा कि we have to understand the basic of this problem जब तक हम इस basic problem को address नहीं करेंगे तब तक हम इस विषय पर जितनी मर्जी गप्पे मार लें there is no use. The Government has to address the basic points. I fully agree. इन्होंने कहा कि हज़ार गाड़ी जाती है और गाड़ी कौन सी जाती है केवल ट्रक नहीं जाता, Hyva जाता

है, जिसके साठ टायर होते हैं। नोर्मल ट्रक एक लोड कैरी करता है ये हैवा आठ ट्रक का लोड कैरी करता है। ऊना से यदि हज़ार ट्रक जा रहा है तो नूरपुर से 1500 ट्रक जा रहा है। And this material is mineral और ये हिमाचल प्रदेश का मिनरल है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी सूट करता होगा लेकिन हमें तो अमृतसर का एयरपोर्ट ही सूट करता है। अमृतसर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए सुबह 6.30 वाली फलाइट हमें सबसे अधिक सूट करती है क्योंकि उस फलाइट से हम 35 मिनट में दिल्ली पहूंच जाते हैं और यह फलाइट बहुत सस्ती भी है। नूरपुर से हमें अमृतसर पहूंचने में केवल 1.5 घण्टा लगता है और तेल के जितने पैसे गग्गल के लिए लगते हैं उससे कम पैसों में हम अमृतसर पहूंच जाते हैं। अमृतसर से 2500-3000 की टिकट मिलती है और गग्गल से हमें 12-13 हजार की टिकट मिलती है। इसलिए हमारी प्राथमिकता यही रहती है कि हम अमृतसर जाएं क्योंकि 1.5 घण्टे में हम अमृतसर पहूंच जाते हैं। आप सुबह 6 बजे के बाद घर से निकलें और पठानकोट National Highway पर आएं तो you will get trucks in thousands और ये सारे के सारे कहां से आ रहे हैं? वे हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं और कितना mining material ले कर आ रहे हैं, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ...(घण्टी)... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय ऐसा है कि जिस पर मैं out of context कुछ नहीं बोल रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास आई.पी.एच. की schemes हैं, हिमाचल प्रदेश में जितनी आई.पी.एच. की schemes पिछले 10 साल में बनी हैं, मेरे पास पूरा डाटा तो नहीं आया, केवल पिछले 10-12 सालों की schemes आई हैं, 90 percent schemes are ground water based, surface water schemes पर हम कब काम करेंगें? ground water तो हमारे पास रहा ही नहीं है। जिस तरह से माइनिंग एक नाले से ले कर खड्ड में हो रही है, we are finished with ground water रोज़ का रोज़ ground water नीचे जा रहा है। ground water situation has become alarming. The chemicals have started meeting the ground water as a result what is happening in Tarn Taran , Fazilka in Punjab , out of 10 children , 8 children are suffering from cancer. हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर एरियाज़ में वह स्टेज ज्यादा दूर नहीं है। That cancer is going to come

to very child in Himachal Pradesh. It is very serious matter. The chemical and water base is coming together. When will we all wake up to this? The amount of water base जितना हम वाटर का बेस लैंड बेस पर रखेंगें, हम अपनी irrigation schemes को जितना ज्यादा सरफेस बेस पर लाएंगे तभी हमारा बचाव होगा। आज के दिन में हम इरिगेशन के प्रोजैक्ट्स के ऊपर 28 से 30 हजार करोड़ रुपया इसके लिए खर्च चुके हैं और अभी भी हमारा 82 percent farmer rain fed है। मैं पिछले 40 सालों की बात कर रहा हूं केवल दो-चार सरकारों की बात नहीं कर रहा हूं। I am talking about 40 years. हमारा जमींदार आज भी rain water based है और rain water harvesting पर हम कब जोर देंगे? अब नई schemes आई हैं, हम लोग तो उन पर काम कर रहे हैं। इस साल हम I think in Kangra , Nurpur is number one in Water harvesting.

Deputy Speaker: Please conclude.

श्री राकेश पठानिया: माननीय उपाध्यक्ष जी, फिर वही बात आ गई। यह विषय हिमाचल प्रदेश का है, मेरा नहीं है। This is not a issue to score political points. This is the issue of the coming generation of the Country and of this State. यह हिमाचल प्रदेश के आने वाले भविष्य का सवाल है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जितना नुकसान वर्षा से हो रहा है, आदरणीय मुख्य मंत्री जी प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं परन्तु जितना ज्यादा नुकसान हुआ है, अभी भी जैसे बता रहे हैं कि हजार करोड़ से ऊपर नुकसान हो गया और इसको चैक करने का तरीका एक ही है। That we have to conserve this water, we have to make check dams, and very important we have to check illegal mining. मैं बार-बार इस माननीय सदन में बोलता हूं कि खनन के खिलाफ नहीं हूं, मैं अवैध खनन के खिलाफ हूं। इनकी माइनिंग लीज़ है कहां? जिसके पास पत्थरों का स्टॉक लगा है, उसको डिपार्टमैंट परमिशन दे रहा है। उसमें आप यह नहीं चैक कर रहे हैं कि उसकी माइनिंग लीज़ कहां है? उसकी फ्लैगिंग कहां है? उसने black force कहां लगाए हैं?

27/08/2019/1715/RG/DC/1

वह कोई नहीं देख रहा है। वहां पत्थर आया, वहां स्टॉक है, स्टॉक के अगेन्स्ट आपने उसको क्रशिंग की परमिशन दे दी, वह स्टॉक कहां से आया? वह स्टॉक हवा से आया नहीं, बारिश में तो नहीं आया। Where has that stock come from, this has to be checked. और आप क्रशर का अमाउन्ट और सेंटीमीटर, अमाउन्ट ऑफ यूनिट converted into the tones of crushing. यह विषय बहुत ही क्लीयर है। It is 1X 6X16. यह कैसे कैलकुलेट कर देगा? How do you calculate? यह जो आपने कैलकुलेशन करना शुरू की है, यह तो 40-50 साल पुराना फॉर्मूला है। अगर आप लेटेस्ट कैलुकेशन करें तो तीन यूनिट्स में आप एक टन से ज्यादा माल क्रश कर लेते हैं। आपके पास अभी यार्डस्टिक्स 50 साल पुराने हैं। अगर आप इन नई यार्डस्टिक्स पर इनफोर्स करते हैं तो हमारा रैवेन्यु 500 गुणा बढ़ जाएगा।

उपाध्यक्ष : राकेश जी, कृपया समाप्त करिए, आपका समय समाप्त हो गया है। इधर का समय काटकर मैं इनको दे देता हूं।

श्री राकेश पठानिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। अगर आपको विषय पसन्द नहीं आ रहा तो मैं समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष : आप कृपया कनक्लूड करें, अभी और भी दो-तीन माननीय सदस्यों ने बोलना है।

श्री राकेश पठानिया : अगर आप कहते हैं तो मैं यह विषय बन्द कर देता हूं। मेरी आदरणीय मुख्य मंत्री जी से हाथ जोड़कर केवल यह प्रार्थना है कि अगर खनन के माध्यम से हम अपने हिमाचल प्रदेश की गरीबी दूर कर सकते हैं, if we calculate the crushing units in the right manner. मेरा बिजली का बिल भी 3000/-रुपये आता है और जो लोग करोड़ रुपये महीने का कमाते हैं, उनका 4,000/-रुपये आता है, यह बिजली की कैसी कैलकुलेशन हो रही है? आप किस तरीके से यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं? अरबों रुपये का चोरी का खनन हो रहा है। What is Mafia? The answer is this is Mafia. इन लोगों ने अपने प्राईवेट दो नंबर के जेनसेट वहां पर दबाकर लगाए हुए हैं। उनको कौन चैक कर रहा है? मेरा आपसे निवेदन है कि यह विषय बहुत सीरियस है, यह सरकार या पार्टी का

विषय नहीं है, यह विषय हिमाचल प्रदेश की आने वाली पीढ़ियों का विषय है। इसलिए कृपा करके पर्यावरण को गंभीरता से लेना सीखें, मेरा यही आपसे निवेदन रहेगा।

उपाध्यक्ष : धन्यवाद। अब श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे। कृपया आप समय का ध्यान रखें।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर(कुल्लू) : उपाध्यक्ष महोदय, आज नियम-130 के अन्तर्गत प्लास्टिक के उपयोग, अवैध कटान, खनन व अन्य प्रकार के प्रदूषण से पर्यावरण को बढ़ रहे खतरे से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार कर रहा है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि यह हिमाचल प्रदेश के लिए अति-संवेदनशील मुद्दा है। खनन पर बहुत बातें हुईं और माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं यहां बैठे हैं। मेरी चिन्ता यह है कि कुल्लू में जिस तरह से प्लास्टिक का कचरा फैल रहा है और जो एक पर्यटक वहां से हिमाचल के बारे में तस्वीर लेकर जा रहा है, वह सच में बहुत ही दयनीय स्थिति है। आज के दिन में प्रैशर यह है कि यह तो अभी बाढ़ है, बारिश है, वह कचरा सीधे बहकर ब्यास नदी में जा रहा है। लेकिन आज से एक महीने पहले तक यह स्थिति थी जब तक बारिश नहीं थी, सड़के के किनारे यदि आप औट से चलिए, तो वहां से लेकर मनाली तक जो आप कचरे के ढेर देख रहे हैं, शायद हम कोई अच्छी तस्वीर एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन को पेश नहीं कर रहे हैं। हमें सिक्किम भी जाने का मौका मिला, I have also been Member of the Pollution Board. लेकिन हमने इस बात पर पुराने समय में बहुत गहन चिन्तन किया है। आप सिक्किम और उत्तराखण्ड का प्रबन्धन देखिए। आज आप और प्रदेशों का प्रबन्धन देखिए। हिमाचल सिर्फ पिछड़ रहा है। किस वजह से? माननीय मुख्य मंत्री जी, आपको प्रशासन द्वारा वस्तुस्थिति नहीं बताई जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज के दिन कुल्लू शहर में 6 से 8 मीट्रिक टन रोज कचरा निकलता है। उसके बाद भून्तर में 5 टन के लगभग कचरा निकलता है, मणीकरण कुल्लू के बराबर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। उस इलाके भी कचरा निकलता है और इस प्रकार से हमारी कुल्लू घाटी में लगभग 20 मीट्रिक टन रोज कचरा निकल रहा है। आज की स्थिति यह है कि हमारे पास गारबेज डम्पिंग साईट है ही नहीं। क्या आप बताएंगे कि वह कचरा कहां जा रहा है? अभी पिछले दिनों में कुल्लू में महामारी फैलने की आशंका हो गई। मुख्य मंत्री जी, एन.जी.टी. ने 20 जून, 2017 को

जिला प्रशासन को सीधे तौर पर ऑर्डर पास किया कि 'dumping site at Pirdi Mohal has to be shifted'. लोगों का भी उसमें रोष था। वह एक अच्छा कदम था कि वहां से उसको हटाने की बात की। प्रशासन को दो साल हो गए हैं। सरकार को वह गुमराह कर रहा है लेकिन उस कचरे की जो डम्पिंग साइट है वह आज दिन तक प्रशासन नहीं चुन पाया। आप देखिए जब नई उपायुक्त महोदया वहां पर आई और मैंने उनसे कहा कि कृपया कुछ दिनों में इस कचरे की समस्या को आप हल कीजिए, नहीं तो मुझे विवश हो कर सड़क पर उतरना पड़ेगा और जब मैं सड़क पर उतरा तो मेरे साथ हजारों लोग आए। मैंने उन्हें तीन दिन का अल्टिमेटम दिया और उस वक्त कचरा उठा। मुख्य मंत्री जी वह कचरा कहां गया उसके बारे में मैंने बाद में पता किया, क्योंकि उनको भय था, प्रैशर था, वह रात के अंधेरे में ब्यास नदी में फेंका गया क्योंकि डम्पिंग साइट कोई है ही नहीं ।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आप एक मिनट में वाइंड अप करें।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः माननीय उपाध्यक्ष जी, आप पक्ष-विपक्ष को बराबर देखिए। यह बहुत ही जरुरी मसला है। अभी 6 जुलाई को उपायुक्त को मैंने एक पत्र लिखा कि कचरे की विकराल समस्या हो रही है। उपायुक्त ने मुझे 25 जुलाई को चिट्ठी लिखी और उसमें लिखती हैं कि 'you are requested to extent your full cooperation to district administration and also persuade concerned Gram Panchayats to issue necessary 'NOC's' under FCA, 1980 and FRA, 2006 for the diversion of forest land for the installation of SWM Plant for Kullu cluster'. उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी, उन्हें लगा कि जो काम वे दो साल में नहीं कर पाए शायद इसके बस में ही नहीं होगा। मैंने उनको 25 जुलाई का ज़वाब 29 जुलाई को दिया। मैं उसमें लिखता हूं कि With regards to your letter No.-776 L.F.A, dated 25.07.2019, I have few ideas about the site for said purpose. Kindly arrange for meeting involving Municipal Committee Kullu & Nagar Panchayat Bhunter. I will persuade the Panchayat to give N.O.C. but

we will have to give incentives and benefits to Panchayat and public of this areaआज भी ग्राम पंचायत डम्पिंग साइट देने को तैयार है। मनाली का कचरा युनिट अभी तीन महीने तक शुरू नहीं होगा। यदि तीन महीने में शुरू हो भी गया तो विंटर में कैसे होगा, क्योंकि वह सारे-का-सारा स्नो बाउंड एरिया है। कुल्लू का कचरा मनाली ले जाने में दिक्कत होगी, भून्तर का कचरा मनाली ले जाने में दिक्कत होगी और वैसे भी तीन महीने में वह शुरू होने वाला नहीं है। मैं इतने बड़े मुद्दे पर प्रशासन और संबंधित मंत्री जी से भी मिला लेकिन आप प्रशासन का रवैया देखिए, जब मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास डम्पिंग साइट है उस दिन के बाद प्रशासन मौन हो गया। कुल्लू में विकराल स्थिति पैदा हो गई है। कचरे के ढ़ेर जगह-जगह लगे हुए हैं। जब कचरा सेग्रिगेशन के लिए साइट देने को हम तैयार हैं, कचरा लेने को, प्लास्टिक लेने को ए.सी.सी. बरमाणा तैयार है तो हमें क्या दिक्कत है? क्यों न हम मिल बैठ कर राजनीति से ऊपर उठ कर इस बात का समाधान करें लेकिन जो वहां से तस्वीर जा रही है वह बहुत ही चिन्ता का विषय है। 'Nextgen Chemicals Private Limited' के साथ मनाली में एग्रीमैंट हुआ कि वे उस कचरे से एनर्जी बनाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वे बना पाएंगे क्योंकि मैं पिछले हफ्ते वहां पर गया था उसमें अभी समय लगेगा। सर्दियों में वहां पर हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। नगर परिषद् और नगर पंचायतों में सेनिटरी स्टाफ नहीं है। मुझे लगता है कि इस मामले में प्रशासन कतई भी गम्भीर नहीं है। दशहरे का मेला आने वाला है और उसमें यह कचरे का विषय ही बहुत बड़ा होने वाला है। यह दशहरा देवी-देवताओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। कचरे का समाधान हम कैसे कर पाएंगे?

27.08.2019/1725/SS-HK/1

जो अफ़सरशाही है उनमें इच्छा शक्ति की कमी है। वहां पर साडा के पैसे का दुरूपयोग हुआ है। बड़े भारी पैसे का दुरूपयोग इस कचरे के लिए हुआ है। लेकिन आज भी इसमें कोई स्थाई हल नहीं निकला है। अगर ऐसी स्थिति रही तो मुझे खुद एन0जी0टी0 के पास जाना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि मैंने एक प्रॅपोज़ल प्रशासन को दिया है और प्रशासन इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहता है।

उपाध्यक्षः आपका समय हो गया है। मेरा निवेदन है कि आप इसको कंक्लूड कर दें।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः फिर जो आगे एन0जी0टी0 का आदेश होगा तो वह बाइंडिंग हमारे लिये काफी सख्त होगी। मैं इतना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी स्वयं प्रशासन को आगाह करें कि वे इस संदर्भ में कोई आगामी कार्रवाई करें ताकि इस कचरे का समाधान पूर्ण रूप से कुल्लू घाटी में हो, धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री होशयार सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

Sh. Hoshyar Sinhg (Dehra): Deputy Speaker, Sir, thank you for allowing me to speak under Rule-130 moved by Sh. Ram Lal Ji, Sh. Ramesh Dhawala Ji, Sh.Ravinder Ji & Sh. Jaryal Ji on pollution by use of plastic, illegal mining and other ways. हमने माइनिंग पर बड़ी चर्चा की और हर बार चर्चा होती है। मगर जो प्रदूषण का मुख्य कारण फॉरैस्ट फायर है उस पर आज कोई चर्चा नहीं हुई है। मैं उसी विषय पर कुछ बोलना चाहूंगा। जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं हमारे जंगल जलना शुरू हो जाते हैं। We have no means कि हम इस फॉरैस्ट फायर को कंट्रोल कर सकें। फॉरैस्ट फायर से जो प्रदूषण हो रहा है that is the highest amount of pollution in Hiamchal Pradesh. I would like to thanks to Hon'ble Chief Minister Sh. Jai Ram Thakur Ji and Forest Minister Sh. Govind Ram Thakur Ji to introduce 25 unites of biomass, which will produce the pellets on pine needles and lantana. एक यूनिट तो यहां स्टार्ट हो चुका है। एक और अगले महीने स्टार्ट हो रहा है। जब ये यूनिट्स स्टार्ट होंगे तो एग्रीकल्चर और फॉरैस्ट वेस्ट से पैलट्स बनाये जायेंगे। That will be used as a fuel in all cement factories, furnace, boilers and इंटों के भट्ठों में ये सारे फ्यूल्ज़ यूज़ किये जायेंगे। The Government made a policy of one percent compulsory on all the units using petcocks. पैटकॉकस के कारण हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है जिसे सारी सीमेंट इंडस्ट्रीज़ यूज़ कर रही हैं। तो यह सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है जिससे प्रदूषण बहुत कंट्रोल होगा। इससे हमारे फ्लोरा-फोना फ्लोरिश होंगे। Government can avail the carbon credit on these savings.

दूसरा, प्रदूषण का बड़ा कारण है, अगर हम पंचायत लेवल पर देखें तो पीछे हमने नाम लगाकर बड़े कलरफुल ड्रम्स लगाये कि उसमें कचरा डालना है। लेकिन आज अगर

आप देखेंगे तो वे सारे ड्रम्स गायब हैं। वे ड्रम्स भी एक किस्म से प्रदूषण का कारण बन गये। आपको वे सब उल्टे या टूटे हुए ड्रम्स मिलेंगे। हमारे पास कोई प्रोसैस ही नहीं है जिसमें गांव के वेस्ट को इकट्ठा करें और उसको प्रोसैस करें। We have no waste management system adopted in our any of the Panchayat. हमारी किसी भी पंचायत में वेस्ट मैनेजमैंट सिस्टम नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि एक एजैंसी को डिप्लॉय किया जाए जो

पंचायत के सारे वेस्ट/गारबेज को कॉलैक्ट करे और उसको प्रोसैस करे, जिससे कि प्रदूषण से बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

तीसरा जो हमारा टूरिस्ट आता है जिसको "Pilgrim Tourist" कहते हैं, आप देखेंगे तो जगह-जगह पर लंगर लगे हुए हैं। लंगर वाले थर्मोकॉल के कप, प्लटें और ग्लासिज़ यूज़ कर रहे हैं so that is very a big pollution threat.

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आप कृपया एक मिनट बैठिये। चूंकि हमने समय 5:30 बजे अपराह्न तक बढ़ाया था, अभी दो और माननीय सदस्यों ने बोलना है। यदि माननीय सदन की सहमति हो तो हम 15 मिनट के लिए और माननीय सदन का समय बढ़ा लें?

माननीय सदस्यगणः उपाध्यक्ष महोदय, आधा घंटा समय बढ़ाया जाए।

उपाध्यक्षः मुझे लगता है कि हम 20 मिनट के लिए समय बढ़ा लेते हैं। 20 मिनट में सारे विषय आ जायेंगे। चार-चार मिनट बाकी सदस्य बोलें तो समय का सदुपयोग होगा।

27.08.2019/1730/केएस/वाईके/1

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, यह हाउस रात के 11-11, 12-12 बजे तक भी चला है। आप आधा घंटा समय बढ़ा दो। इतनी कंजूसी क्यों हो रही है?

मुख्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी सदस्य रहते हैं, समय आधे घंटे के लिए और बढ़ा दीजिए और भी जितना समय लेना चाहें, ले लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्षः माननीय सदन की सहमति से माननीय सदन की कार्यवाही और आधे घंटे के लिए बढ़ाई जाती है।

माननीय होशयार सिंह जी, आप कृपया जल्दी वाइंड अप करें।

श्री होशयार सिंहः धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट और लूंगा। टूरिस्ट्स पर चैक रखा जाए ताकि थर्माकोल का, प्लास्टिक का इस्तेमाल न हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका दूसरा कारण ओवरलोडिड ट्रक्स हैं। जिसके कारण सबसे ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। हम शिमला आते हुए अक्सर देखते हैं कि जब ट्रक चढ़ाई चढ़ते हैं तो उनकी सिर्फ 10 की स्पीड होती है क्योंकि वे ओवरलोडिड होते हैं। जो ट्रकों से प्रदूषण निकल रहा होता है, उसका कोई चैक नहीं है। पूरे रास्ते में कोई भी पोल्यूशन चैक करने वाली गाड़ी नहीं मिलती। यह बहुत जरूरी है जिससे काफी हद तक पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आख़िर में मैं माइनिंग के बारे में बोलना चाहूंगा। माइनिंग की बड़ी चर्चा होती है। माइनिंग को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है और इसका एक तरीका है कि सरकार रेट फिक्स कर दें कि एक टन का एक हजार रुपये चार्ज किया जाएगा । जो भी गाड़ी राज्य से बाहर जाती है, 9 टन की गाड़ी होगी तो 9 हजार रुपये और अगर 20 टन की गाड़ी होगी तो 20 हजार रुपये राज्य लें इससे राज्य का रेवन्यू भी बढ़ेगा और माफ़िया भी अपने आप ख़त्म हो जाएगा। आपको हैवी से हैवी फाइन बॉर्डर पर लगाने पड़ेंगें, चैक प्वाइंट्स बनाने पड़ेंगे और प्रत्येक बॉर्डर पर हैवी फाइन लगाया जाए और इनसे चार्जिज़ लिए जाएं। हमारे माइनिंग के जब ज्यादा रेट होंगे तो पंजाब और हरियाणा वाले बाहर से मटिरियल खरीदेंगें, हिमाचल से नहीं खरीदेंगें और यह माइनिंग माफिया को कंट्रोल करने का सही तरीका है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री लखविन्द्र सिंह राणा जी चर्चा में भाग लेंगे। माननीय सदस्य, कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री लखविन्द्र सिंह राणा (नालागढ़) आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव सर्वश्री राम लाल ठाकुर, रमेश चन्द ध्वाला तथा श्री बिक्रम सिंह जरयाल जी ने प्लास्टिक के उपयोग, अवैध कटान, खनन व अन्य प्रकार के प्रदूषण से पर्यावरण को बढ़ रहे खतरे से उत्पन्न स्थिति बारे लाया है, उस पर चर्चा में भाग लेने के लिए मैं भी खड़ा हुआ हूं। प्लास्टिक के उपयोग से जहां वातावरण प्रदूषित होता है, वहां बीमारियों का भी भय रहता है क्योंकि प्लास्टिक कभी नष्ट ही नहीं होता। बरसात के दिनों में हमारे नालागढ़ में व हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों में भी जगह-जगह प्लास्टिक के बैग और लिफ़ाफे पड़े होते हैं। उनके ऊपर पानी खड़ा रहता है जिसके कारण बहुत से जीवाणु पैदा होते हैं और उससे बीमारियां फैलती हैं। हमारे जो पशु आवारा घूमते हैं, जब वे इस प्लास्टिक को खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। अभी 17 तारीख़ को हमारे नालागढ़ में बाढ़ आई थी, हमने देखा कि वहां पर जो भी फैक्टरीज़ हैं, उनके बड़े-बड़े प्लास्टिक के बोरे सड़कों पर आ गए थे। वहां पर वर्षा के कारण जो पानी आया, पॉलिथीन के लिफ़ाफे लोगों के पीने के पानी की पाइपों में फंस गए । लोगों का प्लास्टिक से बहुत नुकसान होता है इसलिए इसको रोकने के लिए बहुत सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। वैसे तो सरकार ने इसके ऊपर पूर्णतः बैन लगा रखा है लेकिन अभी भी बहुत से दुकानदारों को ग्राहकों को पॉलिथीन के लिफ़ाफे देते हुए देखा जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर अवैध कटान का भी प्रस्ताव आया है। पेड़-पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी और लाभकारी होते हैं। अवैध कटान होना, उसको रोकना हम सभी की जिम्मेवारी है।

27.8.2019/1735/av/यूके/1

लेकिन हमारे नालागढ़ क्षेत्र में खैर का एरिया खुला हुआ है। वहां के लिए हिमाचल के दूसरे जिलों से डिप्टी रेंजर, फॉरैस्ट गार्ड इत्यादि अधिकारियों की स्थानांतरण करवाने के लिए होड़ लगी है। इसका कारण यह है कि ज़मींनदारों की जमीनों से तो पौधे कटते ही हैं मगर साथ में सरकारी जमीन से भी पेड़ों को काटा जाता है और इस प्रकार से यह भी भ्रष्टाचार का एक अड्डा बनता जा रहा है। मेरी माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय वन मंत्री जी से प्रार्थना है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर जांच चली हुई है उनको ऐसे

एरियाज में नहीं लगाया जाना चाहिए ताकि अवैध कटान को रोका जा सके। हम देखते हैं कि जंगलों में आग के कई मामले आते हैं और उसमें आग लगाने वाले का भी पता होता है मगर उसके विरुद्ध जो कार्रवाई होनी चाहिए वह नहीं की जाती। अतः सरकार को इस बारे में एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में खनन बहुत ज्यादा हो रहा है जिसमें हमारा बद्दी-बरोटीवाल और नालागढ़ भी पीछे नहीं है। इस बारे में यहां पर माननीय सदस्य राकेश पठानिया जी और माननीय सदस्य श्री सतपात सिंह रायजादा जी ने भी कई बातें कही। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे वहां चिकनी, कालापुर, महादेव, सरसा इत्यादि प्रमुख नदियां हैं। इन नदियों के ऊपर अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। उसके लिए कोई लीज़ नहीं है मगर उसमें 50-50 फीट नीचे तक गड्ढे करके जमीन को छलनी कर दिया है मगर वहां कोई पूछने वाला नहीं है। इसके कारण हमारे वहां पीने के पानी की स्कीमें और हैण्ड पम्प सूख रहे हैं। हमारे वहां प्राकृतिक स्त्रोत, बावड़ियां तथा तालाब इत्यादि सूख रहे हैं अतः इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार इसके लिए प्रयास नहीं कर रही है। मगर मुझे लगता है कि कई स्थानों के बारे में सरकार को सूचना नहीं मिल रही है। हमारे यहां जोगो चौकी है वहां सुन्दरनगर, मण्डी और कुल्लू तक से ट्रक वाले आते हैं और रोज वहां पर बैरियर लगाकर खड़े होते हैं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र की जितनी भी चौकियां हैं उनको बैरियर में तबदील कर दिया है। वहां पर बड़े-बड़े जो खनन माफिया हैं उनको नहीं पकड़ा जाता बल्कि वहां पर गरीब लोगों के चालान किए जाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्रशर लगाने के लिए एन0जी0टी0 का सौ मीटर का कानून है लेकिन वह बिल्कुल नदी के किनारे पर लगे हुए हैं और नेशनल हाई-वे के ऊपर है। मैंने यह बात पहले भी कही थी लेकिन उनको कोई नहीं रोकता। वहां पर पुलिस विभाग भी खनन माफिया को नहीं रोकती। मैं विशेषकर नालागढ़ की बात करना चाहता हूं, पुलिस कहती है कि यह तो इण्डस्ट्री डिपार्टमैंट का काम है, ये रोकेंगे। इस ढंग से जो अवैध खनन का काम हो रहा है जिससे हमारी प्रकृति को भी नुकसान पहुंच रहा है तो इसको रोकना भी अति आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, मोहन लाल ब्राक्टा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा (रोहडू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर, श्री रमेश चंद ध्वाला और श्री बिक्रम सिंह जरयाल प्लास्टिक के उपयोग, अवैध कटान, खनन् व अन्य प्रकार के प्रदूषण से पर्यावरण को बढ़ रहे खतरे से उत्पन्न स्थिति पर जो प्रस्ताव लाए हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं भी इस विषय के संदर्भ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । वैसे तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इस विषय पर काफी डिटेल में बात की है और मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जहां तक जगह-जगह पर प्लास्टिक व कचरा फैलाया जा रहा है।

27.8.2019/1740/टी.सी.वी./ए.जी.-1
श्री मोहन लाल ब्राक्टा.... जारी

माननीय सदस्य श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी ने कुल्लू की बात की है, मैं कहना चाहूंगा कि इससे मेरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था और कई बार अखबारों में भी आया कि चांशल को टूरिज्म की दृष्टि से डेवैल्प किया जा रहा है। वहां पर टूरिस्ट भी काफी संख्या में आ जा रहे हैं लेकिन वहां पर प्रशासन की ओर से इंतजाम ठीक नहीं है क्योंकि वहां पर जो टूरिस्ट जाते हैं, वे अपने साथ खाने-पीने का सामान ले जाते हैं और जो वेस्ट होता है उसको इधर-उधर फेंक देते हैं। एन0जी0ओज0 वालों को वहां जाकर सफाई इत्यादि करनी पड़ती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि इसके लिए भी कुछ उचित इंतजाम करें।

जहां तक अवैध कटान की बात है, इससे भी हमारे प्रदेश को बहुत नुकसान हो रहा है। प्रदेश में कई स्थानों पर अवैध कटान हो रहा है, मैं किसी जगह, कर्मचारी या अधिकारी

का नाम तो नहीं लूंगा लेकिन यह जरूर कहूंगा कि पूरे प्रदेश की तरह इससे मेरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि पिछले दिनों बहुत भारी बारिश हुई और उससे पूरे प्रदेश में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में, जिला शिमला में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। किसी का जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन कई गांव तबाह हो गये। दूसरा, महत्वपूर्ण विषय खनन का है। मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र रोहडू में पब्बर नदी है। यह काफी लम्बी-चौड़ी नदी है। उसके आस-पास अवैध खनन का कार्य खूब फलफूल रहा है। इसके बारे में मैंने प्रशासन से कई बार बात की लेकिन वे घोड़ों और खच्चरों वालों के चालान तो अवश्य करते हैं और जो बड़े ट्रक और टिप्पर वाले हैं, उनको छोड़ देते हैं। मैंने इस बारे में प्रश्न भी लगाया था कि कितने अवैध खनन वालों के चालान काटे गये हैं तो विभाग ने उसमें घोड़ों और गधों के मालिकों के पर्टिकुलर दे दिए। उसमें किसी भी ट्रक और टिप्पर वालों के चालान नहीं किए गये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी पिछले दिनों दो दिन की छुट्टियों में, मैं भी अपने गांव गया था, वहां पर बारिश के कारण सबसे ज्यादा नुकसान पब्बर नदी के नज़दीक हुआ है। मुझे लोगों ने बताया कि यहां पर रात-दिन रेत व बज़री आदि निकालने के लिए मशीनें लगी होती हैं। इसके कारण हमारे 4-5 गांवों तो बिल्कुल ही खत्म होने के कगार पर हैं। एक बडियारा पुल है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और इसके कारण कई पंचायतों का संपर्क कट गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि या तो इनको वैध करार दिया जाये या फिर इनके लिए कोई स्पेसिफिक स्थान चिन्हित किए जायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि रोहडू में बारिश के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी प्रशासन को निर्देश दें क्योंकि मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में बरसात के कारण कई पुल बह गये हैं। दूसरा, धान की खेती को भी बहुत नुकसान हुआ है।

पेज़ा गांव का लाल चावल पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। वहां भी धान की खेती को इस बारिश से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है।

27-08-2019/1745/NS/AG/1

माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा आग्रह रहेगा कि आप प्रशासन को इस बारे में आदेश करें और नुकसान की भरपाई की जाए। कई लोगों के मकान ढह गए हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के तीन-चार गांव उजड़ने के कगार पर हैं और ये अवैध खनन की वजह से प्रभावित हुए हैं। अगर वहां पर अवैध खनन न होता तो शायद ये गांव बच भी जाते। माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जी इस माननीय सदन में मौजूद नहीं हैं। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पूर्व सरकार के समय में मेरे विधान सभा क्षेत्र में पब्बर चैनलाइजेशन का लगभग 190 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था। इसका फांउडेशन स्टोन भी रख दिया गया था और कार्य शुरू हो गया था। लेकिन आज की तारीख में केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट का पता नहीं क्यों पैसा रोका हुआ है? मैंने पिछले सत्र में भी इसके लिए प्रश्न पूछा था तब मुझे बताया गया कि इसका पैसा आ गया है। लेकिन इसकी अभी तक कोई राशि नहीं आई है। अगर पब्बर चैनलाइजेशन हो जाती है तो इससे हमारे किसानों, बागवानों और वहां के गांव को फायदा हो जाएगा। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप इस तरफ ध्यान दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अंत में, माननीय सदस्या श्रीमती रीता देवी चर्चा में भाग लेंगी।

श्रीमती रीता देवीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत इस माननीय सदन में जो प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी, श्री रमेश चंद ध्वाला जी और श्री बिक्रम सिंह जरयाल जी ले करके आए हैं, मैं भी इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। आज यह सदन गवाह है कि इस विषय पर कितनी बार चर्चा की गई है? लेकिन यह चर्चा सिर्फ चर्चा बन कर ही रह गई है। आज मेरा विषय अवैध खनन है। अवैध खनन की वजह से आज हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। हाल ही में वॉटर लैवल टैस्ट किया गया जिसमें तीन ब्लॉक नालागढ़, ऊना और मेरा विधान सभा क्षेत्र इंदौरा का पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में माजरा जगह है और यहां पर पानी का स्तर इतना नीचे चला गया है कि पहले जब लोग घर बनाने के लिए खुदाई करते थे तो वहां पर इतना पानी था कि खुदाई करना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज सारे

बोरवैल, कुएं और बावड़ियां आदि सूख गए हैं। इसका कारण अवैध खनन है। माज़रा में चक्की का 100 से 150 फुट तक खनन किया गया है। मैं पूछना चाहती हूं कि माइनिंग विभाग कहां था और कौन-सी गहरी नींद में सोया था? आज यह हम सबके लिए एक क्वैश्चन मार्क है।

इसी तरह मेरे विधान सभा क्षेत्र में मंड क्षेत्र पड़ता है। इस क्षेत्र की भूमि इतनी उपजाऊ है कि पूरे हिमाचल प्रदेश को अनाज पैदा कर सकती है। लेकिन आज यह भी खतरे में है। आज इस क्षेत्र में 15 से 18 स्टोन क्रशर चल रहे हैं और 30 नए क्रशरों की एन0ओ0सी0 मिल चुकी है। यह क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है कि वहां पर सड़कों का नामोनिशान नहीं है। वहां पर कोई अस्पताल नहीं है। वर्ष 1988 में बाढ़ आई थी और वहां पर लोगों को हेलीकॉप्टर से दूसरी जगह ले जाया गया था। लेकिन 30 साल के बाद भी आज ये लोग उसी स्थिति में जी रहे हैं। हर बरसात में वे लोग ऐसे जीने को मज़बूर हैं। उनकी एक ही मांग है कि हमारे मंड क्षेत्र को 'No Mining Area' घोषित किया जाए। गांव में छोटी-छोटी सड़कें हैं और जैसा माननीय सदस्य पठानिया जी ने कहा कि बड़े-बड़े हाईवे जाते हैं। छोटी-छोटी सड़कों से बड़े-बड़े हाईवे निकाले जाते हैं तो आसपास गरीबों के जो घर हैं, वे टूटने वाले हैं और उनमें दरारें पड़ गई हैं। उन लोगों ने पूर्व सरकार में भी धरने प्रदर्शन किए थे। वे लोग लगातार एक महीना धरने पर बैठे थे और सुसाईड करने वाले थे। तब वहां से थोड़े दिन गाड़ियां निकलनी बंद हो गई। उसके बाद वे कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने उनको ट्रैक्टर और ट्राली की परमिशन दी।

27.08.2019/1750/RKS/DC-1

लेकिन वे लोग ट्रॉली को डबल, ट्रिप्पल बनाकर ट्रक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे लोग इतने दुःखी हैं और हर बार यही कहते हैं कि अगर यह अवैध खनन ऐसे ही होता रहा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। पिछले 15 वर्षों से मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सड़कों की हालत इतनी खस्ता थी कि वहां बाहर का कर्मचारी काम करने के लिए नहीं आता था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सड़कों के लिए काफ़ी बजट दिया और इस वक्त आधी से ज्यादा सड़कों की हालत सुधर चुकी है। जिन सड़कों की क्षमता 9 टन की है वहां 50-50 टन की गाड़ियां चल रही हैं। अगर हम इसकी शिकायत

आर.टी.ओ. को करते हैं तो वे कहते हैं कि आप इसकी शिकायत पुलिस विभाग को करें। जब मैंने पुलिस विभाग को इसके बारे मे बताया तो उनका कहना था कि हमारे पास इलैक्ट्रोनिक कांटा नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से चालान नहीं काट सकते और अगर ऐसा करते हैं तो ये लोग हमें कोर्ट में घसीटेंगे। मुझे यह बताया जाए कि इन लोगों का कौन चालान काटेगा और इसकी शिकायत हम किसके पास करें? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह अपील करना चाहती हूं कि मंड क्षेत्र को 'नो माइनिंग' एरिया घोषित किया जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो मेरे चुनाव क्षेत्र की सड़कों के लिए काफ़ी बजट दिया है, उसके लिए मैं आपका तहे-दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं। एक आत्म मानववाद में पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी ने लिखा है कि 'प्रकृति हमारी मां' है। अगर इसका दोहन अच्छे तरीके से हो तो यह मां की तरह पालन-पोषण करती है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः इस सारी चर्चा का उत्तर कल आएगा इसलिए इस माननीय सदन की बैठक बुधवार, 28 अगस्त, 2019 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांकः 27 अगस्त, 2019 **सचिव।**